लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

vation Unit
8-5-92
igated
15/11/83
6
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

	पृष्ठ
अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन	१
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . .	२—९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	९—१०
संसदीय समितियां—कार्य सारांश	१०
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१०—१२,१४
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—	
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१३
(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	१३
लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—	
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१३
(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	१३
विशेषाधिकार समिति—	
प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . .	१३—१४
भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . .	१४
दैनिक संक्षेपिका	१५—१८
अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . .	१९—४२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	४२—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . .	४५—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२	५९—८०

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . .	८०-८१
स्थगन प्रस्ताव—	
रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी .	८१—८२
विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—	
श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें . . .	८२—९५
सभा-पटल पर रखेगये पत्र . . .	९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
खाद्यान्नों के मूल्य	९६—९९
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—	१००—३७
विचार करने का प्रस्ताव	१००—३१
खण्ड २ से ४, ७ से १९, १८ क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र	१३१—३७
पारित करने का प्रस्ताव .	१३७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन .	१३८
दैनिक संक्षेपिका .	१३९—४५
अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१४७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४ .	१४७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८	१६९—९७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४ .	१९७—२३८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२३९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौंतीसवां प्रतिवेदन .	२३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल	२३९—४०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौंतीसवा प्रतिवेदन .	२४०
दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक	२४०—७५
विचार करने का प्रस्ताव . .	२४०—७३
खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १	२७३—७५

पृष्ठ

पारित करने का प्रस्ताव . . २७५

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक . . . . २७५—८४

विचार करने का प्रस्ताव . . २७५—८२

खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १ २८३—८४

पारित करने का प्रस्ताव २८४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . २८४—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८७—९३

अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ . २९५—३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ . ३१९—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ . ३३९—७५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

चीनी मिलों में तालाबन्दी . . ३७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७५—७८

विधेयक पर राय . . . ३७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु ३७८—८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . ३८०—४२८

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३८०—४१८

खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र . ४१८—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४२३—२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४२९—३६

अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४ ४३७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२ ४५९—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६ ४७९—९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—
छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९
फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया . . ५००
चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००
सभा का कार्य . . . ५००—०१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१—३४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन . . . . ५३४—३५
देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२—५३
दैनिक संक्षेपिका . . ५५४—५९

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८—६०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५—४५
रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५—४८
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८—४९
तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९
नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९
रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०—५१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६५१—८२
दैनिक संक्षेपिका . . ६८३—९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३—७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१९, ३२०, ३२५, ३२९ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१९—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५८-५९ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७९, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६९, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८९ से ३९१ और ३९३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७९ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० . . ८८५—९१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन. ९३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ९४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य . . . . ११४९—५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित . . . . . . ११६८—६९

	पृष्ठ
१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . .	११६८
२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) .	११६६
३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक	११६६
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	११६६—८६
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	११८७
दैनिक संक्षेपिका . .	११८८—६५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९ / २३ माघ, १८८० (शक)

—— ————

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दोहरे कर से बचाव

+

†*१७६. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री किस्तैया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार के साथ दो देशों में आय पर दोहरे कर से बचाव के मामले पर वार्ता थी ; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वार्ता काल में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । यह वार्ता सम्भवतः मार्च, १९५९ में भारत में जारी होगी ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्धारण किया है कि समझौता होने की हालत में आयकर की प्राप्ति पर सम्भवतः क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सारे सम्भावित प्रभाव अच्छे होंगे, क्योंकि यह उन प्रोत्साहनों में से एक है जो भारत में विदेशी पूंजी लगाने के लिये दिये गये हैं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** किन देशों ने इस मामले में पहल की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अमरीका और कनाडा की सरकारों ने प्रार्थना की थी कि दोहरे कर से बचाव के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** भारत और अमरीका के बीच किन मोटी मोटी बातों पर समझौता हो गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** समझौता अभी वार्ता-क्रम में है और तफसील बताना सम्भव नहीं है ।

†**श्री रामनारथन् चेट्टियार :** क्या यह समझौता अधिकर पर भी लागू होगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** विदेशी पूंजी लगाने के लिये दिये जाने वाली सारी कर छूटें इस दोहरे कर से बचाव के उपरान्त ही लाभकारी होंगी ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या अब भारत में वार्ता आरम्भ हो गई है अथवा अभी कुछ समय लगेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मार्च में आगे वार्ता के लिये एक प्रतिनिधि मंडल अमरीका से आ रहा है ।

लोहा और इस्पात समानीकरण निधि

+

†*१३०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में लोहा और इस्पात समानीकरण निधि से प्रति टन कितनी आर्थिक सहायता दी गई ;

(ख) क्या खरीद को नियमित करने के लिये सरकार ने कोई वित्तीय सीमा निर्धारित की है ; और

(ग) क्या संस्था इसका पूरे तौर से पालन करती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) १९५८ में आयात किये गये इस्पात पर औसतन १५३ रु० प्रति टन आर्थिक सहायता दी गई ।

(ख) हां, श्रीमान् । लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्रयाधिकार निश्चित हैं ।

(ग) साधारणतया इसका पालन किया गया है । कुछ सीमान्त मामलों में लोहा और इस्पात नियंत्रक ने सरकारी स्वीकृति की पूर्वाशा में खरीद कर ली थी जो बाद में मिल गई ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि इससे सम्बन्धित संस्था आरम्भ से ही इन सीमाओं का उल्लंघन कर रही है ? क्या यह भी सच है कि इस पर लेखापरीक्षक ने आपत्ति की थी, और यदि हां तो, ऐसे सीमा-उल्लंघन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है। दूसरे भाग के बारे में लेखापरीक्षा की आपत्तियां हुई हैं जिनकी जांच हो रही है।

†श्री सुबोध हंसदा : लोहा और इस्पात के यातायात पर यह आर्थिक सहायता कब तक दी जायेगी तथा लोहा और इस्पात के आयात पर इतनी आर्थिक सहायता देने में इस संस्था का उद्देश्य क्या है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : आयात किये गये इस्पात का मूल्य अधिक है, तथा देश में उपभोक्ताओं को यह उचित मूल्य पर उपलब्ध करने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। यह औद्योगिक विकास तथा इस्पात जैसे मूल धातु के उपभोग में हितकारी है।

†श्री स० चं० सामन्त : १९५८ में कितनी संस्थाओं को इस शर्त पर इस्पात का आयात करने की अनुमति दी गई और कुल मात्रा क्या थी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि इसमें से अधिकतर लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा खरीद के सम्बन्ध में आयात किया गया था। परन्तु यदि पृथक् प्रश्न पूछा जाये तो मैं सम्पूर्ण संगत जानकारी एकत्रित करूंगा।

†श्री स० चं० सामन्त : कुछ संस्थाओं को आयात करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें आर्थिक सहायता दी गई थी। मैं उन संस्थाओं और कुल मात्रा को जानना चाहता हूं।

†सरदार स्वर्ण सिंह : किसी गैर-सरकारी संस्था को यह आर्थिक सहायता नहीं दी गई। आर्थिक सहायता केवल उन खरीदों के बारे में दी गई थी जो लोहा और इस्पात नियंत्रक ने की थीं।

†श्री रा० च० माझी : १९५४ से क्या खरीद की गई और कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न के उत्तर के लिये मैं पूर्वसूचना चा: क्योंकि यह प्रश्न औसत खरीद के बारे में है कुल खरीद के बारे में नहीं।

†श्री च० द० पांडे : इस दृष्टि से कि हम इस वर्ष के अन्त तक इस्पात बनाने लगेंगे और इस्पात आयात करने की आवश्यकता न होगी, क्या सरकार मूल्य लागत के आधार निर्धारित करेगी ताकि मूल्य यहां उत्पादन-लागत तक घटाया जा सके ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह सच है कि हमारा अपना इस्पात उपलब्ध होने पर इस्पात का वर्तमान मूल्य गिर जायेगा। परन्तु उस गिरावट की मात्रा अभी नहीं बताई जा सकती।

†श्री सिंहासन सिंह : क्या इस्पात के मूल्य में प्रायः होने वाली बढ़ोतरी का कारण आयात पर आर्थिक सहायता देना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री ने कहा था कि १९५८ में १५३ रु० प्रति टन आर्थिक सहायता दी गई । चालू वर्ष में कितनी दी जायेगी ; क्या पिछले वर्ष की आर्थिक सहायता में कमी करने या वृद्धि करने का सरकार का कोई विचार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** सम्भवतः चालू वर्ष में आर्थिक सहायता कम होगी क्योंकि इस्पात के विश्व के मूल्यों में कमी हो गई है ।

†**श्री त्यागी :** सरकारी क्षेत्र में बनने वाली वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के बारे में क्या नीति है ? इस्पात के मामले में सरकारी क्षेत्र में इन औद्योगिक उपक्रमों में हुआ लाभ देश पर उत्पाद शुल्क का काम करता है और प्रत्येक को देना पड़ता है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि लाभ का प्रतिशत निर्धारित करने के पूर्व संसद् से परामर्श किया जायेगा अथवा संसद् की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह एक बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर देना मेरा काम नहीं है । इस्पात के मूल्य उत्पादन-लागत तथा विस्तार के लिये निधि बनाने की आवश्यकता की दृष्टि से निर्धारित किये जायेंगे ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि इस निधि की राशि काफी कम हो गई है क्योंकि इस देश में मुख्य इस्पात निर्माता इस निधि में अपना अंश सरकार को नहीं दे रहे हैं ; और यदि हां, तो अब कितनी राशि देय है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरा ख्याल है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है क्योंकि यह केवल हिसाब-किताब का मामला है । साधारण रूप में कुछ समयान्तर रहता है, परन्तु मुख्य निर्माताओं ने देय राशि का भुगतान किया है । संभव है कि कुछ समयान्तर रहा हो, कभी अधिक कभी कम परन्तु यह अधिकतर हिसाब-किताब की बात है ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकारी क्षेत्र में निर्मित इस्पात पर लाभ का प्रतिशत निर्धारित करने के पूर्व संसद् की स्वीकृति ली जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस बारे में मैं वचन नहीं दे सकता । संसद् को सर्वोच्च अधिकार होगा । सदस्य सर्वत्र ही अपना मत दे सकते हैं, तथा एक प्रकार से प्रत्येक बात उनके नियंत्रण में है । अब रही यह बात कि हम प्रत्येक सौदे के बारे में यहां आयेंगे, यह इस समय संगत बात नहीं है ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि महालेखा परीक्षक ने हाल में ही अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इस्पात के मुख्य निर्माताओं से १५ करोड़ से अधिक रुपये इस निधि के लिये बाकी हैं और राशि बहुत समय से देय है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह ठीक है कि लेखा परीक्षा में यह बात कही गई है । मामले पर कार्यवाही हो रही है और उसकी वसूली में मुझे अधिक कठिनाई होने की आशा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में इंजीनियरिंग कालेज

+

†*१३१. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :
श्री कोडियान :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रामी रेड्डी :
श्री सुबिमन घोष :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उसमान अली खां :
श्री राधा रमण :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश उद्योग नई दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कालिज खोलने में सहायता देने से सहमत हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कैसी सहायता देना स्वीकार किया है ;

(ग) भारत सरकार कितना व्यय (पूंजीगत तथा आवर्तक) करेगी ;

(घ) योजना की तफसील और प्राक्कलन क्या हैं ; और

(ङ) कालिज खोलने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) से (ङ). ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश उद्योग फीडेरेशन नई दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कालिज खोलने में सहायता देने को सहमत है और वे (१) २५ लाख पौंड के मूल्य का सामान, तथा (२) पांच वर्ष के लिये आठ प्राध्यापकों की सेवायें उपलब्ध करेंगी ।

नया कालिज दिल्ली विश्वविद्यालय का स्नातक पाठ्यक्रम जो आजकल दिल्ली पालीटेक्निक में होता है, आरम्भ करेगा । कालिज निम्न विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रति वर्ष २५० विद्यार्थी लेगा :

(१) सिविल इंजीनियरिंग,
(२) मैक्निकल इंजीनियरिंग,
(३) इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रोनिक्स सहित),
(४) कैमिकल इंजीनियरिंग, और
(५) टैक्सटाइल टेक्नालोजी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संभव होने पर कालिज छांटे गये कार्य-क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा देगा ।

लागत के विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं । प्रारम्भिक प्राक्कलनों से विदित होता है कि भारत सरकार को लगभग १.२० करोड़ रु० (छात्रावासों तथा कुछ कर्मचारी क्वार्टरों सहित) व्यय करने होंगे । अन्तिम आवर्तक व्यय स्थायी रूप से १३ लाख रु० प्रति वर्ष होने का अनुमान है जो भारत सरकार ही उठायेगी ।

नये कालिज के लिये जगह ले ली गई है तथा इंगलैंड सरकार के प्रतिनिधि मंडल से उनकी सहायता की विस्तृत बातें निश्चित करने पर बातचीत हो रही है ।

†**श्री रा० चं० माझी :** क्या इंगलैंड सामान ऋण पर दे रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** उपहार का प्रस्ताव है ।

†**श्री रा० चं० माझी :** यह कब कार्य आरम्भ करेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह कब यहां पहुंचेगा मैं इसकी तारीख नहीं बता सकता परन्तु हमें आशा है कि यह कालिज द्वितीय योजना के अन्त से पहले कार्य आरम्भ कर देगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में कहा गया है कि आठ प्राध्यापकों को सेवायें विदेशों से ली जायेंगी । क्या हमारे देश में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कैमिकल इंजीनियरिंग के प्राध्यापकों का अभाव है जो हम विदेशों से आठ प्राध्यापकों को ले रहे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** उत्तर दो भागों में है । प्रथम, देश में प्रविधिक संस्थाओं के लिये समस्त रूप में अध्यापकों का अभाव है । द्वितीय, हमें ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्यापकों की सेवायें उपलब्ध होने की आशा है तथा उससे इस कालिज का स्तर ऊंचा होगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण में उल्लेख है कि यह कालिज दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली पालीटेक्निक के कुछ पाठ्यक्रम आरम्भ करेगा । मैं दिल्ली पालीटेक्निक की स्थिति जानना चाहता हूं । क्या यह यहां से हटा दी जायेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** नहीं, यह हटेगी नहीं । यह पालीटेक्निक रहेगी ।

†**श्री बिश्वनाथ राय :** क्या संस्था सभी राज्यों के लिये खुली रहेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह समस्त भारत के विद्यार्थियों के लिये होगी ।

श्री भक्त दर्शन : इस विद्यालय पर इतना ज्यादा रुपया खर्च होने वाला है । मैं जानना चाहता हूं कि इस विद्यालय में और हमारे देश में जो दुसरे इंजीनियरिंग विद्यालय हैं क्या अन्तर होगा । इसमें क्या विशेष शिक्षा दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हुमायूँ कबिर : जितने हमारे विद्यालय हैं उनमें जो खर्च होता है वह बराबर होता है। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण में उल्लेख है कि २५ लाख पौंड वित्तीय सहायता के रूप में दिये जायेंगे तथा पांच वर्षों के लिये आठ ब्रिटिश प्राध्यापकों की सेवायें उपलब्ध की जायेंगी । क्या इन प्राध्यापकों का वेतन इस २५ लाख पौंड से दिया जायेगा या भारत के राजकोष से ?

†**श्री हुमायूँ कबिर :** विवरण में स्पष्ट है कि सहायता दो प्रकार की है, अर्थात् लगभग २५ लाख पौंड का सामान तथा पांच वर्षों के लिये इन आठ प्राध्यापकों की सेवाओं के रूप में और लगभग २५ लाख पौंड की सहायता ।

श्री रामेश्वर टांटिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ सकेंगे और क्या स्टेटवाइज कोटा दिया जायेगा ?

†**श्री हुमायूँ कबिर :** इस कालिज में प्रति वर्ष लगभग २५० विद्यार्थी होंगे । इसके लिये हम राज्यवार कोटा नहीं दे सकते ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण से विदित होता है कि जगह ले ली गई है और शिलान्यास हो गया है । यह इमारत कब पूरी होगी तथा २५० विद्यार्थियों को कब लिया जायेगा ?

†**श्री हुमायूँ कबिर :** मैं बता चुका हूं कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले कार्य करने लगेगा ।

†**श्री जय पाल सिंह :** इसके अखिल भारतीय संस्था होने के कारण, मैं जानना चाहता हूं कि इसी मामले में राज्यवार कोटा क्यों नहीं रखा गया है ?

†**श्री हुमायूँ कबिर :** अखिल भारतीय संस्थाओं में कोई राज्यवार कोटा नहीं है । वे सारे राज्यों के लिये खुली हैं और हम विवरण में प्रादेशिक औचित्य रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । वहां कोटा कोई नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो प्रस्ताव आया है इंजीनियरिंग कालिज का, क्या यह केवल दिल्ली में ही बन सकता है, या इस प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के निकट और भी कहीं यह कालिज बनाया जा सकता है ?

†**श्री हुमायूँ कबिर :** इस कालिज की फाउंडेशन पड़ चुकी है और यह दिल्ली में ही होना चाहिये ।

†**श्री केशव :** इस संस्था में प्रवेश पाने की क्या प्रणाली अपनायी जायेगी ?

†**श्री हुमायूँ कबिर :** भारत सरकार की सभी संस्थाओं के लिये हमारा विचार एक प्रकार की योग्यता-परीक्षा रखने का है । यह भारत में विभिन्न केन्द्रों में होगी एवं प्रवेश विशेष-योग्यता के आधार पर होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१० करोड़ डालर का अमरीकी ऋण

\+
†*१३२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री उस्मान अली खां :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री महन्ती :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या वित्त मंत्री निम्न बातें दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) अमरीका सरकार को विकास ऋण निधि के पिछले १० करोड़ डालर के ऋण से गैर-सरकारी क्षेत्र में किन किन को लाभ पहुंचा है ;

(ख) ये ऋण वास्तव में कैसी परियोजनाओं के लिये दिये गये हैं ;

(ग) पृथक् पृथक् मदों के अन्तर्गत वास्तव में कितना कितना धन दिया गया है ; और

(घ) ऋण की शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७**]

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण में केवल दो भाग हैं, (क) तथा (ख) । भाग (ग) और (घ) का क्या हुआ ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सारा विवरण प्रश्न के भाग (क) से (घ) से सम्बन्धित है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में एक बहुत ही साधारण सी बात कही गई है । टाटा या बिरला या डालमिया जैन या साहू जैन के उपक्रमों को कितना ऋण दिया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस ऋण की प्रक्रिया यह है कि भुगतान भारत सरकार को होता है एवं पिछले वायदों के लिये, अर्थात्, पहिले दिये गये लाइसेंसों के लिये केवल प्रतिपूर्ति की जाती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तो क्या हमें यह समझना चाहिये कि गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये इस १५० लाख डालर के ऋण में से अब तक पूंजी निर्गम या विदेशी मुद्रा समिति ने एक पाई भी नहीं दी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : १५० लाख डालरों में से १०० लाख डालर पिछले क्रय देशों के लिये हैं; अर्थात्, १ सितम्बर, १९५८ से पहिले दिये गये क्रय देशों के लिये इसकी प्रक्रिया यह है कि सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से लाइसेन्स चुनती है और इन्हें चुनने के बाद ही हम अमरीकी सरकार से

---

†मूल अंग्रेजी में

धन की प्रतिपूर्ति के लिये कहते हैं। अतः, किसी पक्ष के लिये आवंटन करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। शेष ५० लाख डालरों के बारे में अभी निर्णय होना शेष है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** सामान्य प्रक्रियानुकूल लाइसेंस प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं के क्रयादेशों के विदेशी विनिमय दायित्वों की पूर्ति के लिये भारत सरकार को १०० लाख डालर दे दिया गया है। क्या हम यह समझें कि ये १०० लाख डालर सरकारी क्षेत्र में या गैर-सरकारी क्षेत्र में इसी सीमा तक विदेशी विनिमय के दायित्वों को पूरा करेंगे ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये हैं।

†**श्री महन्ती :** ये ऋण व्याज की किस दर पर लिये गये हैं तथा उन उपक्रमों से कितना ब्याज लिया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** सरकार ऋण लेती है तथा एक मामले में ५१/४ प्रति वार्षिक और दूसरे मामले में ५१/२ प्रतिशत वार्षिक देते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार ऋण लेने वाले व्यक्तियों से कितना ब्याज लेती है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हम उनसे कुछ नहीं लेते क्योंकि जिनके लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं उनके लिये दायित्व पहिले ही ले लिया गया है। पिछले क्रयादेशों के लिये, सम्भवतः रिज़र्व बैंक ने पहिले ही भुगतान कर दिया है। इसके अन्तर्गत हमें हमारे विदेशी विनिमय दायित्वों के लिये केवल प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने कहा है कि भावी ऋणों के लिये एक अंश रक्षित है और वह किनको दिया जाय इस बारे में निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे ऋणों के लिये जो दिये जाते हैं, क्या सरकार ने ऋण प्राप्त कर्ताओं से वसूली की दर निर्धारित कर ली है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या फैड्रेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स और इंडियन चैम्बर आफ कामर्स जैसे गैर-सरकारी संगठनों से गैर-सरकारी क्षेत्र में ऋण देते समय परामर्श किया गया था ?

†**श्री ब० रा० भगत :** नहीं, श्रीमान्।

श्री रघुनाथ सिंह : इस रुपये को देने में उन राज्यों का भी ख्याल रक्खा जायगा जहां कि काम अधूरा है, जैसे उत्तर प्रदेश में रिहैन्द डैम की हमारी स्कीम अभी भी अधर में झूल रही है ?

श्री ब० रा० भगत : सब बातों पर विचार किया जाता है।

श्री विश्वनाथ राय : उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज़ मैंशेंड हैं, उनमें से किसी को उसमें चालू करने का विचार किया गया है ?

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** प्रश्न के भाग (ग) में पूछा गया है : "पृथक् पृथक् मदों के अन्तर्गत वास्तव में कितना कितना धन दिया गया है।" परन्तु विवरण में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या इन ऋणों की स्वीकृति के लिये कोई प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : हमने गैर-सरकारी क्षेत्र को दो दो मदों के अन्तर्गत धन दिया था। जिन उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी हमने उनके नाम बता दिये हैं।

†श्री जाधव : इन १०० लाख डालरों में से चीनी उद्योग को कितना धन दिया जायेगा ?

†श्री ब० रा० भगत : यह तफसील अभी निर्धारित नहीं हुई है।

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

†*१३३. **श्री केशव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भारत में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये अभ्यावेदन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री केशव :** क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विद्यमान मेडिकल कालेजों में देशी पद्धति जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वास्तव में यह स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। कुछ समय बीता जब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सुझाव का एक संकल्प पारित किया था कि मेडिकल शिक्षा भी उसी के अधीन आ जाये किन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय अभी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है।

दिल्ली में शहीदों के लिये अखिल भारतीय स्मारक

+

†*१३४. **श्री राधा रमण :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री २४ नवम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों के लिये दिल्ली में अखिल भारतीय स्मारक कब तक तैयार हो जाने की आशा है ;

(ख) इस पर कितना व्यय होगा ?

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में इसी प्रकार का स्मारक बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) इस समय यह बता सकना बड़ा कठिन है कि स्मारक के बनने में कितना समय लगेगा ।

(ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार इसकी लागत लगभग १० लाख रुपये होगी ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार का विचार शहीदों की एक सूची तैयार करवाने का है जिनके नाम आदि शहीदों के स्मारक पर खुदवा दिये जायेंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जी नहीं, जहां तक मुझे विदित है, शहीदों के नाम खुदवाने के बारे में निर्णय किया गया है और इसकी सम्पूर्ण सूची तैयार करना बड़ा कठिन होगा । बहुत से शहीद ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, स्वाधीनता संग्राम की शताब्दी को समाप्त हुए लगभग दो वर्ष होने को आ ये, मैं जानना चाहता हूं कि जब उसकी स्मृति में यह स्मारक स्थापित किया जा रहा है तब इस कार्य म इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री गो० ब० पन्त : इस कार्य के लिए काफ़ी गौर करना पड़ता है । पहले तो दिल्ली में जगह ढूंढनी पड़ी और उसके लिए भी उन लोगों से और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स से जिनका कि उससे ताल्लुक था, उन लोगों से मशविरा करना पड़ा, उसके बाद रैड फोर्ट रैम्पर्ट की ज़मीन चुनी गई । फिर आर्ि टैक्ट्स और उनसे मशविरा हुआ कि किस किस्म का यह मैमोरियल बने क्योंकि यह एक बड़ी चीज़ है जिसको बनाने में भी ख़याल होता है कि काफ़ी वक्त लगेगा । यह सब चीज़ें ऐसी नहीं होतीं कि एक सील मुहर एक दम कर दी जाय और वह बन जाय ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार का विचार जनता का सहयोग प्राप्त करने का है और जनता से इस स्मारक के बनाने के लिये चन्दा लिया जायेगा अथवा सारा व्यय सरकार ही वहन करेगी । यदि ऐसा है तो उसकी देख रेख करने के लिये क्या तरीका अपनाया जायेगा ? क्या उसे पुरातत्वीय विभाग को सौंप दिया जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** चन्दे का स्वागत किया जायगा । यह एक शुभ कार्य है, इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की सहानुभूति से उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी ।

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं आशा करता हूं कि फ़क़त कोई एक ऐसी चीज़ नहीं बनाई जायगी और कोई एक दीवार या खम्भा बेकार का खड़ा नहीं कर दिया जायगा बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई एक ऐसी चीज बनायेंगे जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो । क्या ऐसा कोई सुझाव आपके सामने है ?

श्री गो० ब० पन्त : हमारे सामने सुझाव ऐसा है जिससे कि उनकी यादगार मुनासिब तौर पर हो सके ।

†**श्री तंगामणि :** पिछले अवसर पर भी माननीय मंत्री ने कहा था कि स्थान का चुनाव किया जा चुका है और शिल्पियों से श र्तें तय की जा रही हैं । विलम्ब का फिर क्या कारण है और वह निश्चित बताने की स्थिति में क्यों नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक यही प्रश्न श्री भक्त दर्शन ने भी पूछा था और माननीय मंत्री ने उत्तर देने में इतना समय लिया। सम्भवतः माननीय सदस्य हिन्दी में दिये गये उत्तर को नहीं समझ सके हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री कृपा करके यह बतलायेंगे कि इसके लिये कोई ऐसी समिति बनाई गई है जिसमें आर्चिटेक्ट्स, इंजीनियर्स और पब्लिकमैन भी हों ?

श्री गो० ब० पन्त : पहले एक कमेटी बनी थी। जब सन् १९५७ के बारे में शताब्दी मनाई गई थी और उस वक्त इस पर भी ग़ौर हुआ था और इधर जो कुछ कार्यवाही की गई है वह मशविरा इंजीनियर्स, आर्चिटेक्ट्स वगैरह के की गई है।

मद्रास-आन्ध्र सीमा विवाद

†*१३५. **श्री विद्याचरण शुक्ल** :
श्री रामम् :
श्री थानुलिंगम् नादर :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बीच सीमा विवाद के बारे में पाटस्कर पंचाट को शीघ्र कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के बीच सीमा सम्बन्धी समायोजन को प्रभावी बनाने के लिये विधान में उपबन्ध रखने के बारे में मद्रास और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों में विशेष रूप से पत्र-व्यवहार होता रहा है। १७ नवम्बर, १९५८ को आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा का समायोजन) विधेयक का प्रारम्भिक प्रारूप राज्य सरकार को उनकी टीका-टिप्पणी प्राप्त के लिये भेजा गया था। हाल ही में इस पर उनकी टीका-टिप्पणी प्राप्त हो गई है। कुछ बातों पर समझौते के लिये राज्य सरकारों को पुनः यह मामला भेजा जा रहा है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि सरकार पाटस्कर पंचाट को प्रभावी बनाने के लिये संसद् के इसी सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करने वाली है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : हम शीघ्र ही एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिस पर दोनों राज्य सहमत हों यदि हमारा यह प्रयत्न सफल हुआ तो इसी सत्र में हम विधेयक पुरःस्थापित कर देंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : दो दिन पहले मद्रास विधान-सभा में यह कहा गया था कि मद्रास सरकार ने कुछ हेर-फेरों का सुझाव दिया है। क्या विधेयक पर अन्तिम रूप से विचार करने से पूर्व आन्ध्र प्रदेश की सरकार को मद्रास सरकार द्वारा सुझाव दिये गये हेर-फेरों का भी उल्लेख किया जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जी हां।

†**श्री नरसिंहन्** : इस विधेयक से दोनों पक्षों के कौन-कौन से जिले प्रभावित हो सकते हैं ;

†**श्री गो० ब० पन्त** : वे जिले जो सीमा पर हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि बहुत सी अन्य सरकारों ने भारत सरकार से उनके बीच सीमा विवाद को तय करने में पाटस्कर पंचाट लागू करने के लिये कहा है, यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस निवेदन पर विचार किया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : पाटस्कर पंचाट में वास्तव में वे सिद्धान्त हैं जिन पर दोनों राज्य सहमत हैं। मुझे हर्ष है कि इस प्रकार श्री पाटस्कर को महानता प्रदान की जा रही है किन्तु यह तो सम्बन्धित राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वे पाटस्कर सूत्र को स्वीकार करते हैं अथवा कोई अन्य सूत्र ।

†**श्री जाधव** : विभिन्न राज्यों के लिये भिन्न-भिन्न स्तर निर्धारित किये गये हैं ।

आसाम के तेल शोधक कारखाने के लिये स्थान

†*१३६. **श्री राम कृष्ण** :
श्री खुशवक्त राय :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया के विशेषज्ञों ने हाल ही में आसाम के तेल शोधक कारखाने के लिये स्थान का पता लगाने के लिये आसाम का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो आसाम में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाना खोलने के लिये कौन-कौन से स्थानों का सुझाव उन्होंने दिया ;

(ग) क्या सरकार ने किसी स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) रूमानिया के विशेषज्ञों ने इण्डिया रिफाइनरीज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थान के चुनाव के लिये नियुक्त की गई समिति की सहायता की थी ।

(ख) समिति ने कोकराधर, जोगीगोपा, उत्तरी गौहाटी (अमीनगांव) सिल्गांट, नूनमाटी और सिलघट पर सम्भावित स्थानों के रूप में विचार किया ।

(ग) तेल शोधक कारखाना गौहाटी अमीनगांव नामक स्थान में स्थापित किया जायेगा ?

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण** : वास्तविक निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्री के०दे० मालवीय** : यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य आधार-शिला आदि रखने से है, तो यह कार्य दो-तीन मास पश्चात् आरम्भ किया जा सकेगा किन्तु अधिक संक्षिप्त जानकारी कुछ समय बाद ही दी जा सकेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : अमीनगांव का अन्तिम रूप से चुनाव करने में भारत सरकार ने कौन-कौन सी प्रमुख बातें स्वीकार की तथा ये बातें रूमानिया के विशेषज्ञों द्वारा अन्य स्थानों का चुनाव करने के बारे में बताई गई प्रमुख बातों से कहां तक भिन्नता रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : रूमानिया के विशषज्ञों ने भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से प्रौद्योगिकीय दृष्टि से तथा आसाम तेल शोधक कारखाने की दृष्टि से सिफारिश की थी । सरकार के सम्मुख केवल प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण के अतिरिक्त अन्य बातों को भी ध्यान में रखना था और उसे दो तेल शोधक कारखानों की समस्याओं को एक साथ रखना था । आर्थिक तथा अन्य सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निश्चय किया है कि आसाम के तेल शोधक कारखाने के लिये अमीन-गांव गौहाटी सबसे अधिक उपयुक्त स्थान होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : अभी-अभी माननीय मंत्री ने कहा था कि तेल शोधक कारखाने के लिये अन्तिम रूप से स्थान का चुनाव करने में अनेक स्थानों की जांच की गई थी । इस स्थान का चुनाव करने में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** मैं ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं दे सकूंगा किन्तु मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अधिक व्यय हुआ होगा; वह तो पुराने कार्यक्रम का ही एक अंग था । इन जांच-पड़तालों में कम से कम खर्च करना पड़ा था ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि रिफ़ाइनरी के लिए जितनी ज़मीन की ज़रूरत है, क्या वह गोहाटी में उपलब्ध है ।

श्री के० दे० मालवीय : जितनी ज़मीन संतोषजनक तरीके से मिलनी चाहिए, वह गोहाटी में मिलने में कुछ दिक्कत हुई है, लेकिन चूंकि गोहाटी में और सब हालतें संतोषजनक हैं, इसलिए वहां जितनी ज़मीन मिल जायगी, उतनी ज़मीन से काम तो चलायेंगे ही ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : क्या यह सच है कि तेल शोधक कारखाने के लिये रूमानिया के विशेषज्ञों ने ककराधार को सर्वोत्तम स्थान चुना था ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** जी हां, रूमानिया के विशेषज्ञों ने कुछ आधारों पर ककराधार की सिफारिश की थी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : तेल शोधक कारखाना कब से चलने लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी हमारी एक तालिका है और जिसका हम पूर्णरूपेण पालन भी कर रहे हैं अर्थात् तेल शोधक कारखाना १९६१ के आरम्भ में चलने लगेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : रूमानिया से तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये बुलाये गये विशेषज्ञों की राय क्या हमें अमीनगांव में कारखाना विशेष स्थापित करने पर उपलब्ध है, और यदि ऐसा है तो उनकी इस बारे में क्या राय है क्योंकि उन्होंने अन्य स्थानों का सुझाव दिया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक अमीनगांव-गौहाटी क्षेत्र का सम्बन्ध है संक्षिप्त जानकारी जो कि हमें रूमानिया के विशेषज्ञों से प्राप्त करनी पड़ेगी, इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है । किन्तु यह सब आंकड़े एकत्र करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि उनमें से कुछ संभवतः एक-दो दिन में आने वाले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में बाल संग्रहालय

†*१३७. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बाल संग्रहालय की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या इस परियोजना में सहायता करने के लिये कोई विदेशी विशेषज्ञ बुलाया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) इमारतों के नक्शों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है और अब प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

(ख) इस परियोजना में सहायता करने के लिये एक विदेशी विशेषज्ञ को बुलाने का विचार है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में पहले से ही दो-तीन बाल संग्रहालय मौजूद हैं, यदि ऐसा है तो क्या वहां से कोई विशेषज्ञ बुलाया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य श्री प्रताप राय श्री मेहता का उल्लेख कर रहे हैं, जिन्होंने बाल संग्रहालय स्थापित करने की दिशा में कुछ अच्छा काम किया है । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि वह इस तदर्थ समिति के सदस्य हैं जो भारत सरकार को इस बारे में परामर्श दे रही है ।

सेठ गोविन्द दास : . . . . और उस पर कितना खर्च होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं आशा करता हूं कि इस पर कुछ भी व्यय नहीं करना होगा क्योंकि हमें विशेषज्ञ यूनेस्को के द्वारा मिल जायेगा । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यूनेस्को की निधि में भारत का भी अंशदान रहता है, इस कारण हमें उससे कुछ सहायता लेने का भी अधिकार प्राप्त है। यह आपसी सहायता कार्यक्रम पर आधारित है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य स्थानों में भी इस प्रकार के संग्रहालय बनवाये जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** निस्सन्देह जहां कहीं भी सम्भव हो सकेगा सरकार बाल संग्रहालय स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देगी ।

कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति

†*१४०. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के निर्णय किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) जी हां, आसाम और आन्ध्र के अतिरिक्त बंगाल, बिहार कोयले की खानें तथा उसके आस-पास की कोयले की खानों के बारे में प्रमुख प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन की अभी जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** आन्ध्रप्रदेश और आसाम की कोयले की अन्य खानों के बारे में कब तक प्रतिवेदन प्राप्त होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस में कुछ सप्ताहों से अधिक समय नहीं लगना चाहिये अर्थात् मोटे तौर से एक मास लगेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या बिहार-बंगाल के कोयले के मूल्य के बारे में तब तक निर्णय नहीं किया जायेगा जब तक कि आन्ध्र प्रदेश और आसाम के बारे में प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हो जाता अथवा सीधे-सीधे कोई निर्णय नहीं कर लिया जाता ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह कार्यवाही के लिये सुझाव मात्र है । मेरा विचार यह है कि यदि सम्भव हो सके तो मैं दोनों को एक-दूसरे के साथ न जोड़ूं ।

बालकों के लिये अवकाश-गृह

†*१४२. { **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन् :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालकों के लिये अवकाश-गृह बनाने की योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जा रही है ।

†**श्री तंगामणि :** पहले अवसर पर भी हमें यही उत्तर दिया गया था । क्या सरकार बच्चों के लिये अवकाश-गृह चलाने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** मैं स्वीकार करता हूं कि इस परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय करने में कुछ विलम्ब हुआ है किन्तु हमें राज्य सरकारों से भी परामर्श लेना था जिन्होंने इनकी स्थापना के लिये कुछ स्थान बताये हैं । अब मंत्रालय केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से बात-चीत कर रहा है । और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये । किन्तु विलम्ब के लिये मैं इस सभा से क्षमा चाहूंगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** २८ नवम्बर, १९५८ के एक उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था :—

"योजना का ब्यौरा और उस पर आने वाले खर्च का हिसाब अभी तयार करना बाकी है ।"

क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि वास्तविक योजना क्या होगी तथा इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पहाड़ों पर बहुत सी जगहें खाली पड़ी हैं और यह सुझाव दिया गया था कि हम इन स्थानों का उपयोग बाल अवकाश-गृह स्थापित करने में कर सकते हैं जिनमें बच्चों के लिये हम मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से मंत्रालय इस प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है।

†**श्री स० का० बनर्जी :** क्या मसूरी तथा अन्य पहाड़ी स्थानों में जिन राजा-महाराजाओं के बड़े-बड़े भवन हैं उनसे इस बारे में बात की गई है और क्या वे इस कार्य के लिये अपने मकान देने को सहमत हो गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हम राजाओं और महाराजाओं के पास नहीं गये फिर भी बहुत-सी जगहें खाली पड़ी हैं और मंत्रालय उन का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने इस योजना के संबंध में कोई रुपये निश्चित किये हैं और इस के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम निर्धारित की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की गई है किन्तु हमारी अनेक परियोजनायें हैं जिन के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के आरम्भ किये जाने पर उसे सहायता दी जा सकेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह अवकाश-गृह केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा स्कूल प्राधिकारियों के सहयोग से चलाये जायेंगे और उन में से विभिन्न अभिकरण उस का कितना अनुपात व्यय करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन सारी बातों पर चर्चा की जा रही है और हम इस की जांच कर रहे हैं कि क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस कार्य को कर सकता है।

†**श्री जाधव :** किन-किन राज्यों ने इस संबंध में अब तक अपनी योजनायें प्रस्तुत कर दी हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास राज्यों का ब्यौरा नहीं है किन्तु अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि पहाड़ी स्थानों में बहुत सी इमारतें खाली पड़ी हैं। मेरे पास उन सब राज्यों की सूची नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों पर हमला

*१४३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ दिसम्बर, १९५८ को ग्रामीणों के एक दल ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ अफसरों तथा कर्मचारियों पर हमला किया जिस के परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों को चोटें आईं और कुछ मशीनें और अन्य सामान भी नष्ट हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना के कारण, घायल व्यक्तियों की संख्या और उन के पद तथा नष्ट हुए सामान के ब्यौरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उपद्रवकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) से (ग). जी, हां। उत्तर प्रदेश में काम करने वाली तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भूकम्पीय पार्टी की जीप एक चार वर्ष के बालक पर से गुजर गई। जिस से उस बालक की मृत्यु हो गई। ग्रामीण नाराज हो गये और उन्हों ने भूकम्पकीय पार्टी के कमचारियों पर हमला किया, इस से कर्मचारियों के चोटें आई। गाड़ी और भूकम्पकीय केन्द्र पर हमले हुए, नुकसान हुआ, और वस्तुयें सड़क पर पड़ी रहीं।

सामान का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, न ही कर्मचारियों को बहुत चोटें आई।

†**एक माननीय सदस्य :** उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा जाये।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं नें अपने प्रश्न के खंड (ग) में यह जानने का प्रयत्न किया था कि जिन लोगों की वजह से ये चोटें लगीं हैं, उन के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई है? लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। इस का क्या मैं यह अर्थ लगाऊं कि उन के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है?

श्री के० दे० मालवीय: जिन लोगों की वजह से इन कर्मचारियों को चोटें लगीं, उस की पुलिस ने तहकीकात की और मामला गालिबन रफा दफा कर दिया गया। जो बच्चे को आघात पहुंचा, उस की मृत्यु हो गई, उस के बारे में हरजाने का प्रश्न विचारणीय है और गालिबन शीघ्र ही उस का फैसला हो जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्योंकि यह झगड़ा एक छोटे बालक की मृत्यु के कारण प्रारम्भ हुआ, अतः मैं जानना चाहता हूं कि उस बालक के माता पिता को कौन सी तात्कालिक सहायता दी गई और कब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम फैसला हो जायेगा ताकि उन को पूरी सहायता दी जा सके?

श्री के० दे० मालवीय : तात्कालिक सहायता तो दी गई लेकिन अन्तिम फैसला मैं समझता हूं बहुत शीघ्र हो जायेगा।

उड़ीसी नृत्य और संगीत

†*१४४. **श्री सूपकार : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी द्वारा उड़ीसी नृत्य और संगीत के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां। एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) समिति की सिफारिशें निम्न हैं :—

(१) एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की जाये तथा देश के विभिन्न भागों में चालू भिन्न-भिन्न प्रकारों के बारे में आंकड़े एकत्र किये जायें।

(२) प्रश्नावली के तैयार हो जाने पर उसे राज्य की सभी अकादमियों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, विभिन्न गोष्ठियों में भाग लेने वालों, राज्य सरकारों तथा अन्य ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों को भेजा जाना चाहिये।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री सूपकार :** क्या सरकार प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेगी अथवा सभा के सदस्यों को उसे उपलब्ध करायेगी ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** यह अन्तरिम प्रतिवेदन है और उस में इस के अलावा कोई सिफारिश नहीं की गई है कि प्रश्नावली भेज दी जाये। यदि आप चाहें, तो मैं उसे सहर्ष सभा पटल पर रख दूंगा।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** सरकार प्राचीन नृत्यों और देश के नैतिक सुधार में से किस को अधिक महत्वपूर्ण समझती है।

†**श्री हुमायूं कबिर :** जनता के सुधार में प्रत्येक का अपना-अपना अलग स्थान है।

†**श्री पाणिग्रही :** प्रश्न यह था कि क्या उड़ीसी नृत्य को शास्त्रीय बताया गया था और क्या जैसी कि समिति ने सिफारिश की है, सरकार ने उसे शास्त्रीय नृत्य स्वीकार कर लिया है।

†**श्री हुमायूं कबिर :** मैं सभा को बता चुका हूं कि इस से पहले भी इस प्रश्न का उल्लेख एक विशेष समिति को किया गया था कि वह इस बात पर परामर्श दे कि क्या यह नृत्य एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य समझा जाना चाहिये। किन्तु समिति ने सुझाव दिया है कि हम एक नया वर्गीकरण कर सकते हैं जिसे परम्परागत कहते हैं अनिवार्यतः शास्त्रीय नहीं और उड़ीसी नृत्य को हम परम्परागत नृत्य में रख सकते हैं।

भारतीयों के अधिकार में विदेशी आस्तियां

†*१४५. { **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५९ को भारतीयों के अधिकार में लगभग कितनी राशि की विदेशी आस्तियां थीं; और

(ख) क्या इन आस्तियों में से धन ले कर विदेश जाने वाले भारतीयों को इस मामले में सरकार को वस्तुतः रिपोर्ट देनी पड़ती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) १९५५ में रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय संयुक्त स्कन्ध समवायों के विदेशी दायित्वों और आस्तियों, जिन में बैंकिंग और बीमा कम्पनियां भी शामिल हैं, विदेशी प्रतिभूतियों, बैंकिंग कम्पनियों और और नामनिर्देशित लोगों, अभिकर्ताओं अथवा भारत में रहने वाले व्यक्तियों और अंशभागियों की ओर से उन के हिस्सों और ऋण पत्रों के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार विदेशों में १९५५ के अन्त में दीर्घकालिक आस्तियां ६२·६९ करोड़ रुपये की थीं। इस सर्वेक्षण में उन व्यक्तियों की आस्तियां शामिल नहीं थीं जो विदेशों में थे तथा भारत सरकार और रिजर्व बैंक के पास ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई भी व्यक्ति विदेश के किसी बैंक में न तो अपना लेखा खोल सकता है और न ही वह लेखा रख सकता है जो १९४७ से पूर्व स्टर्लिंग लेखे में शामिल नहीं था।

२. १९५५ के पश्चात् कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया और इस कारण १९५५ के पश्चात् स्थिति में जो परिवर्तन हुए उन के बारे में ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। विदेशी मुद्रा इसलिये नहीं दी जाती कि विदेशों में और अधिक स्टर्लिंग प्रतिभूतियां अथवा आस्तियां प्राप्त कर ली जायें तथा प्रतिभूतियों के बेचने से जो आय हो अथवा अन्य आस्तियां विनियमों के अनुसार भारत में आनी चाहियें। अतः आशा यह है कि विनियम नियंत्रण के आधार पर इस में कुछ कमी हुई है और आंकड़े भी पूरे उपलब्ध नहीं हैं। यह कमी नवम्बर, १९५८ में पिछले आंकड़ों की तुलना में कुल ०.५० करोड़ रुपये हुई।

(ख) विदेश जाने वाले भारतीय जो विदेश में अपने व्यय के लिये अपनी विदेशी मुद्रा आस्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने के लिये रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से अनुमति लेनी होगी जब तक कि उस राशि का उपयोग विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन विनिमय नियंत्रण से विशिष्ट रूप से मुक्त न हो।

श्री मोहम्मद इलियास : विवरण से पता लगता है कि विदेशों में दीर्घकालिक आस्तियां ६२.६९ करोड़ रुपये के मूल्य की हैं। क्या मैं उसके अलग-अलग आंकड़े जान सकता हूं कि भारतीयों की कितनी आस्तियां ब्रिटेन में हैं और कितनी पाकिस्तान में?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं इसके लिये विशिष्ट पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण बताता है कि सर्वेक्षण १९५५ से पहले संयुक्त स्कन्ध समवायों की आस्तियों का पता लगाने के लिये किया गया था। उसमें विदेशों में जो व्यक्ति हैं, उनकी आस्तियां शामिल नहीं हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि घृणास्पद "जैन के मामले" के पश्चात् सरकार ने भारतीयों उद्‌भव के व्यक्तियों अथवा विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आस्तियों का सर्वेक्षण करना आव- नहीं समझा?

†**श्री ब० रा० भगत :** आस्तियों का सर्वेक्षण?

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण बताता है कि सर्वेक्षण १९५५ से पहले किया गया था जिसमें संयुक्त स्कन्ध समवायों आदि की आस्तियां ही शामिल हैं, व्यक्तियों की नहीं। मैं जानना चाहता था कि जैन का मामला हो जाने के पश्चात्.......

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने पुनरुक्ति क्यों की?

†**श्री हेम बरुआ :** ....व्यक्तियों की आस्तियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब० रा० भगत** : इसी कारण कि व्यक्ति इसका पालन नहीं करेंगें वे अपनी आस्तियां नहीं बताना चाहेंगे ?

†**श्री त्यागी** : उन्हें जेल भेजा जायेगा ।

†**श्री ब० रा० भगत** : जब तक हमें पता न हो तब तक हम उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं। जब हमें पता लगता है तो हम ऐसे व्यक्तियों को पकड़ते हैं और उन्हें दण्ड देते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार निस्सहाय और शक्ति रहित है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह स्थिति का पता लगाये कि हम क्या कर सकते हैं । हम जब यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति की अनधिकृत रूप से विदेशों में आस्तियां हें तो हम उन्हें पकड़ते हैं, अन्यथा उन्हें पकड़ने से कोई लाभ नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण में कहा गया है :

> "कोई भी व्यक्ति विदेश के किसी बैंक में न तो अपना लेखा खोल सकता है और न ही वह लेखा रख सकता है जो १९४७ से पूर्व स्टर्लिंग लेखे में शामिल नहीं था ।"

क्या हम यह समझें कि सरकार को यह आश्वासन प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति ने १९४७ के पश्चात् बैंक में अथवा स्टर्लिंग लेखा खोला है ? यदि ऐसा है, तो यह निष्कर्ष सरकार ने किस प्रकार निकाला है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जब तक रिज़र्व बैंक से अनुमति न मिल जाय तब तक कोई व्यक्ति ऐसा लेखा नहीं रख सकता । किन्हीं-किन्हीं मामलों में रिज़र्व बैंक व्यापार अथवा अन्य सद्भाव कार्यों के लिये लेखा खोलने की अनुमति दे देता है । इनके अतिरिक्त कोई की व्यक्ति देश से बाहर अपना लेखा नहीं रख सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या हम यह समझें कि सरकार इस मामले में असमर्थ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को इसका पता है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के विपरीत ऐसे लेखे खोले गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : हो सकता है कि इस प्रकार के कुछ लेखे हों । उनका पता लगाना कठिन कार्य है ।

†**श्री हेम बरुआ** : किन्तु विवरण से ऐसा कुछ पता नहीं लगता, यह पूर्ण निश्चयात्मक हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : १९५५ में जो सर्वेक्षण किया गया था उसे देखते हुये अब सरकार सर्वेक्षण कराने के बारे में क्या कार्यवाही करेगी जिससे हमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों की विदेशी आस्तियों की नवीनतम स्थिति का पता लग सके ?

†**श्री ब० रा० भगत** : रिज़र्व बैंक एक निश्चित अवधि के उपरान्त समय-समय पर सर्वेक्षण करता रहता है । यह सर्वेक्षण बहुत जल्दी थोड़े थोड़े समय के उपरान्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके लिये अत्यधिक आंकड़े एकत्रित और संकलित करने पड़ते हैं और विभिन्न स्थानों से जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। परन्तु फिर भी जब भी सुविधा होती है, रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण कर लेता है।

†**श्री सिंहासन सिंह :** जैसा कहा गया है, उससे तो यह मालूम देता है कि रिज़र्व बैंक के पास सभी आंकड़े हैं। अतः जब सभी आंकड़े रिज़र्व बैंक के पास हैं तो इस बारे में उससे जानकारी प्राप्त करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? रिज़र्व बैंक जांच कर सकता है और कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना बाहर अपना हिसाब नहीं ख ल सकता। अतः रिज़र्व बैंक से यह आसानी से जाना जा सकता है कि किस-किस व्यक्ति का बाहिर हिसाब है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य न प्रश्न का उत्तर समझा ही नहीं है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** सम्भव है कि कुछ एक व्यक्तियों ने रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना ही विदेशों में अपना हिसाब खोल लिया हो।

†**श्री सिंहासन सिंह :** वह कैसे ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** अवैध रूप से। यदि वे पकड़े जायें तो उन पर फौजदारी मुकदमा चलता है और उन्हें दण्ड दिया जाता है। परन्तु विदेशों में बैंकों का यह नियम है ि वे नाम बताते नहीं हैं। अतः यह जानना असम्भव है कि क्या किसी व्यक्ति का किसी विदेशी बैंक में हिसाब है या नहीं। स्विटजरलैंड के बैंकों में नाम भी नहीं रखे जाते। वहां तो केवल अंक रखे जाते हैं। इसीलिये यह जानना असम्भव है कि किस-किस व्यक्ति का उन बैंकों में हिसाब है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हाल ही में श्री शान्ति प्रसाद जैन की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर कुछ एक बातें प्रकाश में आयी हैं और इन रिपोर्टों को भी ध्यान में रखते हुये कि आयातकर्ता विदेशी बैंकों में रुपया जमा करने की दृष्टि से लोहे और इस्पात के बीजकों की राशि को बढ़ा कर दिखाते हैं। सरकार ने सम्पूर्ण प्रक्रिया को सुदृढ बनाने के लिये अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है और उनसे अभी तक क्या-क्या अन्तरिम परिणाम निकले हैं—मैं यह परिणाम केवल कानून बना देने की दृष्टि से ही नहीं पूछ रहा हूं, अपितु यह जानना चाहता हूं कि उनसे अभी तक क्या-क्या ठोस परिणाम निकले हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई :** जो लोग भी इस सम्बन्ध में पकड़ गये हैं, उन्हें उचित दण्ड दिया गया है। हम अन्य स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु इस पर नियंत्रण रखना असम्भव है। यह कहना असम्भव है कि हम कोई ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे जिससे यह बात पूर्णतया रुक जायगी।

अल्प बचत योजना

+

†*१४६. { **श्री कोडियान :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १९५८ में अल्प बचत योजना के आन्दोलन को तीव्र बनाने की दृष्टि से क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप १९५८ में वास्तविक संचित धन राशि में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) बचत आन्दोलन तो निरन्तर चलता रहता है । १९५८ में जो कार्यवाहियां की गयी हैं उनमें से मुख्य मुख्य कार्यवाहियां ये हैं :—

आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग प्राधिकृत अभिकर्ताओं की अधिक संख्या में भर्ती, राज्य बचत तथा डाक सर्किल समन्वयकारी समितियों की स्थापना, प्राधिकृत अभिकर्ताओं के द्वारा ही सरकारी बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री और डाक बचत बैंकों में चैक पद्धति का विस्तार ।

(ख) जी हां ।

(ग) १९५८ के पत्री वर्ष में कुल ७९·२२ करोड़ रुपये जमा हुये हैं जब कि १९५७ में ५०.८५ करोड़ रुपये जमा हुये थे ।

†**श्री कोडियान :** इस योजना के अधीन द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में कितनी राशि जमा करने की प्रस्थापना थी और वास्तव में कितनी राशि अभी तक जमा हुई है !

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** १९५८–५९ के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । १९५५–५६ में कुल ६७·९१ करोड़ रुपये जमा हुए थे; १९५६–५७ में ६१·५२ करोड़ रुपये जमा हुए थे; १९५७–५८ में ६६·५६ करोड़ रुपये जमा हुए थे; और १९५८–५९ में जनवरी तक ४७·१३ करोड़ रुपये जमा हुए हैं ।

†**श्री कोडियान :** सरकार इस योजना को गहन बनाने के लिये और आगामी वर्ष के लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या-क्या अतिरिक्त कार्यवाहियां कर रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** लक्ष्य को पूरा करने के लिये और राशि को बढ़ाने के लिये हम अच्छे से अच्छे उपाय लागू कर रहे हैं । सरकार इस दृष्टि से कार्यवाहियां कर रही है और भविष्य में भी कार्यवाही करती जायेगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि लोग अल्प बचत योजना में पैसा दें इसके लिये सरकार ने सक्रिय रूप से कौनसा कदम उठाया है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** बहुत सारे एजेन्ट्स बहाल किये गये हैं ताकि वे गांवों में भी जाकर के इस बात की घोषणा करें कि स्माल सेविंग्स की योजना कितनी प्रभावशाली और अच्छी है । इस तरह के करीब ६०,००० एजेन्ट्स अब तक बहाल किये गये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : हमारे वित्त मंत्री क्या कभी गांवों का दौरा करने गये हैं यह देखने के लिये कि कितने एजेण्टस वहा पर काम करते हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मंत्रियों के लिये यह सम्भव नहीं होता कि वे बहुत से गांवों में जायें ।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या यह बात सही है कि गांवों में अल्प बचत योजना के फैलाने में सबसे अधिक कठिनाई डाकखानों की सुविधा का प्राप्त न होना है ? और अगर यह दुरुस्त है तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** हर पोस्ट आफिस में जो सर्किल हैं उनमें एक कोआर्डिनेटिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें कि नशनल सेविंग्स के भी आदमी रहते हैं और पोस्ट आफिस के भी आदमी रहते हैं। वे इस बात की जांच पड़ताल करते हैं कि कहां पर कौन सी सुविधा देनी चाहिये। इस तरह की कमेटियां जिलों में और तहसीलों में भी बनाई गई हैं।

†**श्री खडिलकर :** प्रैस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जहां तक अल्प बचत आन्दोलन का सम्बन्ध है, उस दृष्टि से कांग्रेस सम्मेलन में किये गये मनोरंजन कार्यक्रमों से पर्याप्त लाभ हुआ था। क्या सरकार विभिन्न केन्द्रों में उसी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सरकार तथा सरकार की एजेन्सियां अल्प बचत आन्दोलन को गति देने के लिये इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का सदा प्रयत्न करती रहती है।

†**श्री गोरे :** सरकार के पास राशि जमा कराने के बाद उसमें से कितनी राशि अभी तक निकाली जा चुकी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अभी मैंने जिन राशियों का उल्लेख किया है वे कुछ धन निकाल लिये जाने के बाद बची हुई शुद्ध राशियां हैं। धन तो विशेष कर डाकखाना बचत के हिसाब से निकाले जाने का काम तो निरन्तर चलता ही रहता है। अतः यह जानना बड़ा कठिन है कि किस समय पर कितना धन निकलवाया गया था।

श्री बाजपेयी : अल्प बचत योजना की सफलता के लिये सिनेमा के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की सेवायें प्राप्त करने के नैतिक औचित्य के सम्बन्ध में भी क्या सरकार ने विचार किया है, जैसा कि नागपुर में किया गया ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह कोई अनैतिक बात नहीं है। जिससे भी कोई सेवा हो सके स्माल सेविंग्स के सम्बन्ध में, फिर चाहे वह पार्लियामेंट का मेम्बर हो या सिनेमा में काम करने वाला हो, उसकी सेवा प्राप्त करना कोई अनैतिक बात नहीं है।

चन्दन थोपे गोली कांड जांच आयोग

†*१४७. **श्री ई० उमाचरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चन्दन थोपे गोलीकांड जांच आयोग की इस टिप्पणी की ओर आकृष्ट किया गया है कि फौजदारी मामलों को वापिस ले लेने से और श्रम विवाद का निपटारा करते समय पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के एक विशेष प्रकार के वर्ग को विधि और व्यवस्था को भंग करने के लिये बढ़ावा मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार को बन्द करने के सम्बन्ध में क्या-क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां। केरल सरकार से उस रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हुई हैं।

(ख) आशा है कि राज्य सरकार जांच आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर शीघ्र ही विचार करेगी। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पुन्नूस :** इस रिपोर्ट में कई बातें बतायी गई हैं। मैं समझता हूं कि उसमें उस **राज्य** की कई लोकप्रिय सरकारों द्वारा औद्योगिक विवादों को निपटाते समय मामलों **को वापिस** लेने के उपायों की ओर निर्देश किया गया है। क्या मेरा अनुमान ठीक है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** उस रिपोर्ट में से कुछ अंश मेरे सामने हैं। यदि आप कहें **तो मैं** उन्हें पढ़ भी सुना दूं, परन्तु वैसा करने से उन्हें कोई विशेष लाभ न होगा। रिपोर्ट **में** यह सुझाव दिया गया है कि फौजदारी कानून को लागू करने में किसी के साथ भी भेद-भाव **पूर्ण** व्यवहार नहीं करना चाहिये। इस प्रकार के फौजदारी मामलों को वापिस ले लेना अवैध है—चाहे कोई भी शासक दल हो किसी ने भी इस प्रकार के मामले वापिस नहीं लिये हैं; और न ही किसी व्यक्ति या दल को यह समझना चाहिये कि उसके साथ पक्षपात-**पूर्ण** व्यवहार होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात और लौह का उत्पादन

†*१३९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतानें **की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५८ से तैयार इस्पात, कच्चे लोहे और इस्पात पिण्डकों के उत्पादन **में** कुछ कमी हो गयी है;

(ख) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में यह कमी सब से अधिक हुई है; **और**

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुरस्कार बन्ध योजना

†*१४१. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रकार के लोगों को बचत के लिये उत्साहित करने के **लिये** पुरस्कार बन्ध जारी करने की योजना को **अब** छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसके स्थान पर कोई और योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख). जैसा कि ३ सितम्बर, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४०४ के उत्तर में बताया गया था, पुरस्कार

---

†मूल अंग्रेजी में

बन्ध जारी करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना नहीं है। पुरस्कार बन्धों के विषय में प्रमुख आपत्ति यह है कि वे लोगों में जुए की भावना पैदा करते हैं। ये अधिकतर उन लोगों के लिये आकर्षक सिद्ध होते हैं जो कि वैधतरीकों से बहुत कम रुपया बचा सकते हैं, और इन बन्धों का केन्द्र तथा राज्यों के स्वाभाविक लेन देन और स्वेच्छा से बचत करने के आन्दोलन पर बुरा असर पड़ता है। और फिर उनसे कोई अधिक अतिरिक्त राशि भी एकत्रित न होगी और इस प्रकार से एकत्रित राशि में से अधिकतर राशि तो वह होगी जिसे किसी अन्य बचत की राशि में से निकाल कर इस ओर लगाया जायगा।

(ग) और (घ). पहले कई अन्य आकर्षक अल्प बचत योजनायें चल रही हैं और पिछले मास ही एक नयी योजना लागू की गई है जिसका नाम "डाक घर संचयी अवधि निक्षेप योजना" है। इस योजना के अन्तर्गत ५ से १० वर्षों के लिये प्रतिमास ५ रुपयों से २०० रुपये जमा करवाये जा सकते हैं और उक्त अवधि के उपरान्त मूल राशि व्याज सहित वापिस मिलेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त

†*१४६. { **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
श्री माने :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समय पूर्व अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्तों की संख्या को ७ से बढ़ा कर १६ कर देने का निर्णय किया था;

(ख) क्या उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा) :** (क) जी, हां।

(ख) सात सहायक आयुक्तों के अतिरिक्त तीन और भी नियुक्त किये गये थे, जिनमें से एक सहायक आयुक्त ने काम करना बन्द कर दिया है।

(ग) मितव्ययता की नीति को ध्यान में रखते हुए अभी और कोई भी नियुक्ति नहीं की गयी है।

पदोन्नति के नियम

†*१५०. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के इस सुझाव को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या किया गया है कि उच्च ग्रेडों में पदोन्नतियां गुणों के आधार पर की जायें;

(ख) वर्तमान नियम क्या हैं और उन्हें इसके अनुसार बनाने के लिये क्या क्या संशोधन करने का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५८-५९ में उप-सचिवों तथा उनके ऊपर के पदों में उन्नति करते समय कितने व्यक्तियों की वरिष्ठता को न देख कर उनके गुणों को ध्यान में रखा गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). चुनाव मुख्य रूप से गुणों के आधार पर किया जाता है और पदोन्नतियां उन्हीं के अनुसार की जाती हैं । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) उप सचिवों तथा उनसे उच्च पदाधिकारियों के स्थान भारतीय प्रशासन सेवा तथा केन्द्रीय सेवा क्लास १ के पदाधिकारियों में से सेवावधि के आधार पर भरे जाते हैं । उप-सचिवों की पदोन्नति के लिये योग्यता के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड १ के पदाधिकारियों में से भी चुनाव किया जाता है । १९५८-५९ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड १ के अफसरों में से २६ अफसरों को वरिष्ठता-तथा-योग्यता के आधार पर उप-सचिवों के पदों पर अल्पकालीन रूप से पदोन्नत किया गया था । उस अवधि में किसी को भी दीर्घकालीन रूप से पदोन्नत नहीं किया गया था ।

इस्पात समानीकरण निधि

†*१५१. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात समानीकरण निधि के लिये मुख्य मुख्य इस्पात निर्माताओं से सरकार को कुल कितनी राशि लेनी बकाया बच गयी है;

(ख) क्या उस राशि को अदा कर देने के लिये कोई अवधि निश्चित कर दी गयी है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ३१-१-५९ को १६.२० करोड़ रुपये । पर हां, हाल ही में घोषित की गयी प्रतिधारण कीमत में वृद्धि होने के कारण ६.१८ करोड़ रुपयों के दावों को उक्त बकाया राशि में से ही पूरा करना होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) गत दस वर्षों से अधिक समय से मुख्य-मुख्य निर्माता नियमित रूप से समानीकरण निधि में राशि जमा कराते रहे हैं और इस सम्बन्ध में किसी भी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है ।

(घ) सरकार उन प्रमुख निर्माताओं से उन बकाया राशियों के सम्बन्ध में बातचीत कर रही है और आशा है कि वे शीघ्र ही अपनी अपनी राशि अदा कर देंगे ।

भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय मामले

†*१५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बकाया वित्तीय मामलों को सुलझाने के लिये कोई बैठक करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह तिथि क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है ।

छात्रवृत्तियां

†*१५३. **श्री द० अ० कुट्टी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर तथा बम्बई राज्यों के कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को १९५८-५९ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य प्रकार के पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के उपरान्त छात्रवृत्तियां देने की योजना के अधीन अभी तक छात्रवृत्तियां नहीं दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विद्यार्थियों की असुविधा को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) बम्बई तथा मैसूर राज्यों के २,६३९ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये संस्थाओं के प्रिंसिपलों के पास राशियां भेज दी गई हैं। शेष विद्यार्थियों के लिये भी राशियां भेजी जा रही हैं ।

(ख) और (ग). इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों के सभी पात्र विद्यार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लेने के लिये २५ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि केवल नवम्बर १९५८ के उत्तरार्द्ध में ही उपलब्ध की गई थी, इसलिए छात्रवृत्तियां देने में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है । छात्रवृत्तियां शीघ्र ही दे देने के सम्बन्ध में हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है ।

सैनिक स्कूल, देहरादून

†*१५४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून के सैनिक स्कूल का नाम बदल कर राष्ट्रीय इण्डियन मिलिटरी कालेज (राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज) रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इस प्रकार की एक प्रस्थापना विचाराधीन है ;

(ख) स्कूल के ओल्ड ब्वायज़ एसोसियेशन का नाम "रिमकोलियन्स" है और उनके बटनों, बैजों, पुरानी चांदी की ट्राफियों, लकड़ी की खुदाइयों, एलबमों इत्यादि सभी पर "आर० आई० एम० सी०" लिखा हुआ है । वरिष्ठ सैनिक पदाधिकारियों में से अधिक पदाधिकारी इसी स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी हैं । इन पदाधिकारियों तथा स्कूल के छात्रों का यही विचार है कि स्कूल का नाम "आर० आई० एम० सी" रहने दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज

†*१५५. { श्री ई० मधुसूदन राव :
श्री दे० वे० राव :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के लिये स्थान के चुनाव के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) कालेज की स्थापना के लिये अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने यह सूचित किया है कि उसने वारंगल में कालेज की स्थापना के लिये लगभग २५० एकड़ भूमि के एक प्लाट का चुनाव कर लिया है और उस भूमि की वसूली के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। आशा है कि जुलाई १९५९ में कालेज का काम प्रारम्भ हो जायगा और इस कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा अस्थाई रूप से एक इमारत ले ली गई है। यह योजना राज्य सरकार की १९५९-६० की वार्षिक योजना में सम्मिलित की गई है।

केन्द्रीय भवन निर्माण गवेषणा संस्था, रुड़की

†*१५७. { श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भवन निर्माण गवेषणा संस्था ने यह सम्भावना प्रस्तुत की है कि कपास की काली मिट्टी से अच्छी किस्म की ईंटें बन सकती हैं और संस्था में ईंटें बनाने वाली एक हाथ की मशीन का डिजाईन भी तैयार किया है। जिससे प्रतिदिन २,००० ईंटें बनाई जा सकेंगी।

(ख) क्या इस गवेषणा के सम्बन्ध में अच्छी प्रकार से प्रचार कर दिया गया है और उस का किसी भी उद्योग में प्रयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस किस उद्योग में; और

(घ) ईंटें बनाने वाली मशीन पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी हां, मैसर्स जे० के० आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड कानपुर और मैसर्स सुपर क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता को ईंटें तथा ब्लाक बनाने वाली मशीनें तैयार करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, आशा है कि यह फर्में शीघ्र ही मशीनें बनानी प्रारम्भ कर देंगी।

(घ) ६००.

---

†मूल अंग्रेज़ी में

देहरादून में भूतत्वीय प्रयोगशाला

†*१५८ **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून में भूतत्वीय प्रयोगशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में और उस में भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) वहां पर कितने भारतीय प्रशिक्षाणार्थी हैं और रूस की ओर से भेजे हुए कितने शिक्षक हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) १९५७ में देहरादून में भूतत्वीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है। चार शिक्षकों को विशेष विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा गया था ।

(ख) वहां पर इस प्रकार के कोई भारतीय प्रशिक्षणार्थी तो नहीं हैं। प्रयोगशाला में अनुसंधान का कार्य प्रशिक्षित तथा अनुभवी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है और वे ही नये व्यक्तियों को प्रशिक्षण देते हैं। रूस द्वारा कोई भी शिक्षक नहीं भेजा जा रहा ।

राजभाषा

†*१५९. { **श्री झूलन सिंह** :
श्री पद्म देव :
श्री वाजपेयी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर कब रखा जायेगा।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : इसी सत्र में।

चुनाव चिह्न

*१६०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **विधि** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में नगरपालिका, जिला परिषद् तथा ग्राम पंचायतों के चुनाव में स्वतन्त्र उम्मीदवारों को वही चिह्न दिये गये जो मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा विधिवत् नियत किये जा चुके थे; और

(ख) इस प्रथा को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) इस की जानकारी उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार राज्य सरकारों से यह जानकारी इकट्ठा करना जरूरी नहीं समझती क्योंकि इस काम में जितना समय, मेहनत और खर्च लगेगा उतना लाभ न होगा।

(ख) निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को हिदायतें दे दी हैं कि किसी उम्मीदवार को कोई दल चिह्न देने के पहले चिह्न देने वाला प्राधिकारी इस बात का पूरा समाधान कर ले कि वह उम्मीदवार वास्तव में उसी दल का अधिकृत उम्मीदवार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा

†*१६१. { **श्री परुलकर :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अभी तक कितनी राशि का प्रयोग किया गया है; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अक्तूबर, १९५८ तक औद्योगिक विकास के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये कुल २९० करोड़ रुपये एलाट किये गये थे ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान मई, १९५८ में योजना आयोग द्वारा प्रकाशित "द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा संभावनायें" नामक पुस्तक के पृष्ठ ६३–७४ की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

दिल्ली जेल से पाकिस्तानी का फरार होना

*१६२. { **श्री वाजपेयी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की हवालात से मकसूद अहमद कुरैशी नामक एक पाकिस्तानी नागरिक १२–१३ जनवरी, १९५९ की रात्रि को फरार हो गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गयी;

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) १२-१३ जनवरी, १९५९ की रात को एक पाकिस्तानी पुलिस की हिरासत में से फरार हो गया ।

(ख) तथा (ग). मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

(घ) पुलिस गार्ड को मुअत्तल कर दिया गया है ।

सी० आई० डी० में महिलायें

†*१६३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ क्षेत्रों के सी० आई० डी० विभागों में महिलाओं को भर्ती करने के सम्बन्ध में एक योजना तैयार कर रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस की रूप रेखा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं बनाई जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निरक्षरता निवारण

*१६४. **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९४७ में कितने पुरुष और कितनी नारियां शिक्षित थीं और १९५८ में इन की संख्या क्या थी; और

(ख) निरक्षरता के निवारण के लिये भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १९४७ और १९५८ में शिक्षित पुरुषों और महिलाओं की अनुमानित संख्या इस प्रकार है :—

	पुरुष	महिलायें
१९४७	३.८७ करोड़	१.२० करोड़
१९५८	६.१५ करोड़	१.८८ करोड़

(ख) निरक्षरता दूर करने का विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । फिर भी राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने में जितना खर्च होता है उस का अपना अंशदान भारत सरकार भी देती है ।

राष्ट्रीय झण्डे का झुकाया जाना

†*१६५. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों की कोई सूची तयार की है जिन के देहान्त पर राष्ट्रीय झंडे को झुकाया जायेगा और उस दिन सभी दफ्तरों में छुट्टी कर दी जायेगी ।

(ख) यदि हां, तो वह सूची किस आधार पर तैयार की गई है; और

(ग) क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही कुछ एक महान व्यक्तियों के देहान्त पर राष्ट्रीय झण्डा झुका दिया जाता है और सभी सरकारी दफ्तर बन्द हो जाते हैं । जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है वहां के महान व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी वैसा ही करने के लिये इसी प्रकार के उपयुक्त नियम बनाने का उन्हें अधिकार है । कोई व्यापक सूची तैयार नहीं की गई है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

भिलाई इस्पात का कारखाना

†*१६६. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों ने भिलाई इस्पात परियोजना की कालोनी के लिये एक रेलवे चलाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर हां में है, तो उस कार्य को प्रारम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ?

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश

†*१६७. **श्री गोरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ राज्यों से, जहां कि अंग्रेजी भाषा आठवीं कक्षा से पढ़ाई जाती है, आने वाले लड़कों के लिय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश पाने के लिये होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना कठिन होता है; और

(ख) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि ऐसे अभ्यर्थियों को लिखित पत्र अथवा ज़बानी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर संविधान द्वारा स्वीकृत किसी भी भाषा में देने की आज्ञा दी जाये ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). इस विषय पर पहल विचार किया गया है और यह अनुभव किया गया है कि लिखित परीक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले सब अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में सरकार द्वारा जो निर्णय किये गये हैं उन का अनुसरण किया जाये । क्योंकि माध्यम अंग्रेज़ी है, अतः अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तरह उन अभ्यर्थियों को जो अंग्रेज़ी में कमजोर हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी की परीक्षा के लिये विशेष पढ़ाई करनी पड़ती है । तथापि सर्विसिज़ सेलेक्शन बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू और पर्सनेलिटी टेस्ट के सम्बन्ध में नवम्बर, १९५४ में यह निर्देश जारी किये गये कि यद्यपि माध्यम अंग्रेज़ी ही रहेगा परन्तु अंग्रेज़ी के स्तर पर अनुचित महत्व नहीं देना चाहिये और परीक्षा में मुख्य बात यह देखनी चाहिये कि जो कुछ वह कह रहा है, ठीक है और अपने विचारों को ठीक ढंग से व्यक्त कर रहा है और वह तर्क किस प्रकार का कर रहा है, न कि यह देखा जाये कि उस का अंग्रेज़ी का स्तर कैसा है जिस में कि वह ये सब बातें कह रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय समाज तथा शिशु कल्याण सम्मेलन

†*१६८. **काज़ी मतीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टोकियो में हुए नवें अन्तर्राष्ट्रीय समाज तथा शिशु कल्याण सम्मेलन द्वारा पारित एक संकल्प का पता है जिस में यह सिफारिश की गयी कि श्रमजीवी औरतों और उन के आश्रितों को आय-कर की छूट दी जाये ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या सरकार ने यह सिफारिश मान ली है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ऐसी श्रमजीवी औरतें हैं जिन को इस छूट से लाभ मिलेगा ?

†**वित्त उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं । सरकार को अभी तक सम्मेलन का राजकीय प्रतिवेदन नहीं मिला है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मेसर्स हार्ड्ज मोटर्स के साथ ठेका

†*१६९. { **श्री कमल सिंह :**
श्री बैरो : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ब्रिटेन के मेसर्स हार्ड मोटर्स के साथ किये गये ठेके के सम्बन्ध में ५ दिसम्बर, १९५८ को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सार्थ, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, फरवरी, १९५९ के अन्त तक पुराने गोला बारूद को 'डीफ्यूज़' करने का कार्य पूरा कर लेगा ; और

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है और कितने मल्य का बेकार पीतल और तांबा निकाला गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) यह कहा जा सकता है कि सार्थ समय पर ठेका पूरा कर लेगा ।

(ख) ५ फरवरी, १९५९ तक २,५०,००० गोलियों में से १,९९,८७० गोलियों को तोड़ कर 'डीफ्यूज़' किया गया । ठेकेदारों ने अब तक सरकार को लगभग २७ लाख रुपयों के मूल्य के पीतल और २७,००० रुपयों के मूल्य का बेकार तांबा दिया है ।

त्रिपुरा में कर

†*१७०. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में अब तक त्रिपुरा में केन्द्रीय और प्रादेशिक करों की वसूली में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

छावनियों में खादी पर चुंगी

*१७१. { **श्री खादीवाला :**
श्री के० भे० मालवीय : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की किन-किन छावनियों में खादी पर चुंगी वसूल की जाती है ;

†मल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि खादी पर देश भर में किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो छावनियों में खादी पर चुंगी किस एक्ट के उपबन्धों के अन्तर्गत वसूल की जाती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). सूचना सहज प्राप्य नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। ज्यों ही प्राप्त हुई सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निवृत्ति वेतन सम्बन्धी नियम

†*१७२. **श्री त्यागी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये सेवा-निवृत्ति नियम, १९५७ में ढील देने से कितने पदाधिकारियों को लाभ हुआ है ; और

(ख) इस ढील से प्रतिलक्षी प्रभाव के कारण कितना और धन अन्तर्ग्रस्त है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). पूछी गयी जानकारी भारत सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है और इस को समूचे देश में फैले हुए विभिन्न लेखा-पदाधिकारियों और कार्यालयों के अध्यक्षों से मांगना पड़ेगा। यह समझा जाता है कि इस जानकारी को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उस से प्राप्त सार्वजनिक लाभ के अनुकूल न होगा।

अध्यापन व्यवसाय

†*१७३. { **श्री राजेन्द्र सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापन व्यवसाय में सुयोग्य व्यक्तियों को लगाने के लिये कुछ आकर्षक सेवा की शर्तें और नियम रखे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मुख्यतः सब ही प्रक्रमों पर अध्यापकों की भर्ती राज्य सरकारों का विषय है। तथापि भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को वत्तीय सहायता देती है क्योंकि इस को आशा है कि इस से अध्यापन व्यवसाय में युवकों की रुचि बढ़गी:—

(१) लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता।

इस योजना में महिला शिक्षकों (प्रशिक्षार्थी) और उन लड़की विद्यार्थियों को जो कम से कम पांच वर्षों तक अध्यापन व्यवसाय अपनावें, छात्रवृत्तियां और वृत्तिका इत्यादि का दिया जाना सम्मिलित है।

(२) अध्यापकों के वेतन स्तर को बढ़ाने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता।

†मूल अंग्रेजी में।

इस योजना के अन्तर्गत स्कूल के अध्यापकों के वेतन स्तर बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्चे का ५० प्रतिशत भारत सरकार देगी ।

(३) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालय शिक्षकों और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध और संघटित कालिजों के शिक्षकों के वेतन स्तरों में सुधार के लिये एक योजना स्वीकार की है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

†*१७४. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पुनर्गठित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन पर अभी विचार हो रहा है ।

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, नागपुर

†*१७५. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में एक केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था स्थापित करने में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ; और

(ख) इस को नागपुर में स्थापित करने के क्या लाभ हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर)**: (क) और (ख). संस्था का कार्यालय नागपुर में भेज दिया गया है। नागपुर में संस्था के भवन के लिये नक्शे और लागत के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं । क्षेत्रीय गवेषणा केन्द्र दिल्ली, लखनऊ, पूना और हैदराबाद में स्थापित किये जा रहे हैं । संस्था और क्षेत्रीय केन्द्रों के लिये वैज्ञानिक और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है । आवश्यक उपकरण और सामान प्राप्त किये जा रहे हैं ।

बीच में स्थित होने के कारण नागपुर में देश के अन्य भागों में स्थापित किये जा रहे विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यों का समन्वय किया जा सकता है। इससे देश भर से बिना देरी के नमूनों के इकट्ठा करने और कर्मचारियों की शीघ्र बैठक में सुविधा होगी । केन्द्रीय प्रयोगशाला सब राज्य लोक स्वास्थ्य

†मूल अंग्रेज़ी म

संगठनों से सम्पर्क स्थापित कर सकेगी। बम्बई सरकार ने इस संस्था के स्थापित करने के लिये मुफ्त भूमि दी है और केन्द्रीय प्रयोगशाला के लिये अस्थायी आवास भी दिया है।

यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवषणा परिषद् की नीति के अनुरूप भी है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को देश के विभिन्न भागों में रखा जाये। मध्य भारत में अभी तक कोई राष्ट्रीय प्रयोगशाला नहीं है।

मिट्टी के तेल की कमी

†*१७६. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण :
श्री सूपकार :
श्री वारियर :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
डा० सामन्तसिंहार :
श्री कोडियान :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री महन्ती :
श्री जीनचन्द्रन :
श्री बै० च० मलिक :
श्री परुलकर :
श्री नौशीर भरुचा :
श्री आसर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई और भारत के पूर्वी भागों में मिट्टी के तेल की कमी अभी भी अनुभव की जा रही है और इसके मूल्य चढ़ गये हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का प्रस्ताव है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). जैसाकि १०-२-५९ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के उत्तर में बताया जा चुका है, सरकार देश में मिट्टी के तेल के सम्भरण की दशा को बड़े ध्यान से देख रही है और पिछले कुछ सप्ताहों में मिट्टी के तेल के बढ़ते हुए विक्रय मूल्य को बड़ी उत्सुकता से नोट किया। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की कठिनाई के कारण मिट्टी के तेल के आयात के लिये आवंटित विदेशी मुद्रा में कुछ कमी करनी पड़ी फिर भी सरकार को विक्रय मूल्य में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं जान पड़ा। क्योंकि विशेषतः बम्बई में और देश के अन्य भागों में मूल्य बढ़ते रहे, सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिये राज्य सरकारों के परामर्श के बाद निम्नलिखित कार्यवाही की है :

(१) तेल समवायों को विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिये मिट्टी के तेल की बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटाने के निर्देश दिये गये हैं।

† मूल अंग्रेजी में

(२) तेल समवायों को विदेशी मुद्रा का विशेष आवंटन किया गया है और उनको इस आवंटन से मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आयात की तुरन्त व्यवस्था करने को कहा गया है। उनको देश में स्थित तेल के भंडार से अधिक तेल उठाने के लिये भी कहा गया है।

(३) ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार बाजार भाव बढ़ने के कारणों का पता लगा रही है।

(४) की गई कार्यवाही से राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है और उनसे इसके अधिक प्रचार के लिये कहा गया है।

२. यह सुनिश्चित करने के लिये कि की गयी कार्यवाही से विक्रय मूल्य तुरन्त ही सामान्य स्तर पर पहुंच जायेंगे, यह आशा की जाती है कि सब व्यापारी सरकार से सहयोग करेंगे और यदि स्थिति फिर भी न सुधरी तो सरकार अन्य कार्यवाही करने को भी तैयार है।

दोहरे कर से बचाव

*१७७. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिनिधि-मंडल, जो कनाडा के आय-कर अधिकारियों से दोहरा आयकर लगने से बचाव के सम्बन्ध में वार्तालाप करने गया था, वहां से अपना कार्य समाप्त कर भारत लौट आया है; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) वार्ता से कोई परिणाम नहीं निकल सका।

केन्द्रीय सेवायें

†*१७८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय सेवा पदाधिकारियों को संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा विज्ञापित पदों के लिये प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के विभागों/कार्यालयों में इस सम्बन्ध में लागू नियमों के अन्तर्गत प्रशासन के कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विभागों/कार्यालयों के अध्यक्ष अपने यहां काम करने वाले व्यक्तियों की दूसरे विभागों/कार्यालयों में पदों के लिये दिये जाने वाले प्रार्थनापत्र रोक सकते हैं। हाल ही तक केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत विशेष सेवाओं के पदाधिकारियों पर अन्य सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिये संघ और

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने पर प्रतिबन्ध था। अब सरकार ने इस विषय का पुनरीक्षण किया है और यह निश्चय किया है कि इस प्रतिबन्ध में ढील दे दी जाये और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, आपवादिक परिस्थितियों में, ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दे दी जाये, यदि वे प्रवेश के लिये निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। यह निश्चय इसलिये किया गया है क्योंकि यह विचार किया गया कि जहां पर भर्ती संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होती है, जहां तक सम्भव हो, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी अन्य पात्र अभ्यर्थियों के साथ अपनी कुशलता दिखाने और सरकार में ऊंचे पदों के लिये योग्य होने का अवसर दिया जाना चाहिये। अन्य भर्ती के सम्बन्ध में वर्तमान लागू निर्देश जारी रहेंगे।

उदयपुर में ज़वार खानें

†*१७९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर में जवार खानों के कार्यकरण का परीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) क्या उसमें कोई सुधार किये जाने वाले हैं ; और

(ग) इन खानों की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिये भारतीय खनि विभाग ने कई सुधारों का सुझाव दिया है।

(ग) भारत के धातु निगम द्वारा १.५ प्रतिशत सीसा और ३.६ प्रतिशत जस्ते के साथ लगभग ८३,००,००० टन के भंडार का अनुमान लगाया गया है। भारतीय खनि विभाग ने इन खानों की उत्पादन क्षमता का पहले ही अध्ययन कर लिया है।

खेल-कूद जांच समिति

†*१८०. **श्री सूपकार :**
श्री राम कृष्ण :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री पाणिग्रही :
श्री बैरो :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेल-कूद के स्तर की जांच करने के लिये पटियाला के महाराजा की अध्यक्षता में समिति ने अपना प्रतिवदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ग) प्रतिवेदन की जांच हो रही है ।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा आर्डनेन्स कारखानों में काम करने वाले पाकिस्तानी

*१८१. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री वाजपेयी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २८ नवम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सशस्त्र सेनाओं और आर्डनेन्स कारखानों में काम करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों और उनकी सेवा की शर्तों सम्बन्धी आंकड़े इस बीच एकत्र कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन आंकड़ों का एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). सूचना अब भी इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सका लोक सभा पटल पर रख दी जायगी । हाल ही में ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि पाकिस्तान से आने वाले वे लोग जो केन्द्रीय सरकार की नौकरी कर रहे हैं, आवश्यक सर्टीफिकेट प्राप्त करके नागरिकता अधिनियम, १६५५ के मातहत छः महीने के अन्तर्गत अपने को भारतीय नागरिक के रजिस्टर में दर्ज करा लें । जिन लोगों ने अभी तक अपने को रजिस्टर नहीं कराया है उन का ब्यौरा जानने के लिये रक्षा संगठन के सभी यूनिटों और संस्थानों को इस विषय में लिखा गया है ।

इस्पात संयंत्र

†*१८२. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन इस्पात संयंत्रों में 'पैरिमीटर' तक बिजली लगाने में अनुमानतः क्या लागत आयगी ;

(ख) मूलतः अनुमान कितना था और इसको पिछली बार कब परिवर्तित किया गया था ; और

(ग) इस खर्च में विदेशी मुद्रा का क्या भाग है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का निर्देश संयंत्र के बाहर 'पैरीमीटर' तक बिजली लगाने की अनुमानित लागत की ओर है । यदि हां, तो जानकारी निम्न प्रकार है :

रूरकेला : रूरकेला संयंत्र को हीराकुड अधिकारियों द्वारा बनाये गये हीराकुड विद्युत् केन्द्र से बिजली मिलती है । व्यवहार्यतः दो ट्रांसमिशन खम्भों को एक स्थान से

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे स्थान पर लगाने के लिये होने वाले लगभग १३,००० रुपये के खर्च के अतिरिक्त रूरकेला इस्पात संयंत्र में बिजली लगाने पर कोई खर्च नहीं किया गया ।

भिलाई : मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा बनाये जाने वाले कोरबा थर्मल स्टेशन से उनके अपने खर्चे पर बिजली दी जावेगी ।

दुर्गापुर : दुर्गापुर संयंत्र के 'पैरीमीटर' तक ३३ किलोवाट बिजली लगाने पर लागत का अनुमान ८६,००० पौंड विदेशी मुद्रा में और २,३५,००० रुपये भारतीय मुद्रा में हैं । यह मूल अनुमान है और इस अनुमान में अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

भारतीय शिक्षा सेवा

†*१८३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित करने में अग्रेतर क्या प्रगति की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** राज्यों के सामान्य व्यवहार को ध्यान में रखते हुये इस विषय में आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं जान पड़ता ।

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों का वर्गीकरण

†*१८४. **श्री तंगामणि :** क्या वित्त मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) कर्मचारियों के वर्गीकरण के लिये जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत गठित जोनल समितियों ने क्या सिफारिशें की हैं :

(ख) सिफारिशों पर जीवन बीमा निगम ने क्या निर्णय किये हैं ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किये गये हैं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जोन-वार उन क्षेत्रीय पदाधिकारियों की संख्या दी हुई है जिनके मामलों पर जोनल समिति ने विचार किया । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ख) निगम ने सिफारिशें मान ली हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल मिलने की संभावनायें

†*१८५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस्पात खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की तेल सम्भावना का अध्ययन करने के लिये जिन पश्चिम जर्मनी विशेषज्ञों ने भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया, उहोंने क्या प्रतिवेदन दिया है !

(ख) उस पर सरकार ने क्या फैसला किया है ; और

(ग) क्या इस विषय में पश्चिम जर्मनी की सरकार से कोई सहायता ली जा रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) सामान्यतः प्रतिवेदन में देश के विभिन्न क्षेत्रों की सम्भाव्यता का मूल्यांकन किया गया है और इस में उनकी महत्ता के अनुसार अनुसन्धान की प्राथमिकता की सिफारिश की गयी है ।

(ख) सरकार दल की उपपत्तियों से सामान्यतः सहमत है और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल अनुसन्धान कार्यक्रम बनाते समय उनका ध्यान रखा गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

संयुक्त राष्ट्र आपात सेना में भारतीय सिपाही

†*१८६. {**श्री कोडियान :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजापट्टी में संयुक्त राष्ट्र आपात सेना में काम कर रहे भारतीय सिपाहियों को किस दर पर समुद्रपार भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) ये भत्ते अन्य सरकारों, उदाहरणतः ब्राजील, जिसकी सेनायें भी संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के साथ गाजा में हैं, द्वारा दिये जाने वाले भत्तों की तुलना में कैसे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ख) देश में या विदेश में रहने वाले भारतीय सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के वेतन तथा भत्ते विदेशी सरकारों द्वारा उनकी सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों से विनियमित नहीं होते ।

दिल्ली में सड़कों पर दुर्घटनायें

*१८७. {**श्री नवल प्रभाकर :**
श्री वाजपेयी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) दिल्ली में जनवरी, १९५९ मास में सड़क दुर्घटनायें अधिक होने के क्या कारण हैं ?

(ख) इन दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) इन दुर्घटनाओं का कोई खास कारण बताना मुमकिन नहीं है।

(ख) तथा (घ). कुल १३१ सड़क दुर्घटनायें हुईं। इनमें १६ बहुत गम्भीर थीं जिनकी वजह से १९ व्यक्तियों की जानें गईं।

(ग) नीचे दिये गये उपाय किये गये हैं :—

(१) सड़कें चौड़ी की जा रही हैं।

(२) जहां जरूरी हो वहां पर साइकिल ट्रेक बनाये जा रहे हैं।

(३) सड़कों की रोशनी व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है।

(४) १९५० से पहले के माडलों की गाड़ियों को स्कूल के बच्चे, बरातें या टूरिस्ट दलों को ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती है।

(५) गाड़ियों की रफ्तार चैक करने के काम को बढ़ा दिया गया है।

(६) स्कूल की बसों की एक विशेष बोर्ड द्वारा थोड़े थोड़े समय बाद जांच की जाती है। इस बोर्ड में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, मोटर वहिकिल इंस्पेक्टर और पुलिस के आदमी हैं।

(७) १९४८ और उससे पहले के माडलों की भारी गाड़ियों की विशेष जांच की जा रही है।

(८) जनता को ट्रेफिक के नियमों का पालन करने की शिक्षा देने के लिये सिनेमा स्लाइड्स का प्रदर्शन किया जा रहा है।

(९) स्पेशल इनवेस्टिगेशन स्क्वैड बनाया गया है। मोटर वहिकिल इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस

***१८८. श्री पद्म देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों को यह बोनस मिलेगा और किस रूप में ; और

(ग) निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि दी जायेगी ?

†मूल अंग्रेज़ी में

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं, इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ;

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

ज्वालामुखी में तेल छिद्रण स्कूल

†*१८९. **श्री राम कृष्ण** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्वालामुखी में एक छिद्रण स्कूल की स्थापना करने की योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : ज्वालामुखी में छिद्रण स्कूल १६ अक्तूबर १९५८ से काम कर रहा है और २१ असिस्टेंट ड्रिलर और ड्रिलिंग असिस्टेंट नियमित रूप से कक्षाओं में आ रहे हैं ।

पदाधिकारियों का केन्द्र से राज्यों को स्थानान्तरण

†*१९०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में अब तक (१) सचिवों, (२) संयुक्त सचिवों और (३) उप-सचिवों के अभिधान वाले कितने पदाधिकारियों को केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को स्थानान्तरित किया गया ; और

(ख) प्रत्येक अभिधान के कितने पदाधिकारी पदावधि से एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष अधिक केन्द्र में ठहरे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** :

(१) १-४-१९५८ से अब तक राज्यों से केन्द्र को और केन्द्र से राज्यों को स्थानान्तरित पदाधिकारियों की संख्या

	सचिव	संयुक्त सचिव	उप-सचिव	योग
राज्यों से केन्द्र को		३	११	१४
केन्द्र से राज्यों को		१	९	१०

(२) पदावधि से अधिक केन्द्र में ठहरने वाले पदाधिकारियों की संख्या

१ वर्ष			२ वर्ष			३ वर्ष और अधिक		
सचिव	सं० स०	उ० स०	सचिव	सं० स०	उ० स०	सचिव	सं० स०	उ० स०
..	२	३	..	१	२	१२*	५	१

*इन १२ पदाधिकारयों में से २ पांच वर्षों से अधिक अपने वर्तमान पदों पर हैं ।

†मल अंग्रेजी में

राज्यों के सेवा सम्बन्धी नियम

†*१९१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने अपने सेवा सम्बन्धी नियमों में इस प्रकार का संशोधन किया है जिससे समस्त भारत के नागरिक प्रान्तीयता की सीमाओं के बाधक हुये बगैर, राज्य की सेवाओं के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ सकें ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : जी हां । पंजाब के अलावा निम्नलिखित राज्यों ने भी अपने सेवा सम्बन्धी नियमों में संशोधन कर सभी भारतीय नागरिकों को अपने राज्य की सेवाओं के लिये प्रतियोगिता-परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है :

आसाम, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ।

खनिज पदार्थ

†१३५. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि १९५८ में देश में प्रत्येक खनिज पदार्थ का कितना कितना उत्पादन हुआ और उनका कितना मूल्य था ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : खनिज पदार्थ संरक्षण और विकास नियम, १९५८ के अधीन खनिज-उत्पादन सम्बन्धी वार्षिक विवरणियां सम्बन्धित वर्ष के अन्त के बाद १ मार्च तक आवेंगी । यह जानकारी एकत्र की जा रही है और संकलन पूरा होते ही यह लोक सभा पटल पर रख दी जायगी ।

जम्मू तथा कश्मीर को पर्यटक

†१३६. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने कितने विदेशी पर्यटकों और भारतीयों ने जम्मू तथा कश्मीर का पर्यटन किया है ; और

(ख) १९५७ की तुलना में ये आंकड़े कैसे बैठते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जम्मू तथा कश्मीर जाने वाले पर्यटकों के आंकड़े प्रतिरक्षा मंत्रालय में नहीं रखे जाते । १९५८ में मंत्रालय द्वारा विदेशीयों और भारतीयों को दिये गये परमिटों की संख्या नीचे दी जाती है :

विदेशी .	३,१८८
भारतीय .	१३,८६८
जोड़ .	१७,०५६

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय पर्यटक यदि चाहें तो प्रतिरक्षा मंत्रालय के अलावा वे राज्य सरकारों, जिलाधीशों और सभी राज्यों में विशेष रूप से अधिकार प्राप्त पदा-

† मूल अंग्रेजी में ।

धिकारियों से भी परमिट ले सकते हैं। वास्तव में, भारतीयों को दी जाने वाली परमिटों का मुख्य भाग तो राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। कुछ वर्गों के विदेशी पर्यटक भी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय पर्यटक-पदाधिकारियों से परमिट प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) १६५७ में प्रतिरक्षा मंत्रालय ने १०,७०२ परमिटें (२,२३८ विदेशियों को और ८,४६४ भारतीयों को) जारी की थीं। इस प्रकार १६५८ में दी गयी परमिटें १६५७ की परमिटों से ५६ प्रतिशत से भी अधिक हैं।

विश्वविद्यालयों में समुद्र-विद्या विभागों की स्थापना

†१३७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन विश्वविद्यालयों में समुद्र-विद्या विभाग की स्थापना हो चुकी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस प्रयोजन के लिये कुल कितना-कितना अनुदान दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी तक किसी में नहीं हुआ है। फिर भी केरल, आंध्र और अन्नामलाई आदि तीन विश्वविद्यालयों की समुद्र-विद्या में दिलचस्पी है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आंध्र, केरल और अन्नामलाई विश्वविद्यालयों के लिये मंजूर किये गये अनुदानों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२**]

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल

†१३८. **श्री केशव** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास समय समय पर स्थानांतरित किये जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूलों और छात्रावासों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). उत्तर के सम्बन्ध में सामग्री संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत में पाकिस्तानी

१३६. **श्री बाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८ में राज्य-वार कितने ऐसे पाकिस्तानी पकड़े गये जो भारत में अपने आपको भारतीय नागरिक बता कर रह रहे थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१४०. **श्री नागी रेड्डी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप ने आंध्र प्रदेश में हाल ही में धर्मवरम् तालुक (जिला अनन्तपुर) और कुप्पम क्षेत्र (जिला चित्तूर) की खनिज सम्पदा के बारे में कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो मोट तौर पर उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या १९५९–६० में और आगे गहनतर सर्वेक्षण किया जायगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). जी हां । भारत के भूतत्वीय परिमाप ने १९५३–५४ के फील्डसीजन के दौरान में धर्मवरम् तालुक (जिला अनन्तपुर) में ऐसबेसटास, निर्माण सामग्री और स्वर्ण की जांच की थी और १९५६–५७ के फील्ड-सीजन में कुप्पम क्षेत्र (जिला चित्तूर) में बिसानात्तम की सोने की खान का बाकायदा नक्शा तैयार किया है ।

(ग) १९५९–६० के फील्ड सीजन में अनन्तपुर की रत्नगिरि की सोने की खान के क्षेत्र में काम जारी रखने का विचार है ।

विज्ञान मंदिर

†१४१. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री दे० वें० राव : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक कुल कितने कितने विज्ञान मंदिरों की स्थापना हो चुकी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में भवनों, वैज्ञानिक उपकरणों और अन्य वस्तुओं पर कितना-कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) कुल कितने कितने व्यक्ति इन विज्ञान मंदिरों का उपयोग करते हैं ।

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ख) विज्ञान मंदिर उन भवनों में स्थित होते हैं जो या तो राज्य सरकारों द्वारा दिये हुये होते हैं या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ।

विज्ञान मंदिरों का हिसाब किताब अलग अलग राज्यों के आधार पर नहीं रखा जाता । लेकिन इनकी स्थापना के समय से लेकर जनवरी, १९५९ के अन्त तक विभिन्न उपशीर्षों के अधीन हुआ कुल व्यय इस प्रकार है :

	रु०
कर्मचारीवृन्द का वेतन .	१,६६,८६८
भत्ते तथा मानदेय . . .	९२,५३५
अन्य व्यय (वैज्ञानिक उपकरण आदि) .	२,४२,४७६

(इसमें १९५५–५६ में खर्च किये गये ९,६९४ रुपये शामिल नहीं हैं)

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

तिब्बत में प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियां

†१४२. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत की जिन प्राचीन पुस्तकों और पाण्डुलिपियों के बारे में भारत को दिलचस्पी है क्या उनके बारे में सरकार की जानकारी सत्यापित सूचनाओं पर आधारित है ; और

(ख) इस प्रकार की सामग्री की सूची तैयार करने और उसके अध्ययन में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जब तक हमारे विद्वान स्वयं तिब्बत जाकर इस बात की जांच न करें, यह सत्यापित करना सम्भव नहीं है कि वहां ऐसी प्राचीन पुस्तकें और पाण्डुलिपियां उपलब्ध हैं या नहीं जिनमें भारत को दिलचस्पी हो ।

(ख) इनकी सूची भारतीय विद्वानों के तिब्बत हो आने के बाद ही संकलित की जा सकती है ।

डा० रघुवीर के संकलन

†१४३. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० रघुवीर द्वारा चीन और मंगोलिया के भ्रमण के पश्चात् लायी गयी पुस्तकें पाण्डुलिपियां, तोरण, चित्र आदि, जिन्हें सरकार ने १९५६ के आसपास जनता में प्रदर्शित किया था, विद्वानों को अध्ययन के लिये और सामान्य जन को देखने के लिये मिल सकती हैं, और

(ख) यदि हां, तो ये कहां मिल सकती हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) डा० रघुवीर चीन और मंगोलिया से जो संकलन लाये थे उसमें से अब तक उन्होंने माइक्रो फिल्मों के केवल तीन सेट सरकार को दिये हैं। शेष वस्तुओं को उनसे लेने के प्रश्न पर अभी उनसे लिखा-पढ़ी चल रही है ।

(ख) उपर्युक्त माइक्रोफिल्में राष्ट्रीय संग्रहालय में मौजूद हैं और अध्ययन के लिये विद्वानों को मिल सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†१४४. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या गृह-कार्य मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५९ को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में से कितने स्थायी थे और कितने अस्थायी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों में भारतीय प्रविधिक कर्मचारी

†**१४५. श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में काम करने वाले कितने भारतीय प्रविधिक कर्मचारियों को भारत में काम दे दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

'बर्फ पर मनोरंजन'[1]

†१४६. { **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री अन्सार हरवानी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जिस ट्रूप ने 'बर्फ पर मनोरंजन' कार्यक्रम का आयोजन किया था उसे इस कार्यक्रम की आय की भारत से बाहर ले जाने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्राओं के प्रेषण की अनुमति दी गयी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** इस ट्रूप को आने की अनुमति इसी शर्त पर दी गयी थी कि अपनी आय को बाहर ले जाने के लिये कुछ भी विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी सहूलियतें न दी जायेंगी ।

युद्ध सामग्री कारखानों में पदोन्नति

†**१४७. श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में युद्ध सामग्री कारखानों में कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दे कर अकुशल से अर्द्ध कुशल, अर्द्ध कुशल से कुशल और कुशल से अतिकुशल कर्मचारी बनाया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Holiday on Ice.

युद्ध-सामग्री कारखानों में खाली समय का भुगतान

†१४८. **श्री स० म० बनर्जी:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में विभिन्न युद्ध-सामग्री कारखानों को कुल कितना खाली समय का भुगतान किया गया ; और

(ख) प्रत्येक कारखान में श्रमिकों को कुल कितनी-कितनी राशि दी गयी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में खाली समय क भुगतान की कुल राशि नीचे दी जाती है :

१९५६-५७	१९५७-५८
६३,०७,१३८ रुपये	१०,९३,२५४ रुपये ।

(ख) अलग-अलग कारखानों के विषय में यह जानकारी प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में तपेदिक के मरीज

†१४९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, १ जनवरी, १९५९ को भारत के प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के और औद्योगिक श्रमिकों में से कितने तपेदिक के मरीज थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण-मेनन)** : यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है । यह यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिरक्षा औद्योगिक श्रमिकों के लिये क्वार्टर

†१५०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न युद्ध सामग्री डिपुओं म काम करने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों को लिये इस समय कुल कितने क्वार्टर मौजूद हैं ;

(ख) १९५९-६० और १९६०-६१ में कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण होन वाला है ; और

(ग) प्रत्येक डिपो के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). अभी से यह जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि यह सब कुछ उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

युद्ध-सामग्री डिपुओं में अस्पताल

†१५१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने युद्ध-सामग्री डिपो हैं जिनमें अस्पताल मौजूद हैं ; और

(ख) क्या इन डिपुओं के असैनिक कर्मचारी युद्ध-सामग्री डिपुओं के अस्पताल में भर्ती होने के अधिकारी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) किसी युद्ध-सामग्री डिपो का अपना अस्पताल नहीं है । प्रत्येक डिपो में एक डिस्पेंसरी होती है। जिसमें बाहर रहने वाले मरीज़ों का इलाज किया जाता है। जिन स्थानों पर ये डिपो स्थित हैं उनमें या उनके निकट ही सैनिक अस्पताल होते हैं ।

(ख) असैनिक कर्मचारियों को आम तौर पर स्थानीय असैनिक अस्पतालों में भर्त्ती किया जाता है लेकिन जब असैनिक अस्पताल में स्थान नहीं होता तो उन्हें सैनिक अस्पताल में भर्त्ती किया जा सकता है ।

चाय कम्पनियों द्वारा मुनाफे का प्रेषण

†१५२. { **श्री दे० वें० राव** :
श्री नागी रेड्डी:
श्री विमल घोष: }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी स्वामित्व वाली भारत की चाय कम्पनियों को १९५४ से १९५८ तक प्रत्येक वर्ष में कुल कितना-कितना लाभ हुआ ; और

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितनी-कितनी राशि मुनाफे या लाभांश के रूप में विदेश भेजी गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

(करोड़ रुपयों में)

(क)	१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८
विदेशी कम्पनियों की शाखाओं का मुनाफा .	२१.४	९.५	१०.६	उपलब्ध नहीं हैं
भारत में पंजीकृत संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लाभांश .	१.०	०.५	११.१	०.४
जोड़ .	२२.४	१०.०	११.१	०.४

ये आंकड़े कम्पनियों द्वारा अपने मुनाफे के बारे में दिये गये ब्यौरों पर आधारित हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

(करोड़ रुपयों में)

(ख)	१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८
विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के मुनाफे . . .	१०.४	१०.०	१०.५	४.७
भारत में पंजीकृत संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लाभांश .	०.८	०.४	०.५	०.४
जोड़ .	११.२	१०.४	११.०	५.१

बम्बई राज्य में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल

†१५३. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल में इस समय कुल कितने सेना-छात्र हैं ; और

(ख) वहां कितने डिवीज़न कार्य कर रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) बम्बई राज्य के राष्ट्रीय सेना-छात्र दल में ३१-१-१९५९ को ६५७ अफ़सर और २८,६२५ सेना-छात्र थे। विभिन्न डिवीजनों और विंगों के अनुसार इनके अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :

	अफसर	सेना–छात्र
सीनियर डिवीज़न		
सेना विंग	३३४	१३,९९०
नौसेना विंग	६	२४०
वायुसेना विंग	६	४००
जूनियर डिवीज़न		
सेना विंग . . .	२१५	९,६७५
नौसेना विंग . . .	६	२७०
वायुसेना विंग . .	७	३१५
गर्ल्स डिवीज़न		
सीनियर विंग .	५०	२,२५०
जूनियर विंग .	३३	१,४८५
राष्ट्रीय सेना-छात्र दल के अफसरों और सेना-छात्रों की कुल संख्या	६५७	२८,६२५

†मूल अंग्रेज़ी में

बम्बई राज्य में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमियां

†१५४. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में प्रतिरक्षा मंत्रालय की कुल कितने एकड़ भूमि है

(ख) कितने एकड़ भूमि लोगों को पट्टे पर दे दी गयी है ; और

(ग) शेष भमि का उपयोग किस प्रयोजन के लिये किया जा रहा है

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई में शिविर डालने की भूमि[1]

†१५५. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन शिविर डालने की कुल कितनी भूमियां हैं ;

(ख) ये किन-किन जिलों की किन-किन तहसीलों में हैं और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है ; और

(ग) इन से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आय होती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है और निचली यूनिटों से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बन्धक (रहन) पर ऋण

†१५६. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण के समय कुल कितने धन के बन्धक ऋण जो गैर-सरकारी समवायों द्वारा दिये गये थे अब भारत के जीवन बीमा निगम के हिसाब में आये हैं;

(ख) वर्तमान बन्धक ऋणों की स्थिति;

(ग) निलम्बित बन्धक ऋण सम्बन्धी मामलों की संख्या;

(घ) गैर-सरकारी जीवन बीमा समवायों को मिला कर निगम बनाने के पूर्व के मामलों की अपेक्षा क्या बन्धक ऋणों सम्बन्धी मामलों की संख्या बढ़ी है;

(ङ) क्या सरकार ने निगम के बन्धकों पर ऋण देने की आज्ञा दी है;

(च) क्या इस प्रकार के बन्धक ऋणों की स्थिति पर उस के बाद से विचार किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

†**वित्तमंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) (i) बन्धक ऋणों की संख्या ३,६२७

(ii) इस में लगा हुआ मुख्य धन रु० १५,०१,६८,६६१

(ख) (i) बन्धक ऋणों की संख्या २,६४२

(ii) इस में लगा हुआ मुख्य धन रु० ११,६५,८५,५०५

†मूल अंग्रेजी में

[1]Camping Grounds.

(ग) ४११ ।

(घ) निगम बनने से पूर्वकाल की सूचना प्राप्त नहीं है ; अतः निगम बनने से पूर्व तथा उस के बाद के बन्धक ऋणों सम्बन्धी मामलों की तुलना संभव नहीं है ।

(ङ) बीमा अधिनियम १९३८ की धारा २७क के अनुसार जो जीवन बीमा निगम पर २३ अगस्त १९५८ से लागू हुई है, सम्पत्ति के बन्धक पर ऋण देने के लिये निगम स्वतन्त्र है ।

(च) तथा (छ) निगम लगातार स्थिति का पुनरीक्षण कर रहा है । आजकल निगम द्वार बन्धकों पर ऋण देना स्थगित कर दिया गया है ।

भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा

†**१५७. श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यकी सेवा की स्थापना करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : इन सेवाओं का प्रारूप परामर्श के लिये संघ लोक-सेवा आयोग को भेजा गया है । और जैसे ही संघ लोक-सेवा आयोग के परामर्श से इस की विस्तृत बातों को अन्तिम रूप दिया जाता है इस की स्थापना कर दी जायेगी

बिड़ला विज्ञान तथा उद्योग संग्रहालय कलकत्ता

†**१५८. श्री दी० चं० शर्मा : वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४८३ के प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला विज्ञान तथा उद्योग संग्रहालय कलकत्ता की स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: बिड़ला औद्योगिक तथा प्रवधिक संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है । संग्रहालय में एक अस्थायी वर्कशाप खुल गई है और विभागीय तौर पर मौडल बनना शुरू हो गया है । आवश्यक कर्मचारी रख लिये गये हैं ।

भवन निर्माण वेत्ता विस्तृत ड्राइंग बनाने तथा वर्तमान भवन के पुनर्नवीनीकरण तथा सेवाओं की व्यवस्था के लिये आवश्यक सामग्री के हेतु टेन्डर आदि के बारे में आगे कार्यवाही कर रहे हैं ।

निर्माताओं तथा व्यापारिक संस्थाओं से संग्रहालय में स्थायी प्रदर्शन के लिये कुछ मोडिल भेंट के रूप में प्राप्त हो गये हैं ; स्थानीय मोडिल निर्माताओं की सहायता से कुछ मोडिलों को घड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है । ब्लास्ट फरनेस संयंत्र का एक मोडिल औद्योगिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा केन्द्र लंदन से दानस्वरूप प्राप्त हो गया है । यह भी प्रस्ताव है कि कुछ मोडिलों का विदेश से आयात किया जाये और इस के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

फ्रांसीसी सरकार ने एक फ्रांसीसी संग्रहालय विशेषज्ञ की सेवायें इस संग्रहालय की आवश्यकताओं के बारे में स्थल पर ही जांच करने के हेतु उपलब्ध कर दी है । दिसम्बर, १९५८ के तृतीय सप्ताह में यह विशेषज्ञ कलकत्ता में थे । फ्रांस लौटने पर उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह निश्चय किया है कि जो कुछ भी मोडिल हमारे पास प्रदर्शनार्थ हैं उन्हीं के आधार पर संग्रहालय का औपचारिक रूप से शीघ्र ही उदघाटन कर दिया जाये। यह संग्रहालय एक ऐसी संस्था है जहां जिस में प्रगति के आधार पर मोडिलों की संख्या निरन्तर बढ़ती रहेगी। आशा है कि यह संग्रहालय कुछ ही वर्षों में काफी बड़ा और व्यापक हो जायेगा।

हरिजन कल्याण

†१५९. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४६५ के प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या हरिजन कल्याण के हेतु केन्द्रीय परामर्श मंडल, द्वारा, नियुक्त उप समिति ने मल को बाल्टी आदि में ले जाने वाली प्रथा को समाप्त करने सम्बन्धी बताई जाने वाली योजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस के बारे में क्या निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अलवा)**: (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आयकर से औद्योगिक संस्थानों को छूट

†१६०. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में गुरुदासपुर तथा होशियारपुर जिलों के कुछ औद्योगिक संस्थानों तथा संयुक्त स्कन्ध समवायों को आयकर से मुक्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन के इस छट के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) इन जिलों में किसी भी औद्योगिक संस्थानों तथा संयुक्त स्कन्ध समवायों को आयकर से मुक्त नहीं किया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

†१६१. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण तथा उन को फिर से बसाने की देख-भाल करने के लिये प्रतिरक्षा-मंत्रालय में अलग से एक विभाग खोलने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णमेनन)**: १५ दिसम्बर, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४६८ का उत्तर लोक-सभा में देने के पश्चात यह मामला विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और उन को फिर से बसाने की देखभाल करने सम्बन्धी प्रबन्ध और प्रक्रिया को सुधारने में काफी प्रगति हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त का दौरा

†१६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के आयुक्त ने १९५८ के दौरान में कितनी बार पंजाब का दौरा किया; और

(ख) राज्य के किन किन स्थानों का दौरा किया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) तीन बार।

(ख) १. पठानकोट

२. चकरपुर

३. झारसा

४. कुतुलपुर

५. तेहना

६. सियासना

७. बियसी

८. असरौन

९. भौरे

१०. जौरा

११. अम्बाला नगर के निकट की बस्ती

१२. अमलोह

१३. दोराहा

१४. फगवाड़ा

१५. बड़ेवल

१६. मालासिया

१७. रोखा

१८. जल्लोमल

१९. रख-देवीदासपुर

२०. नांगल

२१. लुधियाना

२२. जलंधर

मिनीकाय टापू के आदिवासी

†१६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनीकाय टापू में आदिवासियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनके सुधार के लिये क्या पग उठाये गये हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में कितना धन निर्धारित किया गया है ; और

(घ) अब तक वास्तव में कितना धन व्यय हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) मिनीकाय टापू में कोई भी आदिवासी नहीं है ।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

पंजाब में शिक्षित लोगों की बेकारी

†१६४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में शिक्षित लोगों की बेकारी दूर करने के लिये १९५७–५८ तथा १९५८–५९ के दौरान में पंजाब सरकार को प्रत्येक वर्ष में कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) उस योजना के अधीन पंजाब में इन दोनों वर्षों के दौरान में प्रति वर्ष कुल कितने व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) इस योजना के अधीन १९५७–५८ के दौरान में पंजाब सरकार को ४,९१९ रुपये का केन्द्रीय अनुदान दिया गया था ।

केन्द्रीय सहायता के भुगतान के लिये नई प्रक्रिया के अनुसार जो इस वर्ष (१९५८–५९) में जारी की गई है अलग अलग योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को पहले से भुगतान नहीं किया जाता। इकट्ठी राशि देने की बजाय सभी विकास योजनाओं के लिये स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का ३/४ भाग तक "मार्गोपाय अग्रिम" के रूप में नियमित रूप से मासिक किश्तों के रूप में दे दी जाती है और यह प्रणाली मई १९५८ से शुरू हुई है । केन्द्रीय अनुदान की राशि जो किसी भी राज्य सरकार को वहां की किसी भी प्रकार की योजना के लिये दी जायेगी उसकी गणना उस वर्ष के चौथी तिमाही में उसी वर्ष की तीन तिमाहियों की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट आ जाने पर की जायेगी और चौथी तिमाही का प्राक्कलन तथा पिछली तिमाहियों की 'भुगतान स्वीकृति' इस सूचना के आने के बाद दी जायेगी ।

(ख) इस योजना के अधीन १९५७–५८ में कोई नियुक्ति नहीं की जानी थी । १९५७–५८ में जिन अनुदानों की स्वीकृति हुई थी वे पिछले वर्षों के दौरान में हुये व्यय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता के शेषांश थे ।

१९५८–५९ के लिये ५४० अध्यापक तथा ११ निरीक्षक पदाधिकारियों का वंटन राज्य सरकार के लिये नियत किया गया है ।

त्रिपुरा में भू-राजस्व

†१६५. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा कुल भू-राजस्व कितना है ; और

(ख) भूमि सुधार कार्यान्वित होने के पश्चात् वहां कुल कितना भू-राजस्व एकत्रित होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) १९५७–५८ में कुल वास्तविक भू-राजस्व जो एकत्रित हुआ था वह १२,३३,३३८ रु० था।

(ख) त्रिपुरा में भूमि सुधार जारी करने के पश्चात् वहां से एकत्रित होने वाला कुल भू-राजस्व का सही अनुमान तो केवल तभी हो सकता है जब कि उस विधान को अन्तिम रूप दे दिया जाता है तथा वह वहां लागू हो जाता है।

दिल्ली में आत्महत्यायें

†१६७. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर, १९५८ से अब तक प्रत्येक महीने में दिल्ली के कितने व्यक्तियों ने आत्महत्याएं कीं तथा कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया ; और

(ख) प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क)

	आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की संख्या
सितम्बर, १९५८	३
अक्तूबर १९५८	४
नवम्बर १९५८	३
दिसम्बर १९५८	७
जनवरी १९५९	४

	आत्महत्या करने का प्रयत्न करने वालों की संख्या
सितम्बर १९५८	१
अक्तूबर १९५८	१
नवम्बर १९५८	१
दिसम्बर १९५८	शून्य
जनवरी १९५९	२

(ख)

सितम्बर १९५८	१
अक्तूबर १९५८	१
नवम्बर १९५८	१
दिसम्बर १९५८	शून्य
जनवरी १९५९	दोनों मामलों की जांच की जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

वायुयान

†१६८. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुयानों के मामले में भारत कब आत्मनिर्भर हो जायेगा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है !

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) वायुयानों के उत्पादन के मामले में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा यह बताना तो सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकतर यह बात उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है ।

(ख) आज कल हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी में सैनिक वायुयान, एयर फ्रेम तथा जेट इंजिन बन रहे हैं उन्होंने प्रशिक्षण वायुयान भी बनाया है और स्वयं ही उसमें सुधार भी किया है तथा अभी हाल ही में उन्होंने एक हल्का वायुयान "पुष्पक" वायुयान तैयार किया है तथा उसमें विकास किया है, और जो कि अब बिक्री के लिये उपलब्ध भी है । ये सब पिस्टन इंजिन वाले वायुयान हैं । छोटे प्रकार के वायुयानों की रूपरेखा तथा तत्सम्बन्धी अनुसन्धान और विद्युत शक्ति सम्बन्धी खोज विकास तथा हवाई बल संस्थानों के सह प्रयत्नों द्वारा की जा रही है ।

पंजाब में चूने का पत्थर

†१६९. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **खान और तेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में चूना पत्थर मिलने की सम्भाव्यता के बारे में आजकल क्या स्थिति है;

(ख) क्या चूना पत्थर बनाने के लिये अभी हाल में विस्तृत जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की विस्तृत जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) चूने पत्थर के निक्षेप, धर्मकोट और कांगड़ा जिले में पठानकोट-डलहौजी सड़क पर ४०वीं मील के निकट अम्बाला जिले में तुण्डा-पाठर, माला और दाबसू, एन० ई० सी० ब्लाक, हिसार जिले में लुहारू में पाये जाने के समाचार मिले ह ।

(ख) और (ग). चूने के निम्नलिखित निक्षेपों की भारत के भूतत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गई है । प्रत्येक के सामने वहां से उपलब्ध होने वाले पत्थर का परिमाण भी दिखाया गया है :—

१. **धर्मशाला के निकट धर्मकोट, जिला कांगड़ा**

१७६ लाख टन चूना पत्थर जो आसानी से खदान से निकाला जा सकता है

२. **तुंडापाठर, जिला अम्बाला**

अच्छी प्रकार का २६० लाख टन चूना पत्थर जिसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिये किया जा सकता है ।

३. **पठानकोट—डलहौजी सड़क पर ४०वीं मील के पास**

निक्षेपों का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. लुहारू के निकट, जिला हिसार

काफी विस्तृत क्षेत्र में कंकर फैला हुआ है जिसका अनुमान अभी नहीं लगाया गया है।

डलहौजी तथा बकलोह छावनियां

†१७०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में डलहौज़ी तथा बकलोह छावनियों के बोर्डों को वहां की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कुल कितनी राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई है ; और

(ख) इन योजनाओं की विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) तथा (ख): सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]

अनन्तपुर में सोने के निक्षेप

†१७१. **श्री ई० मधुसूदन राव:** क्या **इस्पात खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्व सर्वेक्षण विभाग ने रामगिरी क्षेत्र (जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश) के पुराने सोने के स्थानों के सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली है जो प्रतिवेदन कि उन्हें जुलाई १९५८ में भेज दिया गया था ; और

(ख) यदि हां तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी नहीं। भारत का भूतत्व सर्वेक्षण विभाग रामगिरी सोने की खदानों के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों के लिये मकान

†१७२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में अनुसूचित जाति के लिये बनाये गये मकानों सम्बन्धी जानकारी शेष राज्यों से एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४५] उत्तर प्रदेश सरकार से प्रगति प्रतिवेदन तथा आसाम सरकार से, केन्द्रीय सेक्टर के अधीन बनाये गये मकानों सम्बन्धी जानकारी अभी तक नहीं मिली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गणतंत्र दिवस पर बन्दियों की रिहाई

†१७३. { **श्री दलजीत सिंहः**
श्री वाजपेयीः

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (१) संघीय क्षेत्रों (२) केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन राज्यों में अपराधी बन्दियों को गणतन्त्र दिवस के दिन मुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में तथा संघीय क्षेत्रों में इस प्रकार के कितने बन्दी मुक्त किये गये ; और

(ग) क्या उनमें राजनैतिक बन्दी भी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में शिक्षण संस्थाओं को सहायता

†**१७४. श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ से १९५८-५९ तक बिहार में शिक्षण संस्थाओं को कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ख) धनराशि देने के उद्देश्य क्या थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) १३,५०,९०४ रु० ।

(ख) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये धनराशि दी गई थी :—

(१) मनोरंजन प्रकोष्ठ, जिमनेज़ियम, तथा तैरने के लिये तालाब बनाने ।

(२) विद्यार्थियों के भ्रमण के लिये अनुदान ।

(३) पुस्तकालय भवन, सामान, पुस्तकें आदि ।

(४) विश्वविद्यालयों में मानवीयता के विकास, विज्ञान, प्रविधि तथा अन्य विविध प्रयोजन ।

(५) विश्वविद्यालय-प्रध्यापकों के वेतन स्तर बढ़ाने के लिये ।

(६) रामकृष्ण मिशन द्वारा विद्यार्थियों के लिये विद्यार्थी-गृहों के निर्माण के हेतु ।

अंदमान के जंगल

†१७५. { **श्री स० चं० सामन्तः**
श्री सुबोध हंसदाः

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी अंदमान के जंगलों का कितना क्षेत्र मेसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी द्वारा साफ़ किया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसमें से कितने भाग का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिये किया गया है :

(१) विस्थापितों के बसाने के लिये;

(२) फिर से जंगल लगाने के लिये; और

(३) अन्य प्रयोजनार्थ;

(ग) क्या साफ़ की गई भूमि का कोई भाग अंदमान के मूल निवासियों को दिया गया है;

(घ) क्या अंदमान और निकोबार टापुओं की किसी संस्था द्वारा वहां के मूल निवासियों को भूमि दिलाने के सम्बन्ध में मांग करने वाले अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) १९,१३७ एकड़ ।

(ख) (१) जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलने पर लोक सभा पटल पर रख दीं जायेगी ।

(२) ५,८१८ एकड़ ।

(३) २२ एकड़ भूमि पर धान उगाने का परीक्षण हो रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में प्राकृतिक गैस

†१७६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात खान और इंधन** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में प्राप्त प्राकृतिक गैस के उपयोग के बारे में मैसर्स सोसियाटा नेजियोनेल मेटानोडोटी से सरकार को कोई परियोजना प्रतिवेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

†मूल अंग्रेज़ी में

कैम्बे और बड़ौदा में तेल

†१७७. श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदीः
श्री रामेश्वर टांटियाः
श्री नवल प्रभाकरः
श्री भक्त दर्शनः
श्री सूपकारः
श्री पांगरकरः

क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ को खान और तेल मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैम्ब तथा बड़ौदा के निकट अब तक खोदे गये कुओं से प्राप्त जिन में कि तेल मिलने की संभावना है, रेत के विभिन्न पर्तों की जांच करने और प्राप्त तेल तथा गैस की मात्रा का प्राक्कलन करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या व्यापारिक दृष्टि से यह काफ़ी है; और

(ग) अब तक इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है और कौन कौन से देश इसमें भाग ले रहे हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) बड़ौदा शैलो हाल संख्या ११, १२ और १३ में उपयुक्त रेत के विभिन्न पर्तों का परीक्षण किया गया है । कैम्बे कुआं संख्या १ में उत्पादन के लिये बहुत से पर्तों की जांच की गई है और दूसरों की प्रगति जारी है ।

(ख) जब तक कि बहुत से कुओं की खुदाई नहीं होती तथा उनका परीक्षण नहीं होता इस क्षेत्र की व्यापारिक संभावना के बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात संयंत्रों का मूल्य

†१७८. श्री राम कृष्ण :
श्री उस्मान अली खां :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन इस्पात संयंत्रों के वर्तमान आक्कलित मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी विनिमय सहित अतिरिक्त मूल्य का अनुमान; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

† मूल अंग्रेज़ी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जी नहीं । अतः ऐसा मानने का तो कोई कारण नहीं है कि १३ अगस्त १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८५ में इस्पात संयंत्रों का जो मूल्य अनुमान दिया गया है वह बढ़ जायेगा । फिर भी अन्य सहायक वस्तुओं की लागत के बारे में उतना ही ठीक अनुमान बताना कठिन है ।

राजस्थान में तांबे के निक्षेप

†**१७९. श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप और भारतीय खानि विभाग ने जिला झुंझनू के खेत्री और जिला अलवर के खोह दरीबा स्थानों के तांबा निक्षेपों का सर्वेक्षण और खोज कर इस बात का पता लगाया है कि उन्हें किस सीमा तक वाणिज्यिक आधार पर चलाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण और पड़ताल के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) भारतीय भूतत्वीय परिमाप और भारतीय खानि विभाग ने झुंझनू जिले के खेत्री और अलवर जिले के खोह दरीबा स्थानों में जो कार्य आरम्भ किया था वह अभी चल रहा है ।

(ख) खोज पूरी होने पर ही उसके परिणामों का पता चल सकेगा ।

भारतीयों को तेल छिद्रण का प्रशिक्षण

†१८०. { **श्री राम कृष्ण** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के १५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में भारतीयों को तेल छिद्रण का प्रशिक्षण दिलाने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: तेल के कुएं खोदने का एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर आठ प्रशिक्षार्थी रूस से, १ फ्रांस से आ भी चुके हैं ।

प्रशिक्षार्थियों के एक और दल को तेल के कुएं खोदने और उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये रूस और रूमानिया भेजने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

बथूला में तेल छिद्रण

†**१८१. श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होशियारपुर (पंजाब) के निकट बथूला में जो छिद्रण-कार्य आरम्भ किया गया था उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: ५-२-१९५९ को छिद्रण ३९३९ मीटर की गहराई तक पहुंच चुका था । अब इस कुएं की इलैक्ट्रोलागिंग चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद्

†१८२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की पिछली बैठक किस समय हुई थी;

(ख) इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी थी; और

(ग) परिषद् ने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) २४ मार्च, १९५८ को ।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६**]

अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिक

†१८३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २० दिसम्बर १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अधीन १९५७ के बाद से कितने अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिकों को सहायता प्राप्त हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: चार ।

रिसर्च स्कालर

†१८४. **श्री वें० प० नायर**: क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधे सरकार के अधीन गवेषणा योजनाओं अथवा पुरोनिधान-गवेषणाओं में काम करने वाले रिसर्च-स्कालरों के वेतन-क्रम एक-से होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है, और मिलने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फोर्ड फाउन्डेशन के अनुदान

†१८५. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा हाल ही में दिये गये अनुदानों सम्बन्धी घोषणाओं की ओर आकृष्ट हुआ है;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या कोई अनुदान भारत को भी मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). (१) ग्राम नियोजन और ग्राम्य-गृह-निर्माण के सम्बन्ध में भारत में छः इंजीनियरिंग कालेजों में गवेषणा-व-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये . . .	९४,५००	डालर
(२) सामान्य-शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिये :		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को .	४६५,०००	डालर
बड़ौदा विश्वविद्यालय को . .	४३०,०००	डालर
(३) हैदराबाद स्थित भारत के प्रशासनिक कर्मचारी क लेज को पुस्तकालय के लिये पुस्तकों की व्यवस्था, फीस माफी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनके लिये उपाहार की व्यवस्था द्वारा उसके प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिये . .	६०,०००	डालर
जोड़ . . .	१,०४९,५००	डालर

प्रविधिक कर्मचारी

†**१८६. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा संस्थाओं से १९५९ में विभिन्न प्रकार के कुल कितने-कितने प्रविधिक कर्मचारी पास होकर निकलेंगे;

(ख) उनको रोजगार देने की क्षमता कितनी है; और

(ग) शिक्षा संस्थाओं के बीच समन्वय कायम रखने की क्या व्यवस्था है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) अभी से यह आंकड़े नहीं बताये जा सकते क्योंकि अभी १९५९ की परीक्षायें भी नहीं हुई हैं।

(ख) योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि १९५९-६० के लिये क्रमशः ६,०८१ और १३,२७५ प्रविधिक डिग्री और डिप्लोमाधारियों की जरूरत पड़ेगी।

(ग) प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् अपनी चार प्रादेशिक समितियों की मार्फत देश भर में प्रविधिक शिक्षा का समन्वित विकास कराती है।

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान द्वीप समूह में परिवारों का बसाया जाना

†१८७. **श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह में परिवारों के बसाये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को इस समय कितने प्रतिशत आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार लोगों के बसाये जाने की गति से संतुष्ट है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार उस द्वीप-समूह में लोगों को बसाने के संबंध में मुक्त–द्वार नीति अपनाने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) बस्ती बसाने की योजना के अधीन विभिन्न राज्यों के लिये परिवारों के कोटे निश्चित करने के संबंध में कोई प्रतिशत आधार तो नहीं निर्धारित किया गया है लेकिन फिर भी वहां पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

अन्य पिछड़ी जातियों के लिये अपनाया गया मानदण्ड

†१८८. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी:**
श्री झूलन सिंह : }

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अपनाये जाने वाले मानदण्ड के प्रश्न पर डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किये गये तदर्थ सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य-सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गयी है ;

(घ) ये मानदण्ड पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में दिये गये मानदण्ड से किस प्रकार भिन्न ठहरते हैं ?

†**गृह–कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) जी, हां ।

(ख) डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल ने कोई मानदण्ड नहीं सुझाया है, उन्होंने केवल अपने सर्वेक्षण के दौरान में एकत्र किये गये आंकड़ों को संकलित कर तालिकाओं के रूप में दे दिया है और साक्षरता व पेशों के आधार पर उन्होंने उनका वर्गीकरण कर दिया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अवैध बच्चे

१८९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अवैध बच्चों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या सरकार ने अवैध बच्चों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) सरकार को ऐसे बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

फोर्ड फाउन्डेशन के अनुदान

†**१९०. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने केन्द्रीय और प्रान्तीय विश्वविद्यालयों को अमरीका के फोर्ड फाउन्डेशन से सहायता मिल रही है और उन्हें किन प्रयोजनों के लिये विशेष अनुदान प्राप्त होते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में धोखाधड़ी के मामले

१९१. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कटपीस के वस्त्रों के व्यापार में ठगी या धोखेबाजी के मामले हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) इस तरह की शिकायतें आई हैं ।

(ख) पुलिस ने इस तरह की तमाम रिपोर्टों पर कार्यवाही की है । कटपीस व्यापार की स्थिति की जांच करने और उसकी बुराइयों को खतम करने के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिये सरकारी और गैर-सरकारी लोगों की एक कमेटी बनाई गई है ।

हरिजन मंत्रणा बोर्ड

†**१९२.** { **श्री भा० कृ० गायकवाड़:**
श्री माने:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के हितों की देख-भाल करने के लिये जिस मंत्रणा बोर्ड की नियुक्ति की गयी है उसके संबंध में "अनुसूचित जाति" के स्थान पर 'हरिजन' शब्द प्रयोग किया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) जी हां।

(ख) उस संदर्भ में 'हरिजन' शब्द ही उपयुक्त समझा गया ।

भिलाई के इर्द-गिर्द की भूमि का लिया जाना

†**१६३. श्री दामानीः** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई परियोजना के इर्द-गिर्द की भूमि ली जा रही है ;

(ख) १९५७ और १९५८ में कितनी-कितनी भूमि ली गयी थी ;

(ग) क्या भूमिधारियों को उपयुक्त मुआवज़ा दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) जी हां ।

(ख) १९५७ . . .	३४४८ एकड़--नीजी भूमि १८८७ एकड़--सरकारी भूमि
१९५८	१५५५ एकड़--निजी भूमि ३८० एकड़--सरकारी भूमि

(ग) जी हां ।

(घ) जो भूमि और मकान लिये गये हैं उनके संबंध में भूमिधारियों को १९५७ और १९५८ में क्रमशः १९,८३,३२७ रुपये और १५,८२,१३९ रुपये मुआवज़े के रूप में दिये गये हैं । भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों ने मुआवज़े की जो दर निश्चित की है वह १६४ रुपये प्रति एकड़ से ६७३ रुपये प्रति एकड़ तक है ।

ब्रिटिश बागानों द्वारा प्रेषित मुनाफे

†**१६४. श्री वारियर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत स्थित विभिन्न ब्रिटिश बागानों ने १९५७-५८ में कुल कितने मुनाफे प्रेषित किये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत स्थित विभिन्न ब्रिटिश चाय बागानों ने १९५७-५८ में निम्नलिखित राशियां प्रेषित की हैं :--

	करोड़ रुपये
ब्रिटिश कम्पनियों की शाखाओं के मुनाफे	. ४.७
भारत में पंजीबद्ध संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लाभांश	. ०.४
जोड़ .	. ५.१

†मूल अंग्रेजी में

अन्य ब्रिटिश बागानों (काफी, रबड़ और इलायची) की लाभ-आय लगभग ३ लाख रुपये कूती गयी है लेकिन पृथक् रूप से यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इसमें से कितनी राशि वास्तव में प्रेषित की गयी है। फिर भी, चाय बागानों द्वारा प्रेषित राशियों की तुलना में नगण्य ही होंगी।

विश्व-भारती विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र

†१६५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व-भारतीय विश्वविद्यालय में किन-किन देशों के कितने-कितने विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने कौन-कौन से विषय ले रखे हैं ;

(ख) उक्त संस्था में कितने विदेशी अध्यापक और प्राध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं और वे कौन-कौन से विषय पढ़ाते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**

नरनौल में शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा

†१६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नरनौल में शेरशाह सूरी के पिता के मकबरे को सुरक्षित करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)** : इस मकबरे को संरक्षित इमारत घोषित करने की अधिसूचना निकालने के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़े सम्बन्धित जिला अधिकारियों से एकत्र किये जा रहे हैं।

उज्जैन में महाकवि कालिदास का स्मारक

†१६७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उज्जैन में महाकवि कालिदास के स्मारक की स्थापना की योजना तैयार करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : कालिदास समारोह समिति ने एक कालिदास भवन के निर्माण का प्रस्ताव किया था। भारत सरकार का इस योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसका व्यौरा उनके पास उपलब्ध नहीं है।

अमरीकी राकेट--'पायनियर'

†१६८. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

†मूल अंग्रेजी में

११ अक्तूबर १९५८ को अमरीकी वायु-सेना ने चन्द्रमा की ओर जो राकेट 'पायनियर' छोड़ा था उससे सम्बन्धित आंकड़ों के विनिमय में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक-गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: हमें इस बात का पता नहीं है कि भारत में इस राकेट के सम्बन्ध में कोई पर्यवेक्षण किया गया है या नहीं। इसलिये अन्य लोगों के साथ इन आंकड़ों का विनिमय करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा प्रशासन के अधीन मोटर ड्राइवरों के वेतन-क्रम

†१९९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन के अधीन सभी मोटर ड्राइवरों के वेतन-क्रम एक से नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो वेतन-क्रमों में अन्तर क्यों है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). १८ फरवरी, १९५८ से पहले त्रिपुरा प्रशासन के अधीन मोटर ड्राइवरों के लिये ८ भिन्न वेतन क्रम थे। उस तारीख से एक-से वेतन क्रम लागू कर दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

	रुपये
हलकी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिये . . .	५०–२–६०–३–७५
भारी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिये	७५–३–१०५

१८ फरवरी, १९५८ से पहले जो मोटर ड्राइवर और ऊंचे वेतन-क्रमों पर भर्ती किये गये थे उनके वेतन-क्रम व्यक्तिगत रूप से उनके लिये उतने ही रहने दिये गये हैं।

लैन्सडाउन, लण्ढौर और चकराता में विकास-कार्य

†२००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैंसडाउन, लण्ढौर और चकराता के छावनी बोर्डों को जो अनुदान मंजूर किये गये हैं उनमें से १९५८-५९ में अब तक (प्रत्येक मद पर) कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ख) उपर्युक्त बोर्डों ने अब तक विकास सम्बन्धी कौन-कौन से निर्माण कार्य आरम्भ किये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

जामा मस्जिद की मरम्मत

†२०१. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(ग) उस पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जनवरी, १९५९ के अन्त तक ४/५ भाग काम पूरा हो चुका था।

(ख) जनवरी, १९५९ के अन्त तक ९२,३६१ रुपये।

(ग) १,१३,८०० रुपये।

दिल्ली की जेलों में व्यवसाय और दस्तकारियां

†२०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की जेलों में किन-किन व्यवसायों और दस्तकारियों के प्रशिक्षण की सुविधायें मौजूद हैं ;

(ख) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक इन व्यवसायों से कितनी-कितनी शुद्ध आय हुई है ; और

(ग) रिहा होने पर इन बन्दियों का पुनर्वास करने के लिये सरकार द्वारा निकाली गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) (१) कपड़ा बुनना, दुसूती और गाढ़ा, तौलिये, झाड़न, निवाड़, दरियां आदि।

(२) बांस की चिकें।

(३) मूंज की वस्तुयें—मूंज की बान, मूंज की चटाइयां।

(४) बढ़ईगीरी—सभी प्रकार का फर्नीचर।

(५) फिनाइल और साबुन बनाना।

(६) अम्बर चरखे से कताई।

(७) दर्जीगीरी।

(ख) १९५७—५८ . . . . . ५४,३७८ रुपये।
१९५८—५९ . . . . ४३,५६० रुपये।
(पहले नौ महीनों में)

(ग) (१) नयी जेल में एक बाद की देख-भाल का गृह बना दिया गया है। जो बन्दी रिहा किये जायेंगे उन्हें पुनर्वास होने तक यहां स्थान मिल सकेगा।

(२) रिहा बन्दियों की सहायता करने वाली समिति मौजूद है।

(३) एक पुनरीक्षित मजूरी-कमाओ योजना लागू की जा रही है जिसके अधीन बन्दियों को अपनी कमाई मजूरी के ५० प्रतिशत से अपनी जरूरत की चीजें खरीदने की अनुमति दे दी जायेगी और शेष ५० प्रतिशत रिहाई के समय उन्हें दे दिया जायेगा।

(४) बन्दियों का रिहाई के बाद उचित ढंग से पुनर्वास करने के लिये एक कल्याण अधिकारी नियुक्त कर लिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

राजनीतिक पीड़ित

†२०४. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से मैसूर राज्य के बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, बेल्लारी, गुलबर्गा, दीदार और रायचूर जिलों के राजनीतिक पीड़ितों को कुल कितनी राशि दी जा चुकी है ;

(ख) प्रति व्यक्ति अधिकतम और न्यूनतम कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) उपर्युक्त जिलों में से प्रत्येक में कितने-कितने व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५०]**

सम्पदा कर

†२०५. **श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में कुल कितने सम्पदा कर निर्धारियों का पंजीयन हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ३१ दिसम्बर, १९५८ को ३३,५१० ।

आसाम की चाय पर निर्यात-शुल्क

†२०७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार ने आसाम की चाय पर उपकर और निर्यात-शुल्क के रूप में कुल कितनी-कितनी राशि वसूल की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : आसाम की चाय से प्राप्त राजस्व के सम्बन्ध में आंकड़े न रखे जाने के कारण इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

गोला-बारूद

†२०८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश में पुलगांव की डिफ्यूजिंग डिपो में बड़ी मात्रा में गोला-बारूद खराब होकर बेकार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार को कुल कितनी हानि होने का अनुमान है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). जी नहीं । यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य ३.७" ए०ए०एच० ई० गोलों से है जिसे मेसर्स हार्डस मोटर्स पुलगांव में डिफ्यूज डिसमैन्टल कर रहे हैं तो यह स्टाक पुराना लड़ाई के जमाने का था और अपनी अवधि बीते काफी दिन हो जाने के कारण

---

†मूल अंग्रेजी में

काम आने योग्य नहीं रहा था। कापर एजाइड लग जाने के कारण यह गोले उठाने-धरने/लाने ले जाने रखने की दृष्टि से बड़ी खतरनाक अवस्था में थे और इसीलिये इनका शीघ्र निबटारा कर देना अत्यन्त आवश्यक था। ३.७" ए० ए० गोलों के अलावा, पुलगांव के गोला-बारूद डिपो में लड़ाई के जमाने का पुराना कुछ और स्टाक रखा है और उचित तरीके से इसके भी निबटारे का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ताकि उनमें लगी धातुयें निकाली जा सकें।

(ग) गोला बारूद की एक विहित शेल्फ-अवधि होती है और इस शेल्फ-अवधि के बीत जाने के पश्चात् इस गोला-बारूद का प्रयोग करना उचित नहीं। साधारणतया शेल्फ अवधि के बीत जाने के फलस्वरूप गोला बारूद में जो खराबी आ जाती है उसके बारे में यह नहीं समझा जाना चाहिये कि यह सरकार को नुकसान हुआ है। जो गोला-बारूद स्टाक में रखा-रखा खराब हो गया है वह पुराना लड़ाई के समय का है। जहां तक ३.७" ए० ए० गोलों का प्रश्न है, ब्रेकडाउन/बौइलिंग के तरीके से इनका निबटारा करने पर सरकार को लगभग ३८ लाख रुपयों का लाभ हो जायेगा।

महात्मा गांधी के 'बन्दी टिकट'[1]

†२०६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार महात्मा गांधी के 'बन्दी टिकट' पर उनके अंगूठे के निशान को दिखाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा के परीक्षा केन्द्र

†२१०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा का परीक्षा केन्द्र खोलने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा का परीक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव संघ लोक-सेवा आयोग के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी

†२१२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८ में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में छात्र सैनिक की चुनाव परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार सम्मिलित हुये ; और

(ख) उनमें से राज्यवार कितने लोग चुने गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Convict Tickets.

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ४,४८६ ।

(ख) मांगी गई जानकारी नीचे दी गई है :—

राज्य	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में भर्ती किये गये उम्मीदवार		
	जनवरी १९५८ में आरम्भ होने वाला पाठ्यक्रम	जुलाई १९५८ में आरम्भ होने वाला पाठ्यक्रम	योग
पंजाब	४२	५१	९३
दिल्ली	२८	२४	५२
उत्तर प्रदेश	१४	२८	४२
बम्बई	१४	११	२५
आसाम	२	२	४
बिहार	१	४	५
जम्मू तथा काश्मीर	१	४	५
मध्य प्रदेश	२	१	३
उड़ीसा	—	१	१
राजस्थान	३	५	८
पश्चिमी बंगाल	७	४	११
हिमाचल प्रदेश	१	२	३
मद्रास	३	३	६
मैसूर	५	६	११
आन्ध्र प्रदेश	१	२	३
केरल	१	१	२
योग	१२५	१४९	२७४

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

†२१३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां बसाने के हेतु १९५८-५९ में उड़ीसा की सरकार को वित्तीय सहायता दी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उक्त काल में अब तक उड़ीसा की इन बस्तियों में आदिम जातियों के कितने परिवार बस गये हैं ; और

(ग) क्या राज्य में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां बसाने का कोई और भी प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पिछड़े वर्गों के सेक्टर के अन्तर्गत १९५८-५९ में उड़ीसा में ८०० आदिवासी परिवारों को बसाने के लिये २० नई बस्तियां बसाने हेतु ५.९० लाख रुपये का उपबन्ध किया है । केन्द्रीय सरकार इस योजना पर हुये वास्तविक व्यय का ५० प्रतिशत देगी ।

(ख) ३० सितम्बर, १९५८ के अन्त तक राज्य सरकार ने उपर्युक्त २० बस्तियां बसाने के लिये प्रारम्भिक प्रबन्ध ही किये थे ।

(ग) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये योजना के अन्तर्गत और कोई बस्ती बसाने की योजना नहीं है ।

उड़ीसा में गिलट

†**२१४. डा० सामन्त सिंहार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गिलट की इकन्नी और दो पैसे वाले सिक्कों को चलाने में कोई कठिनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन सिक्कों को बन्द कर देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पिछली जनवरी के आरम्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा के कुछ भागों में गिलट की पीली इकन्नी और अधन्ने अबाध रूप से नहीं चल रहे हैं । इसकी सूचना राज्य सरकार को दी गई जिसने एक प्रेस समाचार के द्वारा इन सिक्कों को विधिमान्य मुद्रा बता कर स्थिति स्पष्ट की है । तब से कोई शिकायत नहीं सुनी गई है ।

(ख) सरकार को वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है । यह किन्हीं गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा उड़ाई गई अफवाह है कि पीली दुअन्नियों के साथ ये सिक्के भी विधिमान्य सिक्के नहीं रहे हैं ।

(ग) और (घ). देश में दशमिक मुद्रा पद्धति के लागू किये जाने से उससे पूर्ण लाभ उठाने के लिये एक आने के साथ के पुराने सारे सिक्के ही बन्द कर दिये जायेंगे। हां यह बता सकना सम्भव नहीं कि किसी विशेष समय में उन्हें क्या नाम दिये जायेंगे और न ही ऐसा करना वांछनीय समझा गया है । ऐसे सिक्कों का ढलना बन्द होने से काफी पहले ही विज्ञप्ति जारी कर दी जायेगी ।

मनीपुर को लोहे की नालीदार चादरों का संभरण

†**२१५. श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के लोहे की नालीदार चादरों का संभरण काफी समय से रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों को आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). कुछ महीनों से मनीपुर प्रशासन के एजेंटों को लोहे की नालीदार चादरें नहीं मिली हैं क्योंकि जिस मूल्य पर उन्हें वे चादरें दी जाती हैं उसे वे अनार्थिक मूल्य समझते हैं ।

(ग) इस मामले का उल्लेख लोहा और इस्पात नियंत्रक को कर दिया गया है ।

इलैक्ट्रिकल मेकेनिकल इंजीनियरिंग में क्लर्कों का स्थानान्तरण

†२१६. **श्री मं० रं० कृष्ण**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग दल के संयोधी[1] क्लर्कों का स्थानान्तरण कुछ काल तक सेवा करने के पश्चात् उनकी पसन्द के स्थानों को कर दिया जाता है ;

(ख) क्या इस प्रक्रिया का पालन प्रतिरक्षा के अन्य दलों जैसे सेना आयुध दल आदि में भी किया जाता है ; और

(ग) ऐसे स्थानान्तरणों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). सामान्यतः संयोधी कर्मचारियों को, जिनमें क्लर्क भी शामिल हैं, नीति के तौर पर कुछ काल की सेवा कर लेने के पश्चात् उनकी पसन्द के स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया जाता । इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियरिंग दल में, जो कर्मचारीगण जम्मू तथा काश्मीर और उत्तरी पूर्वी सीमा अभिकरण के ऐसे एककों में जहां सपरिवार नहीं रह सकते अथवा वे व्यक्ति जो दो वर्ष के अन्दर अवकाश प्राप्त करने वाले होते हैं, निर्धारित अवधि तक सेवा करने के पश्चात् प्रशासकीय सुविधा और काम की स्थिति को ध्यान में रखते हुये उनकी पसन्द की जगहों में उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है । सेना आयुध दल के और जम्मू तथा काश्मीर एवं संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल के कर्मचारियों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है ।

(ग) इस बारे में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

नौ वास्तु में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र[2]

†२१७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय खड़गपुर टेक्नालाजिकल कालेज में कोई छात्र नौ-वास्तु में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ; और

(ख) १९५६ से अब तक कितने छात्र इस विषय को पास कर चुके हैं और उनमें से कितने लोगों को काम मिल गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) इन्सटीट्यूट में नौ-वास्तु के पाठ्यक्रम में इस समय ४९ छात्र हैं ।

(ख) १९५६ से २९ विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पास कर चुके हैं । उनमें से एक को छोड़कर जो बीमार है, शेष सभी को काम मिल गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Combatant.
[2]Students Pursuing Naval Architecture.

तेल विकास योजना

†२१८. { **श्री द्वी० चं० शर्मा:**
श्री राम कृष्ण :
श्री रा० स० तिवारी: }

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में देश में तेल का विकास करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रकार की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मामला तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई राज्य में विज्ञान मन्दिर

†२१९. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की सरकार ने राज्य में विज्ञान मन्दिरों की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कहां कहां पर स्थित होंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख) दो विज्ञान मन्दिर—एक कराद (उत्तर सतारा) और दूसरा वेदची (जिला सूरत) में स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

लोक संगीत तथा चित्र

†२२०. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उड़ीसा, भूतपूर्व मध्य भारत और बम्बई के विदर्भ प्रदेश के लोक संगीत तथा चित्रों के संकलन, संरक्षण और उनको लोकप्रिय बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: जी हां, कटक, नागपुर, भोपाल और इन्दोर के आकाशवाणी केन्द्र इन प्रदेशों के लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित करते हैं ।

भारतीय चित्रों के एक विषयक निबन्ध माला भी निकालने का विचार है जिसमें उड़ीसा भी शामिल होगा ।

राष्ट्रीय अकादमियों के भी अपने-अपने क्षेत्र में संकलन, संरक्षण और लोक कला को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

'कुथ' नामक बूटी से तेल निकालना

†२२१. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राष्ट्रीय गवेषणा प्रयोगशाला में 'कुथ' (कोस्टस) नामक औषधीय जड़ी बूटी से तेल प्राप्त करने के लिये कोई गवेषणा कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां । राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना और प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, जम्मू में गवेषणा की गई है ।

(ख) राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला ने इस पौदे की जड़ से तेल निकालने का एक स्तर निर्धारित किया है उसके तरीके का पेटेंट तैयार किया है । इस तरीके से एक मन कास्टस की जड़ों में से ४.६ पाउण्ड प्रैक्टिल ग्रेड तेल और लगभग ४.२ पाउण्ड रिफाइंड ग्रेड तेल निकलता है जिसका इस्तेमाल औषधियां और इत्र आदि बनाने में किया जा सकता है ।

युवक होस्टल संस्था[1]

†२२२. { **श्री अरविन्द घोषाल**:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री सुबोध हंसदा: }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की युवक होस्टल संस्था को कुछ अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) ६२,६२० रुपये ।

टेक्निकल सहकारिता मिशन योजना[2]

†२२३. **श्री ब० च० मलिक** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी संस्थाओं की भारत में (राज्यवार) संख्या कितनी है जो टेक्निकल सहकारिता मिशन के अधीन ठोस सहायता प्राप्त करती रही हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में भूमि का बन्दोबस्त

†२२४. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के चालित्र-चारा क्षेत्र में बन्दोबस्त की भूमि प्राप्त करने के लिये आदिम जाति के व्यक्तियों के पास से कितनी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Youth Hostel Association.

[2]T. C. M. Scheme.

(ख) वहां बन्दोबस्त में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में विज्ञान मन्दिर

†२२६. **श्री वाजपेयी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में विज्ञान मन्दिरों की स्थापना करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जी हां, यदि राज्य सरकार से इस बारे में आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त हुये तो ।

१९५८ में की गई भ्रष्टाचार निरोधी कार्यवाही

†२२७. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के भ्रष्टाचार के कितने मामलों में दण्ड दिया गया ;

(ख) कितने मामलों को न्यायालय में ले जाया गया और कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है ;

(ग) वर्ग-वार कितने पदाधिकारियों ने विरोधी कार्यवाही की ; और

(घ) कितने मामले तय हो चुके हैं तथा (वर्गवार) कितने पदाधिकारियों को दण्ड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). १९५८ में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा निबटाये गये मामलों के संबंध में जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५१]** जिन मामलों का निबटारा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की सहायता बिना किया गया उनके बारे में जानकारी यथाशीघ्र दी जायेगी ।

भारत और चीन के बीच विद्यार्थियों का आदान-प्रदान

†२२८. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में "भारत और चीन के बीच विद्यार्थियों का आदान-प्रदान, योजना," के अधीन चीन में चीनी भाषा का अध्ययन करने के लिये आवेदन प्राप्त किये गये थे ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख कौन है ;

(ग) कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ;

(घ) क्या उसके लिये चुनाव किया जा चुका है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम और उनकी योग्यतायें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां।

(ख) ४ अक्तूबर , १९५८

(ग) १५२ ।

(घ) और (ङ). चुनाव शीघ्र ही करने की आशा है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में संकल्प

चीनी मिलों में तालाबन्दी

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान्, मैंने १० तारीख को रामपुर की चीनी की मिलों में तालाबन्दी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और आप ने श्रम उपमंत्री से एक वक्तव्य देने को कहा था । आज तालाबन्दी का १२वां दिन है और तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई वक्तव्य देना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखता हूं कि श्रम मंत्री उपस्थित नहीं हैं । माननीय सदस्य न रामपुर की चीनी की मिलों में तालाबन्दी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । श्रम उपमंत्री ने कहा था कि जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है और वे शीघ्र से शीघ्र जानकारी इकट्ठा करके सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे। माननीय सदस्य का कहना है कि आज तालाबन्दी की १२वां दिन है । माननीय संसद् कार्य मंत्री इस बात की सूचना कृपया श्रम मंत्री को दे दें और उनसे पूछ लें कि क्या वे आज दिन में किसी समय वक्तव्य दे सकेंगे या कल वक्तव्य दे सकेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ छटा सत्र, १९५८
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५२]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५ पांचवां सत्र, १९५८
[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५३]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १४ चौथा सत्र, १९५८
[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५४]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६ तीसरा सत्र, १९५७
[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५५]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २० दूसरा सत्र, १९५७
[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५६]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या १९ पहला सत्र, १९५७
[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५७]

खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियमों में संशोधन

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियम, १९५६ में संशोधन करने वाली दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८० की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १०८२/५८]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न नियमों की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली गजट-अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (एक)—दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (पानी देने की अन्तिम दर का निर्धारण) नियम, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ९०९/५८]

(२) दिल्ली गजट-अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (दो)-दिल्ली दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (मूल-सूत्र को ठिकाने लगाने की लागत का निर्धारण) नियम, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ९१०/५८].

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†**श्री दातार** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सवा (वेतन) नियम, १९५४ की तीसरी अनुसूची

†मूल अंग्रेज़ी में

में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ११९४/५८]

आय पर दोहरे करारोपण से बचने के लिए भारत-स्वीडन करार

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री की ओर से मैं आय पर दोहरे करारोपण से बचने के लिये भारत सरकार और स्वीडन की राजकीय सरकार के बीच हुए दिनांक २३ जनवरी १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२ में प्रकाशित, करार की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२००/५९]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ८, दिनांक ३ जनवरी, १९५९ ;

(२) जी० एस० आर० संख्या ९, दिनांक ३ जनवरी, १९५९ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ११९५/५९]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ९५, दिनांक २४ जनवरी, १९५९ ;

(२) जी० एस० आर० संख्या ११९, दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ११९६/५९]

भारत के राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित (अंग्रेज़ी और हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ११९७/५९]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** मैं स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत अन्दमान तथा निकोबार गजट अधिसूचना संख्या सुप०/आई टी डब्ल्यू जी/२३/१ दिनांक २ जुलाई, १९५८ में प्रकाशित स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह) नियम, १९५८ तथा उसके शुद्धिपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ११९८/५९]

विधेयक पर राय

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : में दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर, जिसे ५ सितम्बर, १९५८ को सभा के निदेशानुसार राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, प्राप्त रायों के पत्र संख्या १ को सभा पटल पर रखता हूं ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"८ फरवरी, १९५९ को दक्षिण रेलवे के गदग-शोलापुर सेक्शन में एक पुल के गर्डर गिरने से कुछ रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु और कई को चोटें आना।"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** मल्लप्रभा नदी पर, गदग-शोलापुर सेक्शन के होल-आलूर और बदामी स्टेशनों के बीच, ३०/१०—१५ मील पर, १००—१०० फीट के १२ पाटों वाला यह पुल १८८५ में बना था । उस पुल में शुरु से लगे हुए गढ़ाई के लोहे के गर्डरों के स्थान पर नये गर्डर लगाये जा रहे थे । शनिवार, ७ फरवरी, १९५९ तक गदग की ओर के ६ पाटों और शोलापुर की तरफ वाले पुल के सिरे के तीन पाटों के गर्डर बदले जा चुके थे ।

इन गर्डरों को बदलने का तरीका एक ही होता है। उसमें कई काम करने पड़ते हैं। हर गर्डर को बदलने के लिये हर बार नये सिरे से उन्हीं सब कामों को दोहराना पड़ता है। इस तरीके की दो अवस्थायें होती हैं, पहली अवस्था को लाइन बन्द करने की छोटी अवस्था और दूसरी को बड़ी अवस्था मेजर ब्लाक स्टेज कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में लाइन पर होने वाला यातायात रोक दिया

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जाता है। पहली अवस्था में चार घंटे और दूसरी अवस्था में दस घंटे के लिये वह लाइन बन्द करदी जाती है। दस घंटे लाइन बन्द करने की अवस्था का काम अक्सर इतवार के दिन किया जाता है। इसमें जो प्रविधिक कार्य जिस क्रम में किये जाते हैं, यहां उनका जिक्र करना बेकार होगा।

८ फरवरी, १६५६ को दस घंटे के लिये लाइन बन्द करके, गदग की ओर वाले पुल के सिरे के पाट संख्या ७ पर कार्य किया जा रहा था। सर्विस गर्डरों को ट्रालियों पर चढ़ा दिया गया था और ट्रालियां २० फीट तक बहुत ठीक ढंग से आगे भी बढ़ चुकी थीं। लेकिन एकाएक वे नये गर्डर गिर पड़े जिन पर कि ट्रालियों का मार्ग सधा हुआ था। इससे पूरा पाट नीचे आ पड़ा। उस समय दोपहर के साढ़े बारह बजे थे। मौसम शांत और आसमान साफ था। गर्डर बदलने की योजना काफी सावधानी से तैयार की गई थी और क्रियान्वित की जा रही थी। कुल १२ पाटों में से ६ के गर्डर बिना किसी दुर्घटना के बदले भी जा चुके थे। इससे जाहिर है कि गर्डर बदलने की योजना ठीक ढंग से चल रही थी। पहले जिन ६ पाटों के गर्डर बदले गये थे, उनमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी।

इस सारे काम की देखरेख बहुत ही योग्य इंजीनियर के हाथों में थी, जो इस काम को अपना पूरा समय देते थे। दक्षिण रेलवे के एक्जेकेटिव इंजीनियर (पुल) उसकी देखभाल कर रहे थे। उनकी सहायता दो सहायक इंजीनियर कर रहे थे, जो दोनों ही पुलों के निर्माण का काफी अनुभव रखते हैं। दुर्घटना के समय उनमें से एक सहायक इंजीनियर एक्जेकेटिव इंजीनियर के साथ वहां मौजूद था। इतना ही नहीं, दुर्घटना के समय रेलवे के एक वरिष्ठ डिप्टी चीफ इंजीनियर भी वहां मौजूद थे। हालांकि उनका उस योजना से कोई संबंध नहीं था और न वह पुल उनके अपने क्षेत्र में ही था। उस दिन ग्यारह अन्य रेलवे अधिकारी भी वहां गर्डर बदलने का तरीका देखने के लिये मौजूद थे। हमें जो सूचना मिली है, उसके अनुसार दुर्घटना के समय एक्जेकेटिव इंजीनियर (पुल) जिन पर सारे काम की देखरेख की जिम्मेदारी थी, वहीं पुल के स्तम्भ संख्या ६ पर खड़े थे, और डिप्टी चीफ इंजीनियर उसके पश्चिमी ओर थे। यह संयोग की बात ही है कि उन दोनों को कोई चोट तक नहीं लगी। डिस्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर, जो सिर्फ अपनी दिलचस्पी के कारण वहां गये थे और स्तम्भ के पूर्वी भाग पर खड़े थे गर्डरों की चपेट में आ गये और उनकी मृत्यु भी हो गई।

गर्डरों के अक्समात गिरने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। महा प्रबन्धक ने विभाग के प्रधानों को उसकी जांच करने का आदेश दिया है। आज वह जांच शुरू हो जायेगी।

इस दुर्घटना के फलस्वरूप चार अधिकारी मारे गये हैं : श्री लक्ष्मी नारायण डिस्ट्रिक्ट मैकेनिकल इंजीनियर, हुबली, श्री मैस्टन, ब्रिज इंस्पैक्टर, श्री भीमप्पा एलप्पा, बढ़ई ; और श्री कुंजु मुहीद्दीन, खलासी। दस व्यक्तियों को काफी गम्भीर चोटें आई हैं और चार को कुछ छोटी मोटी। इनमें से १२ व्यक्ति हुबली के रेलवे अस्पताल में हैं। सबसे हाल की सूचना यह है कि उन सभी की हालत सुधर रही है और किसी की भी जान का खतरा नहीं है। हां, एक व्यक्ति का एक पैर काट देना पड़ा है। दो रेलवे डाक्टरों और एक स्थानीय डाक्टर ने घटना स्थल पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा की थी। घायल व्यक्तियों को शीघ्र ही होले-आलूर स्टेशन पर पहुंचा दिया गया था और वहां से फिर हुबली रेलवे अस्पताल में लाया गया था।

चूंकि पाट संख्या ७ अभी ठीक हालत में नहीं है, इसलिये वहां से रेलें नहीं गुजर सकतीं। वह १६ तक ठीक हो जायेगा। इस दुर्घटना में चार रेलवे कर्मचारियों—एक अधिकारी, एक अधक्षिक, एक कारीगर और एक पुल खलासी,--की काम करते हुये मृत्यु हुई है। यह सचमुच बड़ी खेदजनक घटना है।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को तदर्थ रूप में कुछ प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** अभी इस संबंध में कुछ कहना कठिन है, यथा समय इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : माननीय मंत्री ने बताया है कि विभागीय प्रधानों द्वारा उसकी जांच की जा रही है । क्या रेलवे के इन्स्पैक्टर जांच नहीं कर रहे हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम):** यह इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं है । रेलवे इन्स्पैक्टर बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाओं की जांच करते हैं ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री शाहनवाज खां द्वारा ११ फरवरी १९५९ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी ।

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दी० चं० शर्मा : अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में बिना टिकट यात्रायें, और खतरे की जंजीर के दुरुपयोग की घटनायें बढ़ती ही गई हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ऐसे अपराधों के लिये दंड की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी । लेकिन सिर्फ दण्ड देने से यह बुराई दूर नहीं होगी, क्योंकि यह एक प्रकार का समाजिक रोग है । पता यह लगाया जाना चाहिये कि किस रेलवे जोन में यह रोग कितना ज्यादा है । कुछ जोनों में तो बिना टिकट यात्रा करना एक आदत सा हो गया है । खतरे की जंजीर खींचना भी मनवहलाव का साधन बन गया है । इसी तरह, रेलों पर अनधिकृत लोगों द्वारा फेरी लगाने की प्रथा सी बन गई है । रेलवे मंत्रालय को इनके कारणों का पता लगाना चाहिये ।

इसके लिये हर रेलवे जोन का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये । कारणों का पता लगाने के बाद ही यह सामाजिक रोग अच्छा किया जा सकता है ।

यह रोग एक खास उम्र के लोगों में ही सबसे अधिक मिलता है । हमें पता लगाना चाहिये उस उम्र के लोग क्यों ऐसे अपराध करने में अपना बड़प्पन मानते हैं । हमें इनको सामाजिक बुराइयां मानकर ही इनका निदान करना चाहिये । साथ ही, यह बात भी है कि चोरियों, डांकों, हत्याओं, इत्यादि को रोकने के लिये जो व्यवस्था रेलवेज़ की है, वह अब काफी पुरानी पड़ गई है । उसमें परिवर्तन की जरूरत है । उसके लिये एक दूसरा विधेयक रखा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक में पाकेट मारों का कोई उल्लेख ही नहीं है। रेलों में चलने वाले पाकेट मारों की रोकथाम का भी उपाय किया जाना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि कुछ लोग रेलवे अधिकारियों को परेशान करते हैं। उनकी ऐसी आदत सी बन गई है। रेलवे अधिकारियों में भी अब पहले जैसा आत्म विश्वास नहीं रह गया है। रेलवे मंत्रालय को उनका मनोबल, उनका आत्म-विश्वास बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये। उसके लिये कोई उपाय करना चाहिये।

मैं इस विधेयक का स्वागत तो करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अन्य विधेयकों की तरह यह भी कागज पर ही रह जायेगा।

जैसा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का हाल हुआ है। इसलिये रेलवे मंत्रालय को ऐसे विधानों को कार्यान्वित करने की कोई व्यवस्था करने की बात सोचनी चाहिये।

इसलिये सिर्फ इस विधेयक को पारित करने से काम नहीं चलेगा। मंत्रालय को सामाजिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को समझाना चाहिये ये असामाजिक कृत्य हैं और देश के हित में नहीं है।

इस सामाजिक शिक्षा के प्रलेख चलचित्र तैयार कराने चाहियें। सामाजिक शिक्षा के अन्य माध्यमों का भी प्रयोग किया जाना चाहिये।

इस विधेयक की कुछ व्यवस्थायें और ज्यादा सख्त होनी चाहिये थीं। खंड ५ में व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से किसी बर्थ पर कब्जा जमा ले तो उसे डिब्बे से निकाला जा सकता है और जुर्माना भी उस पर किया जा सकता है। यह काफी नहीं है। ऐसे मामलों में कभी कभी ट्रेनें बड़ी लेट हो जाती हैं; इसके लिये २० रुपये से अधिक जुर्माना रखना चाहिये।

इस विधेयक की व्यवस्थाओं को और अधिक यथार्थवादी बनाया जाना चाहिये।

इसी प्रकार खंड ६(२) की व्यवस्था भी इतनी सख्त नहीं है कि उससे डर कर लोग कम दूरी का टिकट लेकर अधिक दूरी तक यात्रा करने में हिचकें। रेलवे अधिकारियों को अधिक आरक्षण देना चाहिये।

यह विधेयक तभी किसी काम का सिद्ध हो सकता है, जबकि इसे कार्यान्वित किया जाये।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर): इस विधेयक द्वारा रेलवे अपराध करने वाले व्यक्तियों, खास तौर से बिना मतलब खतरे की जंजीर खींचने वालों के लिये अधिक जुर्माने की व्यवस्था की जा रही है।

मैं तो समझती हूं कि इससे रेलवे उपराधों की संख्या में कमी नहीं होगी, क्योंकि इन रेलवे अपराधों की जड़ में वे कठिनाइयां ही हैं जो एक सामान्य यात्री को रेलों में सफर करते समय अनुभव करनी पड़ती हैं। मैं यह नहीं मानती कि खतरे की जंजीर हमेशा ही शरारती लड़कों द्वारा खींची जाती है।

मुझे खुद इस बार दिल्ली आते समय खतरे की जंजीर खींचनी पड़ी थी, क्योंकि एक आदमी चलती ट्रेन में मेरे स्त्रियों के डिब्बे में चढ़न की कोशिश कर रहा था। ट्रेन रूकने पर वह भाग गया। ट्रेन का कनडक्टर मुझ से बड़ी सख्ती के साथ पेश आ रहा था, और जब मैंने उसे बताया कि मैं

†मूल अंग्रेजी में

संसद-सदस्या हूं, तभी उसके होश ठिकाने आये थे। यह मैं इसलिये बता रही हूं कि ऐसे ज्यादातर मामलों में रेलवे अधिकारी यात्रियों को ही तंग करते हैं। कभी-कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उचित-अनुचित का भेद करने का समय नहीं रहता।

इसलिये सिर्फ जुर्माना बढ़ा देने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा कोई तरीका निकाला जाना चाहिये जिससे खतरे की जंजीर खींचने के असली कारण का पता लगाया जा सके। साथ ही, यह भी जरूरी है कि तीसरे दर्जे के डिब्बों की भीड़ कम की जाये। अक्सर जंजीर इसलिये भी खींचनी पड़ती है कि सामान चढ़ान में ही ट्रेन चल देती है, और पति-पत्नी दोनों में से किसी एक को जंजीर खींचनी पड़ती है।

रेलवे मंत्रालय भीड़ कम करने का कोई कारगर उपाय नहीं कर रहा है। इससे यात्रियों में झगड़े होते हैं। झगड़ों के कारण भी खतरे की जंजीर खींची जाती है। इसलिये सिर्फ यात्रियों को ही दोष देना उचित नहीं है।

आज मुख्य, बुनियादी समस्या तो भीड़ की है। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये अधिक डिब्बे जुटाने का कोई प्रबन्ध ही नहीं किया जा रहा है। राज्यपालों, इत्यादि के सफर के समय तो तीसरे डिब्बों की और भी कमी हो जाती है, क्योंकि वे उनके अधिकारियों के लिये सुरक्षित हो जाते हैं।

रेलवे बोर्ड के सामने इस सम्बन्ध में कई सुझाव कई बार रखे जा चुके हैं। एक सुझाव यह भी है कि लम्बे सफर की यात्रा के डिब्बों पर इसकी सूचना की तख्तियां लगादी जायें। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी।

स्थानीय ट्रेनों में तो और भी अधिक भीड़ रहती है।

इसलिये सिर्फ जुर्माना बढ़ाने से इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि सब से पहले भीड़ कम करने का उपाय किया जाये।

दूसरी बड़ी खामी यह भी है कि प्लेटफार्म पर कोई अधिकारी भी ढूंढे नहीं मिलता जिससे डिब्बों के सम्बन्ध म शिकायत की जा सके। यात्री को पता ही नहीं चलता कि वह किससे शिकायत करे। अक्सर रोशनी या पंखे बन्द हो जाते हैं, पर कोई सुनने वाला ही नहीं होता। इसलिये हमें इस पूरी समस्या पर कुछ अधिक तर्क-सगत ढंग से विचार करना चाहिये।

बिना टिकट यात्रा के मामलों पर विचार करते समय हमें जनता की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करना चाहिये।

मैं यह नहीं कहती कि बिना टिकट यात्रा रोकने के लिये कुछ उपाय नहीं करने चाहिये, या यह कि वह बुरी चीज नहीं है। मेरा मतलब यही है कि इस समस्या पर कुछ अधिक मानवीयता से विचार करना चाहिये। मैं यह नहीं कहती कि कुछ व्यक्ति आदतन बिना टिकट यात्रा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग कुछ कठिनाइयों के कारण भी बिना टिकट यात्रा करते हैं।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : लेकिन उन बहुत थोड़े से लोगों की भी रक्षा तो की जानी चाहिये। मैं रेलवे मंत्रालय की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि रेलवे अधिकारियों पर हमला करने वालों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये। अक्सर रेलवे अधिकारियों को परेशान करने वाले लोग वे होते हैं जो खुद भी सरकारी अधिकारी होते हैं, और जिन्हें अपनी ऊंची स्थिति का बड़ा घ्यान रहता है। इसे रोका जाना चाहिये। लेकिन जुर्माना बढ़ा देने से यह नहीं रूकेगा। इसके लिये प्रशासकीय कार्यवाही की व्यवस्था की जानी चाहिये। कांग्रेस दल के लोग भी अक्सर रेलवे अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वे रेलवे अधिकारियों को डराते धमकाते हैं। ऐसी चीजों को रोका जाना चाहिये। माननीय उपमंत्री के जिले में ही एक कांग्रेस मैन ने एक निरपराध रेलवे अधिकारी पर उल्टा मुकदमा चलवाया है। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने एक यात्रि से टिकट मांगा था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है, तो यहां उसके उल्लेख से कोई लाभ नहीं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : रेलवे अधिकारी जनता की शिकायतों पर घ्यान ही नहीं देते।

इसीलिये हमें बार-बार रेलवे प्रशासन का घ्यान इन कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना पड़ता है। माननीय मंत्री को इसकी ओर घ्यान देना चाहिये। उन्हें इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि इस अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे विभाग पर जो दायित्व आ जायेंगे, उनको पूरा किया जायेगा। हमें रेलवे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों दोनों ही के हितों को देखना पड़ेगा।

मैं एक बार फिर दोहराना चाहती हूं कि केवल अधिक जुर्माना रखने से ये बुराइयां दूर नहीं होंगी। रेलवे प्रशासन को इन बुराइयों की दुहाई दे कर अपनी अकार्यक्षमता छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो अभी सदन के सामने उपस्थित है, इसकी धाराओं को पढ़ने के बाद मुझे स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता है कि इसका समर्थन किया जाये या इसका विरोध किया जाये इसका कारण यह है कि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस बात पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला कि अभी जो रेलवे ऐक्ट के अन्दर सजा देने का प्रोविजन है उसको लागू करने में क्या अनुभव हुआ है? मुझे मालूम नहीं है कि जो ऐसे छोटे छोटे अपराध रेलवे ऐक्ट के अन्दर है और जिनके लिये कि सजा को बढ़ाने के लिये माननीय मंत्री यह विधेयक लाये हैं और इन धाराओं के अन्दर जिन लोगों को सजा मिली उनमें हैविचुएल औफेंडर्स कितने हुए? ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिनकी कि टिकटलेस ट्रेविल के लिए सजा हुई यानी एक बार जुर्माना हुआ, दूसरी बार वह फिर उसी अपराध में पकड़े गये, कै बार पकड़े गये? यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जब किसी कानून में सजा देने की या जेल में रखने की या जुर्माने की तादाद को बढ़ाने की बात पर विचार करना हो तो हमको देखना चाहिये कि जो मौजूदा प्राविजन है उसको लागू करने के बावजूद भी। क्राइम किस प्रकार बढ़ रहा है। मैं यह बात जानता हूं कि बिना टिकट के लोग रेलगाड़ियों में काफी तादाद में चलते हैं और यह बात भी हम सब जानते हैं कि बिना कारण के लोग रेलगाड़ियों में लगी खतरे की जंजीरें खींच लेते हैं लेकिन यह बात ठीक तौर पर मालूम नहीं है कि जिन लोगों को पकड़ा गया और पकड़ कर के सजा दी गई उनके ऊपर

†मूल अंग्रेजी में

इस सजा का असर हुआ कि नहीं, यह बात स्पष्ट नहीं मालूम पड़ती। हमारे सामने कुछ आंकड़े रक्खे जाने चाहियें थे जिनसे यह मालूम हो सकता कि २, ४ या ५ वर्ष के अन्दर इन अपराधों के सिलसिले में कितने कितने लोग किस किस रेलवे में पकड़े गये और जितने लोग पकड़े गये उनमें पुराने अपराधी कितने थे, ऐसे लोगों की तादाद कितनी थी जिनको कि पहली मर्तबा पकड़े जाने पर जुर्माने की सजा हो चुकी है और फिर दुबारा उन्होंने उन्हीं अपराधों को करने की हिम्मत की और बिना टिकट यात्रा करने या खतरे की जंजीर बिना कारण खींचने के अपराध में दुबारा पकड़े गये? उस हालत में यह देखा जा सकता था कि आया यह जो रेलवे ऐक्ट में खाली जुर्माने की सजा का प्राविजन है और जेल का प्राविजन् नहीं है इसलिए अपराधों में कमी नहीं हो पा रही है और इसलिए जेल की सजा इन अपराधियों के लिये रखनी आवश्यक है। उस हालत में हम इस पर विचार कर सकते थे कि इन अपराधों के वास्ते जो सजा है उसको सख्त करने की जरुरत और बढ़ाने की जरुरत है और अगर जेल की सजा नहीं है तो जेल की सजा भी इसमें रखनी चाहिये। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उपमंत्री महोदय के भाषण में कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है सिर्फ उन्होंने हमको अपने भाषण में वही बातें बतलाई हैं जिनको कि हम सब पहले से जानते हैं अर्थात् रेलवेज में लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं और बिना कारण के खतरे की जंजीरें खींचते हैं। जो कुछ उन्होंने फरमाया वह सब सही है और मैं स्वीकार करता हूं कि यह बीमारी हमारे समाज में विद्यमान है। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी जो रेलवे ऐक्ट के अन्दर इस बीमारी की दवा है उस के रहते हुए भी बीमारी जारी है तो असल में बात यह है कि दवा का व्यवहार ही नहीं होता तो बीमारी जाती कैसे। मैं इस चीज को जोर दे कर कहना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो मुसाफिर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करते हैं, वह अधिकांश में पकड़े ही नहीं जाते, सजा की बात तो छोड़िये। जो पकड़े जाते हैं उनको तो सजा हो जाती है लेकिन मैं समझता हूं कि तीन चौथाई से अधिक आदमी पकड़े ही नहीं जाते हैं, हैबिचुएल औफेंडर्स हैं और उनकी बिना टिकट यात्रा करने की आदत सी हो गई है। रेलवे के कर्मचारी जिनको कि यह अधिकार मिला हुआ है कि वे ऐसे अपराधियों को चैक करें और उनको पकड़ कर पुलिस के हवाले करें, मुझे कहना पड़ता है कि हमारे रेलवे के कर्मचारी लोग अपने इस कर्त्तव्य का पालन ही नहीं करते हैं। इसे कर्त्तव्यपालन न करने के दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वे स्वयं इस बुराई को बुराई नहीं समझते हैं और वे लोग ऐसा असमझते हैं कि अगर कुछ लोग बिना टिकट सफर करते हैं तो इसमें हमारा क्या बिगड़ता है। रेलगाड़ी कोई हमारी तो है नहीं वह तो देश और सरकार की है जैसे चलता है चलने दिया जाये और हम यह पकड़ने का काम क्यों करें...

श्री म० प्र० मिश्र: (बेगू सराय): उन लोगों ने रेट सस्ता कर दिया है।

श्री श्रीनारायण दास: टिकट एग्ज़ामिनर्स हम जानते हैं कि हजारों की तादाद में हैं और हम देखते हैं कि कहीं तो चैकिंग होती है और कहीं चैकिंग होती ही नहीं है और इसका कारण यह है कि रेलवे कर्मचारी जिनके कि जिम्मे यह काम है वे अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करते हैं। कर्त्तव्य पूरा न करने का दूसरा कारण यह है कि उनको अपराध करने वालों से मार खा जाने का डर रहता है। उनको डर होता है कि जिस इलाक़े में वे रहते हैं और काम करते हैं अगर वहां के लोगों को हम पकड़ेंगे तो वे हमें किसी न किसी मौके पर अवश्य नुक़सान पहुंचायेंगे और इस डर से वे लोग जो चैक करने की उनकी ड्यूटी है उसको ठीक से अंजाम नहीं देते हैं।

कुछ रेलवे कर्मचारियों से मेरी बातें हुई हैं। उन्होंने बताया है कि इस बुराई को हम और आप सब देखते हैं लेकिन हम अपना कर्त्तव्य इसलिये नहीं करते क्योंकि कर्त्तव्य पालन के सिलसिले में अगर हम कहीं मार खा जाते हैं तो यह रेलवे प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी टी० टी० के ऊपर इस सिलसिले में किसी मुसाफ़िर द्वारा केस चला दिया जाता है तो उसमें टी० टी० को रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है और इसका नतीजा यह होता है कि रेलवे के कर्मचारी डर के मारे अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते और ज़ाहिर है कि टिकट चैकर्स जिन पर कि इस ड्यूटी को अंजाम देने की ज़िम्मेदारी है जब वे अपने फ़र्ज़ को पूरा नहीं करते तो लोग समझते हैं कि भई बिना टिकट चलने में पकड़ तो होती नहीं है, सज़ा तो होती ही नहीं है इसलिये बगैर टकट ही चलो। मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे ऐक्ट के अन्दर इन संशोधनों के द्वारा यह बीमारी दूर होने वाली है ? मेरा कहना है कि रेलवे मंत्री महोदय को बीमारी का भी पता है और उसकी दवा भी उन्होंने तजवीज कर दी है और चूंकि बीमारी खत्म नहीं हो पाई है इस लिये उन्होंने दवा भी तेज़ कर दी है और सज़ा बढ़ा दी है लेकिन रेलवे के कर्मचारी जिन पर कि मरीजों को दवा खिलाने की ज़िम्मेदारी है जब वे ही अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते तो फिर खाली दवा तेज़ करने और सज़ा बढ़ाने से क्या बनेगा ?

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अब रेलवे कर्मचारियों जिन पर कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों और बिना कारण के ख़तरे की ज़ंजीरें खींचने की ज़िम्मेदारी है जब वे ही अपने फ़र्ज़ पूरे नहीं करेंगे तब यह सज़ा बढ़ाने और जेल की सज़ा रखने से क्या काम बनेगा और इनका क्या असर होने वाला है ?

यह जो आप क़ानून बना रहे हैं उसका विरोध हम इस बिना पर हीं करते हैं कि आप उसको सख्त क्यों कर रहेहैं क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यह जो अभी १, २ महीने की सज़ा रखने की बात आप कर रहे हैं यह कोई ज्यादा नहीं है और यह बीमारी अगर उस तरह पकड़ में आ जाय तो इससे भी अधिक सज़ा अगर ज़रूरी हो तो रक्खी जाय, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूं। लेकिन हमको तो इस बात का पूरा डर है कि उससे बीमारी क़ाबू में नहीं आने वाली है क्योंकि अभी तक जो रेलवे ऐक्ट में उसके लिये दंड की व्यवस्था है उसके मातहत लोगों को जो पकड़ना चाहिये, नहीं पकड़ा जा रहा है और उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इसके लिये हमारे रेलवे के कर्मचारी दोषी हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे के कर्मचारी जिनको कि थर्ड क्लास में चलने का अधिकार है सैकेंड क्लास में सफ़र करते हैं और सैकंड क्लास के जो इनटाइटल्ड हैं वे फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं............

श्री सिंहासन सिंह: (गोरखपुर) : बिहार में यह चलता है।

श्री श्रीनारायण दास : यह केवल बिहार की ही नहीं अपितु सारे देश की बीमारी है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि बिहार में यह बीमारी है और मैं चाहता हूं कि यह बीमारी वहां से दूर हो। लेकिन खाली बिहार में ही यह बीमारी हो ऐसी बात नहीं है। बंगाल और उत्तर प्रदेश आदि प्रान्त भी इससे अछूते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश जो कि बिहार का पड़ोसी प्रान्त है वह भी इसके लिये कोई कम दोषी नहीं है। बिहार अगर दोषी है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी उतने ही उसके लिये दोषी हैं क्योंकि सिलसिला वही है।

अब इस बिवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि रेलवे के कर्मचारी जिन पर कि इस क़ानून को अमल में लाने का दायित्व है वे चूंकि अपने फ़र्ज़ को अंजाम नहीं देते हैं इसलिये

यह जेल की सज़ा देने का और सज़ा सख्त करने का प्राविजन किया जा रहा है यह भी नाकामयाब रहेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा ने भी इस बात का ज़िक्र किया है कि बीमारी का इलाज़ ठीक हो सकता है बशर्ते कि दवा खाई जाय लेकिन दवा अगर खाई ही न जाय तो बीमारी कैसे दूर हो सकती है बल्कि वह तो और बढ़ती ही जायेगी । इसलिये अब तो यह तीन महीने की जेल की क़ैद की सज़ा रक्खी है और दो वर्ष के बाद अगर यह बीमारी दूर न हो तो तीन महीने की सज़ा को ६ महीने की कर दें और २०० रुपये जुर्माने की जगह ५०० रुपये का जुर्माना कर दें, तो इस तरह से तो यह बीमारी दूर होने वाली नहीं है । आज लोग यह समझने लगे हैं कि बिना टिकट यात्रा करने से पकड़े तो जाते ही नहीं हैं फिर क्यों न बिना टिकट यात्रा करके अपना पैसा बचाया जाय । विद्यार्थी अक्सर बिना टिकट यात्रा करते हैं और जब लोग देखते हैं कि किताब लेकर चलने वाले विद्यार्थी बिना टिकट यात्रा कर लेते हैं और टिकट चैकर्स उनको पकड़ते नहीं तो दूसरे लोग भी किताब लेकर विद्यार्थी बन जाते हैं और बिना टिकट यात्रा करते हैं । मैं चाहता हूं कि आप रेलवे कर्मचारियों में यह भावना पैदा कीजिये कि वे अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरुक हों और उनको इसके लिये आवश्यक ट्रेनिंग भी दीजियें, रेलवे कर्मचारियों में हिम्मत का संचार करिये और उस सिलसिले में अगर मुक़द्दमेबाज़ी की नौबत आ जाये तो रेलवे कर्मचारियों की रेलवे प्रशासन मदद करे क्योंकि यह अक्सर देखा जाता है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफ़िरों पर जब मुक़दमा चलाया जाता है तो रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को कोई मदद नहीं देता । ड्यूटी के सिलसिले में यदि उस पर मार पड़ जाती है तब प्रशासन की ओर से यह कह दिया जाता है कि वह तुम्हारा ज़ाती मामला है तुम केस लड़ो । लेकिन इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद थोड़े कर्मचारी रेलवे में अवश्य ऐसे हैं जोकि हिम्मत और ईमानदारी के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं । लेकिन ज्यादातर कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे जिसके कारण यह बिना टिकट चलना बढ़ता चला जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : आपने कर्मचारियों के बारे में तो कहा लेकिन अफसरों के बारे में आपका क्या खयाल है ?

श्री **श्रीनारायण दास** : रेलवे कर्मचारियों में अफसर भी शामिल हैं । मैं ऊपर के अफसरों से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारी मानता हूं । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो मेज़र रखा जा रहा है इससे इस बीमारी का हल होने वाला नहीं है । जब तक कि रेलवे कर्मचारी जिनके जिम्मे इसको रोकने की जिम्मेदारी है अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करते और जब तक रेलवे प्रशासन की तरफ से अपने कर्मचारियों को मदद नहीं दी जाती तब तक इस बीमारी का मुकाबला केवल कानून से नहीं किया जा सकेगा । जैसा मैं ने शुरू में कहा मुझे इसका समर्थन करना मुश्किल मालूम पड़ता है और विरोध करना भी कठिन जान पड़ता है । लेकिन हमारे मंत्री जी की यह मंशा है और अगर वह यह आशा करते हैं कि इस कानून से यह बीमारी दूर हो जायेगी, तो मैं इसका समर्थन करता हूं ।

इसमें यह भी दिया गया है कि अगर कोई किसी रेलवे कर्मचारी के काम में दस्तअन्दाजी करेगा तो उसको भी सख्त सजा दी जायेगी । यह बात साधारणतया देखने में तो अच्छी मालूम होती है कि कोई अपना कर्त्तव्य करे और कोई उसमें रुकावट डाले तो यह बहुत बुरी चीज है । लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि रेलवे कर्मचारी ऐसा भी करते हैं कि किसी ने रुकावट नहीं डाली है

तो भी उसकी शिकायत कर देते हैं और उस पर मुकदमा चल जाता है । अगर किसी ने देखा कि कोई टिकट कलक्टर या टिकट एग्जामिनर मुसाफिर से पैसा लेकर उसे छोड़ रहा है और उसने इस पर आपत्ति की तो बजाये उसको अच्छा कहने के वह रेलवे कर्मचारी यह कहता है कि इसने हमारे काम में दस्तन्दाजी की है और उस आदमी पर मुकदमा चल जाता है। तो इस प्रकार कानून का दुरुपयोग होता है और इसका पब्लिक के पास कोई उपाय नहीं है । अगर एक बार शिकायत चली जाती है कि फलां आदमी ने रेलवे कर्मचारी के काम में रुकावट डाली है तो उसके पास नोटिस चला जाता है और उस पर मुकदमा चला दिया जाता है । फिर चाहे वह उसमें बरी ही क्यों न हो जाये पर उसको दो चार बार आना जाना पड़ता है और उसका पच्चीस पचास रुपया खर्च होता है । इसलिये रेलवे कर्मचारियों को भी यह देखना चाहिये कि जिसकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसने वास्तव में हमारे काम में रुकावट डाली है या नहीं । तो मैं समझता हूं कि यद्यपि यह कानून अच्छा है पर इसका दुरुपयोग होता है और इसलिये मुझे कुछ हिचकिचाहट थी कि इसका समर्थन किया जाये या न किया जाये । लेकिन चूंकि एक बीमारी है और इलाज ठीक है, इसलिये मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इतना मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर रेलवे के कर्मचारी टिकट कलक्टर या टिकट एग्जामिनर आदि अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो सख्त से सख्त कानून बनाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, वह कानून किताब में ही रखा रहेगा और टिकट लैस ट्रेविल और बिना जरूरत जंजीर खींचना बन्द नहीं होगा ।

और जैसा कि शर्मा जी ने कहा सामाजिक शिक्षा देने की भी बहुत आवश्यकता है ताकि हमारे नागरिक समझें कि इस तरह का काम करना गुनाह है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। विधेयक के खंड ५ में उन लोगों को सज़ा देने की व्यवस्था की गई है जो रक्षित सीटों या बर्थों पर ज़बरदस्ती क़ब्जा जमाये रहें और रेलवे अधिकारियों के कहने पर भी उसे खाली न करें। यह तो ठीक है लेकिन आप उन लोगों के लिये क्या कर रहे हैं जो तीन चार व्यक्तियों की सीट पर अकेले क़ब्जा जमाये रहते हैं, चाहे बराबर में कितने ही लोग क्यों न खड़े रहें । अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो ज़रा ताक़तवर होता है या कोई गुंडा बदमाश सा होता है तो वह किसी और को बैठने नहीं देता और खुद सारी बर्थ पर बैठा या लेटा रहता है। इसका इलाज यह हो सकता है ऐसे लोगों से सारी सीटों का तिगुना किराया लिया जाये। मैं समझता हूं कि विधेयक में आवश्यक संशोधन करके ऐसे लोगों को भी लाया जा सकता है जो अनधिकृत रूप से एक से ज्यादा सीटों पर क़ब्जा जमा लेते हैं जिससे दूसरे लोगों को कड़ी तकलीफ़ होती है।

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे खेद है कि यह चीज़ यहां नहीं आ सकती।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस रेलवे बिल का विरोध करती हूं ।. मैं समझती हूं कि पेश्तर इसके कि हम इस बीमारी का इलाज करें हमको स्वयं अपना इलाज करना है। हालत यह है कि रोज बरोज और दिन व दिन बजाये इसके कि यह रेलवे आगे बढ़ती जाये, इसमें त्रुटियां और कमजोरियां आती जाती हैं। गाड़ियां वक्त से नहीं पहुंचतीं। कभी-कभी घंटा और कभी-कभी दो घंटा देर से गाड़ियां पहुंचती हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

इसके अलावा जब हम सफर करते हैं कि थर्ड क्लास के डब्बे इतने भरे होते हैं कि उनमें जगह होती ही नहीं है और मुसाफिरों को शिक्षा भी नहीं होती कि जगह न हो तो क्या किया जाये। नतीजा यह होता है कि मुसाफिर पटरियों पर सफर करते हैं बगैर यह सोचे हुये कि अगर हमारा हाथ छुटा तो हमारी मौत भी आगे खड़ी हुई है और गाड़ी के नीचे आ जायेंगे। मेरे साथ जब मैं सफर करती हूं अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं देखती हूं कि कोई थर्ड क्लास का मुसाफिर या किसी दूसरे क्लास का मुसाफिर पटरी पर चल रहा होता है तो मैं फस्ट क्लास का डब्बा खोल देती हूं और उनको अपने साथ बिठा लेती हूं। अगर जगह होती तो वे क्यों टंगे टंगे चलते। हमें यह बात सोचनी है और हमें कोचेज़ बढ़ानी हैं और उनको जगह देनी है पेश्तर इसके कि हम उनको दंड दें। उनको दंड देने से पहले हमको देखना चाहिये कि उनको पूरी सहूलियतें मिल रही हैं या नहीं।

दूसरी बात यह है कि यह जो बिना टिकट चला जाता है और जो बिना जरूरत चेन खींची जाती है इसका बन्द करना भी बहुत ज़रूरी है।

एक चीज़ और है। जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय आपने कहा, कुछ तगड़े आदमी घुस आते हैं और सारी सीट पर हावी हो जाते हैं और अगर कोई गरीब या कमजोर आदमी है तो उसको निकाल देते हैं। अलावा तगड़े आदमियों के मैंने यह देखा है कि मेम्बरान पालियामेंट भी काफी तगड़े आदमी हैं। उनकी हालत यह है कि वे फैल कर बैठते हैं, सिमट कर नहीं बैठते। और चलने में भी उनकी एक अलग ही अदा होती है। तो ये चीज़ें हमको रोकनी हैं। मेम्बर पालियामेंट देश के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं।

यह विचार भी ठीक है कि हमको सोशल शिक्षा देनी चाहिये लेकिन पहले हमको खुद भी सोशल शिक्षा लेनी चाहिये। जब तक हम खुद सोशल शिक्षा नहीं लेते तब तक हम इस बीमारी को दूर नहीं कर सकेंगे। अभी मेरी बहन श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने बताया कि किस किस तरह से जंजीर खींची जाती है और क्या-क्या मुसीबतें आती हैं। मैं रेलवे मिनिस्टर से कहूंगी कि पेश्तर इसके कि वह दण्ड लगायें और जुर्माना करें, वह रेलवे की हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जुर्माने वगैरह से रुपया तो रेलवे के पास आ जायगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? आज रेलवे की हालत यह है कि जहां भी हम बैठते हैं, किसी कोच की खिड़की टूटी होती है, किसी का लाक गायब होता है, फ़र्स्ट क्लास के डिब्बों को सैकंड क्लास में और सैकंड क्लास के डिब्बों को फर्स्ट क्लास में तबदील किया गया है। जब पालियामेंट के मेम्बर वहां बैठते हैं, तो रेलवे वाले हथौड़े ले कर चटखनी बनाने के लिये आ जाते हैं। असल बात यह है कि आज रेलवे में कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। जब हम लोगों को कोई फ़ैसिलिटी तो दे नहीं सकते और उन पर जुर्माना अलग से करना शुरू कर दें, यह बिल्कुल ग़लत बात है।

जहां तक विद्यार्थियों का ताल्लुक है, चाहे आप कितने ही कानून क्यों न बनायें, वे लोग वगैर टिकट के ही सफ़र करेंगे। स्टेशन वालों के लिये भी उन को रोकना मुश्किल है। जैसा कि अभी श्री श्रीनारायण दास ने कहा है, हम को मालूम नहीं है कि हैबिचुअल आफ़ेन्डर्ज़ कौन हैं अगर हम को बताया जाये कि इतने हैबिचुअल आफ़ेन्डर्ज़ पकड़े गये हैं, तो हमारी समझ में यह बात आ सकती है। लेकिन हम को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हम आज सब तरफ़ सामाजिक शिक्षा देने का इन्तजाम कर रहे हैं। हम जेलों का सुधार कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रिमिनल्ज़ क्राइम को छोड़ कर कोई अच्छा पेशा अपनायें। लेकिन जहां तक

रेलवे का ताल्लुक है, अगर कोई भाई या बहन बगैर टिकट के सफ़र करता है, तो चट से उस पर जुर्माना कर दिया जाता है । हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिये। हमें उन को समझाना चाहिये। हमारा देश बहुत गरीब है । हमारे यहां लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे जुर्माना दें । इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि वह इन बातों पर विचार करें और बहुत सख्ती न करें, क्योंकि सख्ती से फ़ायदा नहीं होने वाला है । सज़ा देने से पहले मुनासिब यह है कि लोगों को सामाजिक शिक्षा दी जाय और उन को उन की ड्यूटीज़ के बारे में समझाया जाये ।

ज्यादा न कह कर मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि वह जुर्माने के बारे में ज़रा विचार करें और उस को अलग कर दें, क्योंकि इससे रेलवे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है । रेलवे में अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है । जब तक आप रेलवे में सुधार नहीं करेंगे, तब तक इन जुर्मानों से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री श्रीनारायण दास ने कहा है, यह बात समझ में नहीं आती कि इस विधेयक का विरोध किया जाय या समर्थन किया जाय। मेरी भी अवस्था इसी तरह की है ।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : दोनों बिहारियों की एक सी है ? तब तो मिनिस्टर साहब की अवस्था भी इस तरह की होगी ।

अध्यक्ष महोदय : समर्थन करना मुश्किल है ।

श्री राजेन्द्र सिंह : और विरोध करना भी मुश्किल मालूम पड़ता है । मैं दुविधा में पड़ा हुआ हूं ।

यह ठीक है कि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे आदमी हैं, जो बिना टिकट के सफ़र करते हैं और करने की मन्शा रखते हैं और उस का इलाज होना चाहिये । मगर यह भी सोचना है कि आखिर यह बात होती क्यों है । जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे मज़दूरों से भी मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है और हिन्दुस्तान में रहने की हैसियत से, हिन्दुस्तान के बाशिन्दों को रेलवे सफ़र में जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है, उसका भी मुझे तजुर्बा है । कहा गया है कि चेन-पुलिंग से गाड़ियों के चलने में बिलम्ब होता है । यह ठीक है, लेकिन यदि इस कानून को व्यवहार में लाया जाय, तो क्या नतीजा होता है ? अभी पार्वती बहन ने एक किस्सा सुनाया । ठीक उसी तरह से मैं भी एक कहानी आप के सामने रखना चाहता हूं । वह कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, केवल दो महीने की बात है । मेरे घर के सामने रेलवे लाइन है । एक बार मुझे मालूम हुआ कि मेरी गाड़ी जा रही है और लेट जा रही है । एन० ई० रेलवे में गाड़ियों का लेट चलना मामूली बात है । वहां पर गाड़ियां टाइम पर नहीं चलती हैं । इधर कुछ इम्परूवमेंट हुआ है । जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी गाड़ी जा रही है तो मैं दौड़ कर उस पर सवार हो गया । कानून मैंने तोड़ दिया । मुझे पता नहीं था कि जिस कम्पार्टमेंट में मैं सवार हुआ हूं, वह लेडीज़ कम्पार्टमेंट है । जब मैं भीतर गया, तो वहां बैठी दो-तीन औरतें हल्ला करने लगीं कि गुंडा आ गया, गुंडा आ गया । अब मैं क्या करता ? रात का मौका था और वे बहुत घबरा रही थीं । आखिर मुझ को चेन-पुलिंग करना पड़ा । उस के बाद गार्ड साहब आये, वह बेचारे मुझ को पहचानते थे, इसलिये उन्होंने मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की । अगर इस कानून को मान लिया जाये, तो ऐसी अवस्था में क्या हालत होती ?

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : इसी लिये तो जंजीर लगाई है ।

श्री राजेन्द्र सिंह : इसके बाद में दूसरी कहानी कहना चाहता हूं । उसी लाइन से एक बार गाड़ी जा रही थी । मेरी अर्द्धांगिनी को प्रसव-पीड़ा थी और उन को दूसरी जगह अस्पताल में ले जाना था । जब गाड़ी वहां आई, तो उन की डोली अभी पीछे थी । आखिर मजबूर हो कर चेन-पुलिंग करनी पड़ी । अगर ऐसा न किया जाता, तो कम से कम मैं तो उस दिन विधुर हो जाता । इन सब बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

यह भी कहा गया है कि जब रेलवे के अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन करते हों, तो यदि उन के साथ कोई हस्तक्षेप करेगा, तो उस को दण्ड दिया जायगा । यह ठीक है । लेकिन यहां पर दोनों पक्षों की बात कही गई है । कभी कर्मचारी बदसलूकी करते हैं, तो कभी यात्री बदसलूकी करते हैं ।

अभी कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों के साथ मुसाफिर बिना टिकट सफर करते हैं और जब उन से जवाब-तलबी की जाती है, तो कांग्रेस के बड़े आदमी—लोक सभा या विधान सभा के मेम्बर—अपनी ताकत की आज़माइश करने लगते हैं । मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं । केवल आठ दिन की बात है । मैं जहाज़ पर सफर कर रहा था । जहाज़ पर ऐसा होता है कि फर्स्ट, सैकंड और थर्ड क्लास में ज्यादा अन्तर नहीं होता है । लोग इधर से उधर चले जाते हैं । उस दिन थर्ड क्लास के कुछ आदमी डेक पर कांग्रेस पार्टी के एक असेम्बली के मेम्बर से बात करने लगे । एक हमारे कम्युनिस्ट दोस्त थे । उन्होंने एक टी० टी० को कह दिया कि ज़रा चैक कर लो और मैजिस्ट्रेट के सामने इनको खड़ा कर दो । उसको सामने खड़ा कर दिया गया । मैंने उसको पहले नहीं देखा था और टी० टी० भी हाफ बायल्ड कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट हो सकता है । मैजिस्ट्रेट खड़े थे । जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तब कहानी खत्म हुई । मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि बड़े लोग जो हैं, जो विधान सभा के सदस्य हैं, या लोक सभा के मैम्बर हैं, वे ही बदसलूकी करते हैं या कर्मचारी ही करते हैं या पब्लिक ही करती है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों तरफ से ये बातें होती हैं । आज देश की ऐसी अवस्था हो गई है, ऐसी हालत हो गई है कि इन बातों को रोका नहीं जा सकता है और न ही रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है । पिछले ग्यारह बरस की कांग्रेसी हकूमत के दौरान में जो सामाजिक विकार पैदा हुये हैं, उनको उसने रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया है । यह दुराचार चारों ओर फैला हुआ है । जो बिल सदन में रखा गया है यह कोई उस बीमारी की दवा नहीं है । मैं रेलवे मंत्री जी को जानता हूं और उनके साथ में जेल में भी रहा हूं और मेरे उनके साथ गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि रेलवे मंत्री इस तरह का बिल लायेंगे ।

जब यहां पर ब्रिटिश हकूमत थी तब भी एक कानून बनाया गया था और वह सफल हुआ था । ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद समाज की जो पीड़ा है, समाज की जो अवस्था है उसके परिहार के लिये आप यहां पर दण्ड व्यवस्था करते हैं, दंड देकर आप समाज सुधार का काम करना चाहते हैं, यह मुझे तो बड़ी अजीब बात लगती है । मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों के हाथ में ताकत है या जो इस रेलवे विभाग को चला रहे हैं, उनके दबाव में आ करके उनकी बात को मान करके हमारे रेल मंत्री महोदय को यह कदम उठाना पड़ा है या पड़ रहा है । यह मेरा खयाल है, मेरा अनुमान है और हो सकता है यह मेरा अनुमान ठीक भी न हो । मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि इस देश के अन्दर लोकतन्त्रात्मक हकूमत तो है नहीं, भृत्यों की हकूमत है, जो आपको जबाब देने के लिये दिया जाता है वही आप दे देते हैं, जिस किसी प्रोपोजल को आपके सामने रखते हैं, उसको आप मंजर कर लेते हैं । जो चिकित्सा या दवा वे बताते हैं, उसे आप मंजूर करते हैं ।

जहां तक टिकिटलैस ट्रेवल का ताल्लुक है, अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं उस कहानी का जो पिछले चार पांच महीने के बीच में घटी है। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और वहां पर डी० टी० एस० हैं। वह वहां के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। जब से वह आये हैं तब से हमारे वह डी० टी० एस० साहब छपरा से वैश्याओं को हर रोज़ अपने घर पर बुलाते थे और बिना टिकिट के उनको लाते थे और उनको बिना टिकिट सफर करते पकड़ने वाला कोई नहीं था। मैं समझता हूं कि यह बात तो बड़ी छोटी है और मुझे कहनी नहीं चाहिये थी लेकिन लाचारी में कहनी पड़ रही है। मैंने वहां के टिकिट एग्जेमिनिर और टिकिट कलैक्टर से कहा कि आप चैक क्यों नहीं करते हैं। उनकी तरफ से मुझे यह जवाब दिया गया कि आप थोड़े ही हमें बचा दोगे और अगर हमने चैक कर भी लिया तो इसका उल्टा ही नतीजा निकलेगा। एक बार ऐसा भी हुआ कि उनके सम्बन्धी बिना टिकिट जा रहे थे। उसी समय अचानक वहां पर रेलवे मैजिस्ट्रेट की चैकिंग शुरू हो गई। डी० टी० एस० ने टी० टी० से कहा कि इनके टिकिट बना दो। टी० टी० ने कहा कि गार्ड सर्टिफाई नहीं करता है और मैं टिकिट नहीं बना सकता हूं। इसके बाद डी० टी० एस० ने सर्टिफाई किया तब जा कर टिकिट बनाये गये। मैं अपने तजुर्बे की बिना पर कह सकता हूं कि पुलिस ही सब से ज्यादा रेलवे पर बिना टिकिट सफर करती है और उसके लिये दण्ड भी देने वाला कोई नहीं है। रेलवे कर्मचारी, रेलवे के अफसर, उनके दोस्त, उनके सम्बन्धी, उनके बीबी बच्चे इत्यादि बिना टिकिट सफर करते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। किस की हिम्मत है उनको चैक कर जाये? किसी की हिम्मत नहीं है।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : बिल्कुल गलत है।

श्री राजेन्द्र सिंह : अब मैं हैबिचुअल टिकिटलैस ट्रेवलर्स की बात करता हूं। ये हैबिचुअल टिकिटलैस ट्रेवलर्स कौन हैं। देहाती आदमी तो ये हो नहीं सकते हैं। मैं रेलवे मंत्री महोदय से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को हैबिचुअल कहा जाता है वे देहाती नहीं होते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस कैटेगरी में ज्यादातर देहातियों को शामिल कर लिया जाता है। कभी-कभी कुछ स्टूडेंट भी चक्कर में आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। मगर पुलिस वाले और रेल कर्मचारी तो कभी भी पकड़े नहीं जाते हैं। उनको पकड़ना ना-मुमकिन है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बिना टिकिट चलूं तो मुझे भी पकड़ने वाला कोई नहीं है कम से कम मेरे सैक्शन में।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी आपने ट्राई तो नहीं किया है?

श्री ब्रज राज सिंह : इसी लिये तो पास दे दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह : मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो स्थिति इस समय विद्यमान है, वह बयान कर रहा हूं।

मैं हैबिचुअल लोगों की बात कर रहा था। जो हैबिचुअल हैं उनको मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप को कभी पता भी नहीं चलेगा और जो बेचारे किसी कारणवश बिना टिकिट चलते हुये पाये जायेंगे वे हैबिचुअल हो जायेंगे। इस वास्ते मैं समझता हूं जब यह विधेयक व्यवहार में आयेगा तो बिल्कुल निर्जीव, निरर्थक और ठीक इससे जिन परिणामों की आशा की गई है उससे उल्टे ही परिणाम सामने आयेंगे, यह मेरा खयाल है।

[श्री राजेन्द्र]

रेलवे कर्मचारियों का जहां तक सवाल है, यह ठीक है कि आदमी के मूड्स होते हैं, प्राकलिविटीज़ होती हैं, नक्लिनेशंस होते हैं, मोमेंटरी इम्पलसिस होती हैं और उस हालत में वह कुछ कर बैठता है जो अगर तो उसके पक्ष में चला जाये तब तो ठीक नहीं तो उसके खिलाफ़ भी वह बात जा सकती है। रेलवे कर्मचारियों के बारे में यहां पर यह कहा गया है कि उनके काम करने के वक्त, उनके द्वारा कर्त्तव्यपालन के समय में यदि दूसरा कोई व्यक्ति उनके काम में विघन डालेगा, उनके काम में बाधा डालेगा, उसको सज़ा होगी। मैं आपको पिछले महीने की १९ तारीख की बात बतलाता हूं। हमारे यहां हिन्दुस्तान में सब से बड़ा प्लेटफार्म है। उस प्लेटफार्म पर एक ग्राम का मुखिया आया। उस प्लेटफार्म पर टिकिट नहीं बिकते और अगर बिकते भी होंगे तो मुझे पता नहीं। इनका पता केवल रजिस्टर से चल सकता है। वहां पर हमारे एक ग्राम के मुखिया आये। वह बी० डी० ओ० के आफिस में जा रहे थे। उनकी टी० टी० लोगों से लड़ाई थी। मेरी दोनों के साथ दोस्ती है। उनको वहां पर पकड़ लिया गया और रेलवे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। वह अपने साथ एक फाइल ले जा रहे थे। उनके पास सम्मन था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास नोटिस है और वह फलां-फलां दफ्तर में जा रहे हैं। अब उन पर मुकदमा चल रहा है। चूंकि रेलवे कर्मचारियों के बारे में यहां पर ज़िक्र आया है इसलिये मैं यह सारी बात कह रहा हूं। मैं नहीं कहता कि रेलवे कर्मचारी दोष विहीन हैं या उनके अन्दर कमियां नहीं हैं, कमज़ोरियां नहीं हैं। भ्रष्टाचार तो वहां भी है। मैंने देखा है मैजिस्ट्रेट का चैकिंग हो रहा है और उस में टी० टी० भी हैं और आर० पी० एफ० के आदमी भी हैं, सिपाही भी हैं। सिपाही ने किसी को पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम २५ रुपये दे दो और इधर से नहीं उधर से निकल जाओ, यानी उसको उलटा रास्ता बता दिया। तो इस कानून के मुताबिक वह आदमी जिस ने रुपये लिये बच जायेगा और बेचारा मुसाफिर फंस जायेगा। टी० टी० भी बच सकता है, लेकिन मुसाफिर नहीं बच सकता है।

मैं कानून का विरोध नहीं करता हूं। वह अपनी जगह पर है। परन्तु जो अवस्था इस समय देश की है उस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। मैं यही सोचता हूं कि इस कानून का ९० प्रतिशत तो दुरुपयोग होगा और १० प्रतिशत हो सकता है इसका सदुपयोग हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बिना टिकिट की एक और बात बतलाना चाहता हूं। आज का कानून यह है कि यदि कोई यात्री बिना टिकिट पकड़ा जायगा तो उससे यह कहा जायगा कि तुम कहां से आ रहे हो और अगर तुम्हारे पास टिकिट नहीं है तो इतना किराया और इतना महसूल अदा कर दो और अगर वह नहीं कर पाता है तो उसको सज़ा दी जाती है। मैं माननीय मंत्री को एन० ई० रेलवे के बारे में एक बात बतलाना चाहता हूं। वहां पर रेलवे मैजिस्ट्रेट द्वारा चैकिंग होता है। एक यात्री से कोई सवाल नहीं पूछा गया और सीधे उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई और कमर में रस्सी बांध दी गई। उस को लाकर अदालत में खड़ा कर दिया गया कि साहब इस के पास पैसा नहीं क्योंकि जब महसूल मांगा तो उसने नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि उस के ऊपर १०० रु० फाइन कर दिया, २०० रु० फाइन कर दिया गया। फाइन.. फाइन.... फाइन। एक-एक दिन में ५०००, १०,००० रु० एक स्टेशन पर इकट्ठा हो जाता है। जब आप ने कानून नहीं बनाया था तब तो आप के मैजिस्ट्रेट और टी० टी० आई० इस तरह करते हैं। जहां तक कानून का सवाल है, कानून अपनी जगह पर है। उस का ठीक से पालन किया जाना चाहिये। मैजिस्ट्रेट को देखना

चाहिये कि यात्री किराया दे रहा है या नहीं। तारीफ की बात यह है कि लोग फाइन दे देते हैं। एक आदमी एक घंटे पहले किराया नहीं देता था, लेकिन एक घंटे बाद जब फाइन होता है तो वह १०० रु० दे देता है। आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? आप को इस को सोचना चाहिये। आप एक आदमी को नियुक्त कर देते हैं कि वह लोगों से टिकिट मांगे। उस ने आदमी से टिकिट मांगा, टिकिट नहीं है, महसूल मांगा, तो महसूल नहीं वसूल हुआ, लेकिन जब उसके हथकड़ी लगा दी गई तो वह १०० दे देता है पांच या दस मिनट में। इस तरह की कितनी ही घटनायें हो रही हैं। आज देश में यह बीमारी फैली हुई है। उसके लिये कानून का अक्षरशः पालन करने के बजाय कानून के तत्वों का पालन होना चाहिये ताकि कानून का दुरुपयोग न हो। शायद मिनिस्टर महोदय कहेंगे कि मैजिस्ट्रेट तो प्राविंशल गवर्नमेंट के हैं इसलिये हम क्यों अपने दिमाग को लगायें? लेकिन आप को सोचना चाहिये कि जो फाइन होता है वह किस तरह से होता है और किस अवस्था में होता है। यह एक ऐसा सवाल है जो आये दिन सैंकड़ों आदमियों से ताल्लुक रखता है। कल मैंने इस सम्बन्ध में एक सवाल किया था। पटना शहर हमारे राज्य की राजधानी है। जहां मेरा घर है उस के दूसरे पार नार्थ बिहार है। सैंकड़ों हजारों आदमियों की हालत यह है कि वे गंगा पार करते हैं, गाड़ी पर नहीं चढ़ते हैं। वे इस पार से उस पार आना जाना चाहते हैं लेकिन रेलवे उन को सीधा टिकिट नहीं देती है। अगर मुझे दिल्ली से गाजियाबाद जाना हो तो मुझे टिकिट मिल जायेगा सीधा और उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा मगर वहां हालत यह है कि कोई आदमी पटना से पहले जा-घाट सीधा टिकट ले कर नहीं जा सकता है। मैं नहीं जानता कि किस आदमी ने यह कानून बनाया था, लेकिन मुझे ताज्जुब और तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि आज भी वह कानून जारी है।

श्री जगजीवन राम : आप जैसे दिल्ली से गाजियाबाद जा सकते हैं वैसे ही सोनपुर जा सकते हैं पटना से।

श्री राजेन्द्र सिंह : यह दंड ग्रहण करके जा सकता हूं। यहां पर तो महसूल दे कर जाता हूं, वहां पर दंड ग्रहण कर जाऊंगा क्योंकि आप वहां के लिये सीधे टिकिट नहीं देते हैं। जवाब यह दिया जाता है कि वहां फेरी सर्विस है इसलिये गंगा पार के लिये सीधे टिकट नहीं दिया जाता है। मैं जब दिल्ली से पटना जाता हूं तो मुझे हवाई जहाज से पांच या साढ़े पांच घंटे लगते हैं लेकिन अपने घर से पटना जाने में मुझे कम से कम आठ घंटे लगते हैं क्योंकि जब तक यह दंड हम ग्रहण न कर लें गंगा पार नहीं कर सकते हैं। इस का नतीजा यह होता है कि हमारे गांव के लोगों को पांच मील दूर जा कर दूसरे स्टेशन से गाड़ी पकड़नी होती है। जो लोग दूर दूर को जाना चाहते हैं मुजफ्फरपुर या छपरा से उन को तो बस पर ही जाना होगा क्योंकि न जाने से बिलम्ब होगा। इस तरह से उन को गंगा पार करना होता है। गंगा पार करने के लिये उन को कुछ दंड तो भुगतना ही चाहिये। अगर यह कानून हो गया तो अभी तो मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हूं, सन् १९६२ के बाद कौन जानता है कि किस का घर ढ़हेगा और किस का आबाद होगा। मुझ को रोज हथकड़ी लगेगी क्योंकि घर से निकलने के लिये जहाज पर ही गंगा पार करना होगा और जहाज का टिकिट मुझे मिलेगा नहीं। इस कानून के मुताबिक हर तीन महीने पर मुझे सजा हुआ करेगी, पता नहीं मैं क्या काम करूंगा और क्या नहीं करूंगा।

मैं चाहूंगा कि यह जो विधेयक है इस को सरकार वापस ले ले। जो बीमारी आज है उसके लिये कोई सामाजिक चिकित्सा ढूंढी जाय। जैसा उमा बहन ने कहा यह

[श्री राजेन्द्र सिंह]

बीमारी सब जगह मौजूद है । हम लोगों में से बहुत से ऐसे हैं जो बिना टिकिट ट्रैवेल कर लेते हैं, अगर इस कानून को लागू कर दिया जायेगा तो नतीजा क्या होगा, मेरी समझ में यह बात नहीं आती । हमारे मित्र श्री डी० सी० शर्मा बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, वह पंजाब से आते हैं । शायद पंजाब में इस बात की सब से बड़ी तकलीफ है और उन्होंने इस विधेयक का समर्थन कर दिया । लेकिन मैं तो बिहार का हूं और मुझे तकलीफ होती है । उस तरफ एग्रर कंडिशन्ड और फर्स्ट क्लास जो होते हैं उन में दो आदमियों की जगह रहती है । बूढ़ी औरतें जो गंगा स्नान के लिये जाती हैं वह आ कर ठसाठस भर जाती हैं। उन के लिये आप ने क्या प्रबन्ध किया है ? अगर उन के ऊपर भी यह कानून लागू कर दिया जाता है तो क्या उस से देश की बड़ी सेवा हो जायेगी ? अगर आप को देश की इसी तरह से सेवा करनी है तो आप चाहे जो कुछ कीजिये लेकिन अगर आप सही मानों में देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस कानन को वापस ले लीजिये ।

१३ ३७ म० प०

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जंजीर खींचने की घटनायें या बिना टिकिट यात्रा करना, यह बुराई उतनी ही पुरानी हैं जितनी पुरानी रेलवे, और जिस अनुपात में रेलवे यात्रियों की संख्या बढ़ी है उस को देखते हुये इन बुराइयों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है । गतवर्ष रेलवे मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इन दोनों बुराइयों की ओर संकेत किया था । उन्होंने यह स्वीकार किया था कि जंजीर खींचने की ऐसी घटनायें, जिन में जंजीर नहीं खींची जानी चाहिये थी, ४०,००० बार हुई और उन को रोकने के लिये कदम भी उठाये गये, जैसे कुछ रेल गाड़ियों में या कुछ लाइनों पर जंजीर को ही हटा दिया गया, या चेकिंग में दृढ़ता से काम लिया गया । फिर भी उन्होंने यह माना कि यह घटनायें बढ़ती जा रही हैं । यह स्वीकार करते हुये उन्होंने अपने बजट भाषण में संसद् के सदस्यों से यह अपील भी की थी कि यदि जंजीर खींचने की घटनाओं और दूसरी बुराइयों पर हमें प्रतिबन्ध लगाना है तो उस में संसद् के सदस्यों का और जनता का सहयोग चाहिये, और इसके लिये जनता में चेतना उत्पन्न करने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है वह रेलवे मंत्री के उस भाषण में व्यक्त दृष्टिकोण से भिन्न है । इसके पहले भी जंजीर खींचने पर ५० रु० जुर्माने की सजा थी, लेकिन जंजीरें खींची ही गईं । इसका अर्थ यह है कि ५० रु० जुर्माना लोगों को जंजीर खींचने से नहीं रोक सका । अब उससे आगे बढ़ कर गाड़ियों में से जंजीर को ही निकाल दिया गया ।

श्री बजराज सिंह : अब गाड़ी निकाल दी जायेंगी ।

श्री बाजपेयी : अब यह विधेयक लाया जा रहा है और ५० रु० जुर्माना बढ़ा कर ३०० रु० कर दिया गया है । इस के साथ जेल की सजा भी जोड़ दी गई । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस से जंजीरों को खींचने की घटनायें कम होंगी, और क्या इसके बाद जिन रेलगाड़ियों में से जंजीरें निकाली गई हैं और जिन लाइनों को यह पुरस्कार दिया गया है, उन्हें जंजीरें वापस कर दी जायेंगी ? मेरा निवेदन है कि केवल दंड की मात्रा बढ़ाने से अपराधों की संख्या में कमी हो जायगी, यह सोचना सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दि में विचरण करना है । विचार इस बात का होना चाहिये कि अपराध क्यों होता है, जंजीरें क्यों खींची जाती हैं । मुझे मालूम है कि पूना और लाड़ावाला के बीच में जंजीरें खींचने की घटनायें बहुत होती थीं । परिणाम यह हुआ कि उस गाड़ी में से जंजीर निकाल दी गई । लेकिन जो लोग जंजीर खींचते थे उनका आरोप यह था कि टाइम टेबल में रेलगाड़ियों का समय ऐसा रक्खा गया है कि लोग पूना में

समय पर दफ्तर नहीं पहुंच सकते। और जब रेलवे टाईम टेबुल में दुरुस्ती कर दी गई, ग़लती सुधार दी गई तो जंजीर खींचने की ज़रूरत ही समाप्त हो गई। अभी मथुरा से दिल्ली तक एक पैसेंजर ट्रेन आती है। पिछले अधिवेशन की बात मैं आपको बताऊं कि तुग़लकाबाद पर उस रेलगाड़ी को ४ घंटे तक दफ्तर आने वाले कर्मचारियों ने रोके रक्खा क्योंकि वह गाड़ी नियमित रूप से दिल्ली में अनियमित समय से पहुंचती है और दफ्तर में जाने वाले कर्मचारी उसके कारण परेशान होते हैं। अब अगर रेलगाड़ियां समय पर नहीं चल सकतीं और यात्रियों को जिन कारणों से विवश हो कर जंज़ीरें खींचनी पड़ती हैं, उन कारणों का निराकरण नहीं किया जाता तो केवल दंड की मात्रा बढ़ाने से इस अपराध में कमी हो जायेगी, ऐसा कम से कम मैं मानन के लिये तैयार नहीं हूं।

जंजीरें खींचने का रेलवे की भीड़भाड़ से भी सम्बन्ध है और रेलवे मंत्री महोदय अभी दक्षिण की यात्रा करने गये थे। उन्होंने बंगलौर में भाषण दिया कि रेलवे में भीड़ भाड़ कम करने की तो अभी कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। मैं उनकी कठिनाई को मानता हूं क्योंकि जिस मात्रा में रेल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसके लायक हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं लेकिन क्या यह सच नहीं है कि रेलवे की भीड़भाड़ का सम्बन्ध जंजीर खींचने की घटनाओं से कुछ न कुछ मात्रा में है। जो खेल के लिए, मनोरंजन के लिए जंजीरें खींचते हैं उन्हें दंड दिया जाय इसमें किसी का विरोध नहीं है लेकिन उनके लिए ५० रुपया दंड भी बहुत काफी है। मैं रेलवे मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष में जंजीर खींचने के अपराध के दंडस्वरूप कितनी रकम रेलवे को प्राप्त हुई इसका एक ब्योरा सदन के सामने रक्खें। जंजीरें कितनी बार खींची गईं इसका विवरण तो उनकी बजट स्पीच में है लेकिन कितने लोगों ने गलत ढंग से जंजीर खींची जिनको कि उसके लिए सजा दी गई और उनसे जो जुर्माने वसूल किये गये उसकी रकम कितनी है। उन्होंने अपनी पिछली बजट स्पीच में यह कहा था कि ५० रुपये के जुर्माने की रकम रखने के बाद भी जंजीर खींचने की घटनाएं बढ़ रही हैं तो मेरा निवेदन है कि दंड को बढ़ाने के बजाय जंजीर खींचने की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पिछली बजट स्पीप में अन्य उपाय अपनाने का वायदा किया था उनके सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है कृपा करके वे सदन को यह बतायें। इस सम्बन्ध में कितना प्रचार किया गया? क्या कोई फिल्म बनाई गई जिसमें यह दिखलाया हो कि विद्यार्थी अधिकतर जंजीर खींचते पाये जाते हैं? विद्यार्थियों में इस बुराई को रोकने के लिए विद्यार्थी क्षेत्र में जो काम करने वाली भिन्न-भिन्न स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशंस् हैं क्या उनसे सम्पर्क स्थापित किया गया? क्या उनका सहयोग प्राप्त किया गया? और क्या गाड़ियां समय पर चलीं?

अब मैं आपका ध्यान एक छोटी सी बात की ओर खींचना चाहता हूं। गाड़ियां जहां से चलती हैं, शुरू होती हैं वहां पर गाड़ियां काफी समय पहले प्लेटफार्म पर लाई जा सकती हैं। प्लेटफार्म हालांकि खाली रहते हैं लेकिन गाड़ियां चलने से केवल दस मिनट पहले ही प्लेटफार्म पर लाई जाती हैं। अब चूंकि भीड़ काफी होती है और जाहिर है कि इस १० मिनट के अल्प समय में सब लोग एक साथ नहीं बैठ सकते और होता यह है कि कुछ बाहर रह जाते हैं और जो भीतर पहुंच भी जाते हैं उनमें से बहुतों का सामान बाहर प्लेटफार्म पर छूट जाता है और इस तरह की अव्यवस्था के रहते जब गाड़ी चलती है तो जंजीर खींची जाती है। अब ऐसी गड़बड़ी की हालत में क्या जंजीर खींचना अवैध या अनुचित है? अगर विशुद्ध कानूनी दृष्टि से देखें तो शायद उसे दंडनीय अपराध माना जायगा मगर ऐसी हालत में जो यात्री की वास्तविक कठिनाइयां हैं उन पर रेलवे के प्रशासन को सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिये।

[श्री वाजपेयी]

मेरा निवेदन है कि अगर रेलवे प्रशासन अपना घर ठीक करे तो इस किस्म की जंजीर खींचने की घटनाएं रोकी जा सकती हैं।

बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में भी रेलवे मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में यह कहा था कि जब से हमने विशेष चैकिंग का प्रबन्ध किया है, बिना टिकिट रेलवे में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव यही है कि जिस मात्रा में पहले लोग रेलों में बिना टिकट के यात्रा करते थे उतने अब नहीं चलते। यह हमने जो बिना टिकट सफर करने वालों को पकड़ने के लिए प्रबन्ध किया है और उसके लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त किये हैं आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को आप और अधिक सतर्क और जागरूक बनाये और इसी तरीके का प्रबन्ध अगर हम और क्षेत्रों में भी कर सकें जहां कि यह बीमारी है क्योंकि देश के सभी भागों में यह बीमारी इतनी बड़ी मात्रा में प्रचलित नहीं है बल्कि देश के कुछ भागों में ही है और इसलिए अगर उन विशेष क्षेत्रों में इस प्रकार की विशेष व्यवस्था की जाय तो मैं समझता हूं कि दंड की मात्रा बढ़ाये बिना भी बगैर टिकट सफर करने वालों की संख्या कम की जा सकती है। इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन अपने यहां सुधार कर सकता है।

इसी तरह हम देखते हैं कि बुकिंग आफिसेज पर कहीं कहीं बहुत भीड़ रहती है। आप स्वयं दिल्ली के थर्ड क्लास के बुकिंग आफिस पर जाकर देखिये कि समय पर टिकट लेने आने वाले व्यक्तियों को टिकट मिलने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब बुकिंग क्लर्कस् की यह शिकायत है कि उन्हें काम अधिक करना पड़ता है और ड्यूटी के जो घंटे निश्चित हैं उसके बाद उनको हिसाब मिला कर देना पड़ता है और जिस स्पीड से उन्हें काम करना चाहिए वे नहीं करते हैं बेगार सी टालते हैं। उनका असन्तोष और उनकी निराशा उनके काम में झलकती है और जिसका कि परिणाम यह होता है कि जो लोग भागते भागते आते हैं उनको टिकट नहीं मिलता और वे बिना टिकट बै जाते हैं। क्या इस सम्बन्ध में हम रेलवे की व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं कर सकते।

अब मुझे पता है कि गोरखपुर के नागरिक यह चाहते हैं कि गोरखपुर में एक सिटी बुकिंग आफिस खुले। इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को पत्र भी लिखा गया मगर जो बुकिंग आफिस खोलना चाहते हैं उनके पास कोई स्थान नहीं है और कोई जरिया नहीं है इसलिए उन्हें बुकिंग आफिस खोलने की अनुमति नहीं दी गई। अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन जहां कि बहुत अधिक भीड़ होती है वहां पर सबके लिए एक लम्बी लाइन में खड़े होकर टिकट लेना आसान नहीं है क्योंकि काफी समय उसमें लगता है और इसलिए वहां पर एक सिटी बुकिंग आफिस खोला जाना आवश्यक है और एक नया बुकिंग आफिस खोलने में रेलवे का कुछ खर्चा भी नहीं होता। इन बातों की ओर यद्यपि यह छोटी-छोटी हैं किन्तु जिनका कि परिणाम दूरगामी होता है रेलवे प्रशासन को जितना ध्यान देना चाहिए उतना उसने ध्यान नहीं दिया।

एक बात जो कि श्री डी० सी० शर्मा ने कही और जिसकी कि और अन्य माननीय सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षित किया और वह यह है कि रेलवे की जो बुराइयां हैं उनको कम करने के लिए और रेलवे में यात्रा करने वाले अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें अगर हम इस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो रेलवे के कर्मचारियों में जिनमें कि अधिकारी भी शामिल

हैं उनमें हमें कर्तव्यनिष्ठा और आत्मविश्वास की भावना को उत्पन्न करना चाहिए। रेलवे कर्मचारी अगर दक्षता से काम करें तो इन बुराइयों के निराकरण में बहुत सफलता मिल सकती है। रेलवे कर्मचारी यात्रियों को टिकट नहीं देते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि कानपुर से दिल्ली आने वाली रात की गाड़ी में बहुत से लोग जो कि कानपुर से सवार होते हैं वे टिकट नहीं लेते और अगर कोई चैक करने के लिए आता है तो टिकट की जगह उसके हाथ में पांच रुपये का नोट रख देते हैं और वह रेलवे का मुलाजिम मुस्कराता हुआ चला जाता है। अब इसको कैसे रोका जाय? स्पष्ट है कि कर्मचारियों की नैतिकता जगाई जाय ताकि वे इस प्रकार की बुराइयों का आचरण करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही कर सकें और स्वयं लोभ में न फंसें। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इसके लिए रेलवे मंत्री महोदय को और रेलवे प्रशासन को रेलवे कर्मचारियों में जिस प्रकार के वातावरण के उत्पन्न करने की आवश्यकता है, वैसा उन्होंने पैदा नहीं किया। रेलवे कर्मचारियों के सिर पर इस समय रेलवे इस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के रूल १४८ की तलवार लटक रही है। अनेक रेलवे कर्मचारी कहते हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट बचा लिया इसलिए नौकरी से निकाल दिये गये। उन्होंने एक्सीडेंट किया नहीं बल्कि एक्सीडेंट बचा लिया इसलिए उनको नोटिस दे दिया गया, कोई जवाब तलबी नहीं की गयी, कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी; भारत के राष्ट्रपति के नाम पर उनको आदेश दे दिया गया कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, और उन को एक महीने का नोटिस दे दिया गया। अगर रेलवे के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो उनमें असंतोष होगा। अगर उनके सम्बन्ध में सही नीति नहीं अपनायी जायेगी तो संसद् के द्वारा बनाये गये कानून रेलवे मंत्रालय की अलमारियों में सुशोभित रहेंगे। आखिर उन्हें आचरण में लाने का उत्तरदायित्व तो रेलवे के कर्मचारियों पर ही है। उनमें निष्ठा और विश्वास पैदा करने में रेलवे प्रशासन अभी तक सफल नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कानून को जो कि लीपापोती करने वाला है, सरकार को वापस ले लेना चाहिए। इससे बुराई के मूल पर कुठाराघात नहीं होगा। यह हमें एक आत्मसंतोष की भावना प्रदान करेगा कि हम इन बुराइयों को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, जो न पहले सफल हुआ और न अब सफल होने वाला है। जब तक आप बुराई की जड़ पर कुठाराघात नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करेंगे कि बुराई करने का मौका न रहे तब तक यह बुराई दूर नहीं हो सकती। सही वातावरण उत्पन्न करने के बाद यदि आप कड़े दंड की व्यवस्था करना चाहें तो यह सारा सदन आपके साथ रहेगा क्योंकि यह समाज विरोधी कार्य है और इसको सहन नहीं किया जा सकता चाहे वह विद्यार्थी हो या पार्लियामेंट का मेम्बर बन गया हो जो कि वह पहले नहीं था। अगर कोई यह कहे कि मैं पहले बिना टिकट जाता था तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश में इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि दंड की मात्रा इतनी हो रहने पर भी यह बुराई दूर हो जाये। और यह तभी हो सकता है कि जब आप अपने कर्मचारियों में कर्तव्य निष्ठा और आत्म विश्वास की भावना पैदा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सिंहासन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि गत वर्ष इस सदन ने ४९ कानून पास किये और नये सत्र में भी कुछ कानून पास किये जायेंगे जोकि उन्होंने अपने भाषण में गिनाये हैं। मगर हमको देखना चाहिए कि इन कानूनों के द्वारा हम अपने देश को आगे ले जाने में कहां तक सफल हुए हैं और कहां तक देश में इन कानूनों की मान्यता हुई है यह भी हमें देखना चाहिए। हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों हम कानून बनाते गये बीमारी बजाये कम होने के बढ़ती ही गयी।

[श्री सिंहासन सिंह]

कुछ दिन हुए हमने रेलव की वस्तुओं की चोरी के निराकरण के लिए एक कानून बनाया था और उसको भी हमारे माननीय शाहनवाज साहब ने पेश किया था, और रेलवे की वस्तु क्या है इसकी भी उसमें परिभाषा की गयी थी। लकिन मैं जानना चाहता हूं की उस कानून के बाद रेलवे के सामान की कितनी चोरी रुकी और रेलवे का कितना माल बचा। आज भी चोरी उसी कद्र जारी है जसी पहले होती थी और शायद अब मुकदमे भी नहीं चलते। बड़े जोर-शोर के साथ हमने इस चोरी की बुराई को रोकने के लिए सीक्योरिटी फोर्स कायम की जो एक नई सेना का रूप धारण कर चुकी है। एक कर्मलिया क्लर्क्स की एसोसियेशन है जिनका यह दायित्व है कि माल को बुक करायें और ले जायें, लेकिन माल की रक्षा करने की ड्यूटी है सीक्योरिटी फोर्स की। माल गायब होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है यह ठीक पता नहीं।

तो हमने इस विधेयक को देखा। इसके भाव बड़े अच्छे हैं। लेकिन हमने किया क्या है। अब तक सजा की जो परिधि थी उसको बढ़ा दिया है ताकि अपराध रुक जायें। लेकिन, जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, इस तरह से अपराधों की संख्या कम नहीं हो सकती इसके लिए हमको समाज की स्थिति को भी कुछ देखना होगा कि समाज कहां जा रहा है। और लोगों की क्या-क्या कठिनाइयां हैं। हम देखते हैं कि बड़े-बड़े स्टशनों पर लिखा रहता है कि २४ घंटे बुकिंग हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर स्टेशन पर गाड़ी आने के घंटे दो घंट पहले ही भीड़ होती है और काफी भीड़ होती है और सब लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। इस कठिनाई को दूर करने से बिना टिकट चलना कम हो सकता है।

जहां तक जंजीर खींचने के अपराध का सवाल है, हमने देखा है कि जंजीर खींचन वाले का पता ही नहीं चल पाता क्योंकि कोई बतलाने वाला ही नहीं है। यह भारी दिक्कत है। समाज में अभी यह चतना नहीं आयी है कि प्रशासन की सहायता करना अपना कर्तव्य समझे और दूसर लोग यह बता दें कि अमुक व्यक्ति न जंजीर खींची है ताकि उसको पकड़ा जाये। आजकल होता है एक जंजीर खींचने पर गार्ड आता है और घूम कर लौट जाता है, पता नहीं चलता कि किसने जंजीर खींची है, और वह वक्युअम को ठीक कर देता है और गाड़ी चल पड़ती है। हमने देखा है कि कानपुर स्टेशन के दोनों तरफ कुछ दूरी पहले जंजीर खींची जाती है और लोग उतर जाते हैं। वहां पर फ्लेग स्टेशन की मांग है। जब तक वहां स्टेशन नहीं बनाया जायेगा लोग इस तरह से उतरेंगे जरूर। चूंकि कोई बतलाता नहीं इसलिए जंजीर खींचने वाले नहीं पकड़े जाते। और रेलवे कर्मचारी लोगों को इसलिए भी नहीं पकड़ते कि कहीं मार कर ठीक न कर दिये जायें।

अभी हमारे पूर्ववक्ता ने बिहार का नाम लिया। मैं कहता हूं कि जिस हिस्स से हमारे मंत्री जी आत हैं वहां पर तो एसा मालूम होता है कि रेलवे का कोई कानून ही नहीं है। वहां पर लोग बिना टिकट फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं। मैंने देखा कि एक बार बहुत से लड़के आ गये और फर्स्ट क्लास में बठने लगे। जब उनसे कहा गया कि यह फर्स्ट क्लास है तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ हो तो बैठेंगे। शायद बिहार में चेन खींचने का भी सवाल ज्यादा है। वैसे यह बुराई है तो सब जगह, पर कहीं अधिक है और कहीं कम है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी में चढ़ने का प्रयत्न करने में आदमी लेडीज के डब्बे में चढ़ जाता है। और जहां पहुंच जाता है वहीं बैठ जाता है। इसे भी दुरुस्त करना होगा।

लेकिन कवल सजा बढ़ाने से यह चीज बन्द हो जायेगी इसमें हमें अ देशा है। आप देखें कि पीनल कोड आज बहुत दिन का बना हुआ है और फिर भी अपराध होते हैं। रेलवे कानून भी बहुत दिन का बना हुआ है। और पहले भी दंड की व्यवस्था थी। आज आप केवल उस दंड को बढ़ा रहे हैं। और कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाये तो यह अच्छा होता कि गाड़ियों की संख्या बढ़ायी जाये। पर इसमें कुछ दिक्कतें बतायी जाती हैं। मैंने एक दफा सदन में यह विचार प्रकट किया था कि गाड़ी में भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग बिना टिकट चलते हैं। इसका इलाज यही है कि भीड़ को कम किया जाये। पर मंत्री महोदय कहते हैं कि यह नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप कुछ तो कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आज भी एक-एक व्यक्ति के लिए सैलून लगाये जाते हैं। गोरखपुर रेलवे का हैडक्वाटर है। वहां से हर शनिश्चरवार को ३१ अप में लखनऊ के लिए दो सैलून लगते हैं और वे ही सैलून इतवार को वापस गोरखपुर आते हैं। न मालूम अफसर लोग शनिश्चर को लखनऊ क्या करने जाते हैं और किस चीज का मुआइना करते हैं।

एक माननीय सदस्य : सिनेमा देखने जाते हैं।

श्री सिंहासन सिंह : गवर्नमेंट को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। अगर वह इन सलूनों को तीसरे दरजे के डब्बों में बदल दे तो भीड़ कुछ कम हो सकती है। हमारे बहुत से मंत्री महोदय भी सैलूनों में चलते हैं। और साथ ही वह अपने को देश के सेवक कहते हैं। अभी मुझे सर्वोदय सम्मेलन में एक भाई मद्रास के मिले। उन्होंने एक आन्दोलन चलाया हुआ है कि ये लोग जो हमारे नौकर बनते हैं इनको फस्ट क्लास से उतार कर तीसरे दर्जे में चलाया जाये। आप देखें कि नौकर तो चलते हैं सैलूनों में और मालिक चलते हैं ठसाठस भरे हुए डब्बों में। यह चीज असंतोषजनक है और यह कानून बनाकर हम इस चीज को बदल नहीं सकते। हमको पहले अपने में सुधार करना चाहिए, अपने में सादगी लानी चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए। तभी हमारा कानून भी सफल हो सकता है।

इस बिल में आप धारा १२१ को सख्त करने जा रहे हैं। अब तक यह था कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी के काम में हुज्जत करे तो उस पर ५० रुपया तक जुरमाना हो सकता था। अब आप बढ़ाकर ६ महीने की सजा और २५० रुपया जुरमाना की सजा इसके लिए कर रहे हैं। इसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है। इससे आप रेलवे अधिकारियों को बहुत अधिकार दे रहे हैं। आजकल होता यह है कि अक्सर गाड़ियों में बहुत सा सामान नहीं होता, कहीं पढ़ने का बल्ब गायब रहता है, कहीं शीशा टूटा होता है आदि। हर जगह पढ़ने के लिए लैम्प लगे हुए हैं, लेकिन उनमें बल्ब नहीं होते हैं। अगर लगाने के लिए कहा जाता है, तो नहीं लगाया जाता है। यह सम्भावना हो सकती है कि जब किसी कर्मचारी को इस तरह का कोई काम करने के लिए कहा जाये, तो वह कहे कि मुझे काम करने से रोका गया है, मेरे काम में हस्तक्षेप किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सब बातों की सुविधा देने के बाद, व्यवस्था ठीक करने के बाद कानून को सख्त किया जाता है, तब तो ठीक है, लेकिन आज हम देखते हैं कि सब तरफ कमियां हैं, फिर भी सजा को सख्त किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं कि रेलवे अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करने और उन्हें रोकने और उनके साथ जबर्दस्ती करने की कितनी घटनायें हुई और कितने व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए। अगर हम को यह सब सूचना दी जाती और तब सजा बढ़ाने की व्यवस्था की जाती, तब तो हम समझ सकते थे, लेकिन इस तरह

[श्री सिंहासन सिंह]

रेलवे अधिकारियों को इतने व्यापक अधिकार दे देना किसी भी तरह उचित नहीं है कि वे रिपोर्ट कर दें, तो मुकदमा कायम हो जायगा और मुकदमा चलाया जायेगा।

इसके बाद मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जो अधिकारी सही काम करता है, उसको इनाम देने की व्यवस्था की जाये। बुरा काम करने के लिए दण्ड भले ही दिया जाये, लेकिन अच्छा काम करने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। कई जगह टी० टी० बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और काम करने के दौरान में मार भी खाते हैं, लेकिन उस के बावजूद न उनको कोई इनाम दिया जाता है और न उनके मुकदमों की पैरवी की जाती है। मैं एन० ई० रेलवे की एसोसिएशन का अध्यक्ष था। मैं जानता हूं कि लोगों ने अच्छा काम किया, उसमें मार भी खाई और नुक्सान भी उठाया, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई। ऐसी अवस्था में कौन जहमत करेगा। आप का पैसा बचाने के लिए और ठीक तरह से काम कर के नुक्सान उठाने के लिए? मैं जानता हूं कि गोरखपुर के रेलवे मैजिस्ट्रेट ने बड़ी ईमानदारी से काम किया। उसने कई रेलवे अधिकारियों—गार्ड और स्टेशन मास्टर—को पकड़ा। लेकिन क्या नतीजा हुआ? उन लोगों को छोड़ दिया गया और उस व्यक्ति ने ईमानदारी से काम कर के रेलवे के अधिकारियों को अपना दुश्मन बना लिया। हमारे यहां की व्यवस्था बड़ी खराब थी, लेकिन एक जनरल मैनेजर ने आ कर बड़ी सख्ती से काम किया और कुछ सुधार करने की कोशिश की, लेकिन कभी-कभी मुझे डर लगता है कि उनके बहुत दुश्मन बन गए होंगे, कहीं उन को कुछ नुक्सान न हो जाये। देवरियां में एक मैजिस्ट्रैट ने सब ब्लैक-मार्केटिंग को बन्द कर दिया इस पर ब्लैक-मार्केटिंग करने वाले उनसे नाराज हो गए। नतीजा यह हुआ कि उनको नीचे करके कहीं ट्रांस्फर कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून को सख्त करने के साथ ही साथ प्रशासन को भी सख्त और दक्ष बनाना चाहिए। सही काम करने वालों को तरक्की दी जाये, ताकि उनको महसूस हो कि हमारे काम को रेकगनीशन मिला है। लेकिन आज वातावरण दूसरा है। लोग समझते हैं कि नेकनीयती से काम करने में कोई फायदा नहीं है, जिस की पहुंच होगी, उसी की तरक्की होगी।

रेलवे प्रशासन हमारा एक कार्मशियल डिपार्टमेंट है। उसको वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि दूसरी कार्मशियल संस्थायें लाभ के लिए करती हैं। पेपर्ज में निकला है कि इस साल रेलवे को घाटा होने वाला है। घाटा होगा या नहीं, यह तो भगवान जाने, लेकिन हम देखते हैं कि कलकत्ता और बम्बई से माल रेल के द्वारा न आकर ट्रकों के द्वारा आता है। अगर माल रेल के द्वारा जल्द पहुंचे, सही अवस्था में पहुंचे और क्लेम करने की नौबत न आए . . . . .

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : और बीच में लोग माल न चुरायें।

श्री सिंहासन सिंह : . . . . तो लोग रेलों का अधिक इस्तैमाल करेंगे और रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। हम देखते हैं कि क्लेम्ज़ की रकम बढ़ती जाती है। यह कानून तो पास हो ही जायेगा, चाहे कोई इसका विरोध क्यों न करे लेकिन इस के साथ ही यह भी ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सख्त और एफिशेन्ट बनाया जाये और यात्रियों को सुविधा दी जाये। मैं समझता हूं कि तब चेन-पुलिंग नहीं होगी और अगर होगी, तो लोग अभियुक्त को पकड़ने में रेलवे की मदद करेंगे। जहां तक कानून का सम्बन्ध है, इस वक्त जो कानून मौजूद है, उससे भी काफी अच्छी तरह से रेलवे का काम हो सकता है, सवारियां भी बढ़ सकती हैं, माल भी ढोया जा सकता है और रेलवे को फ़ायदा भी हो सकता है। एक तरफ़ खर्च बढ़ाया जाता है और आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि की जाती है और

दुसरी तरफ मुसाफिरों की तरफ ख्याल नहीं किया जाता है। नतीजा यह है कि आप कानून सख्त करते जाते हैं और मुसाफिर मनमानी कार्यवाही करते रहते हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट): मैं विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मन्त्री महोदय ने इस विधान को प्रस्तुत करने के पक्ष में कोई ठोस दलीलें प्रस्तुत नहीं कीं। उन्होंने, चेन खींचने, बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे अधिकारियों को परेशान करने के कोई ऐसे उदाहरण नहीं बताये जिससे कि यह साबित हो सके कि वर्तमान कानून में पर्याप्त उपबन्ध नहीं हैं और उसमें संशोधन की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलों में होने वाली चोरियों की कोई व्यवस्था रेलवे मंत्री नहीं कर पाये हैं। रेलवे मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर पूर्व रेलवे पर १९५७-५८ में ३,६०,१५१ रुपये की सम्पत्ति चोरी हुई। मध्य रेलवे की यह राशि ४,९७,३८२ पये की है। इसी वर्ष पश्चिम रेलवे में चोरी हुई सम्पत्ति का अनुमान १,६४,३२७ रुपये है। कुल मिला कर यह हानि १०,५०,००० पये की फैलती है। इसे हटाने के लिये रेलवे मन्त्रालय द्वारा क्या पग उठाये गये हैं? मैं समझता हूं कि यह सोचना ग़लत है कि इस विधेयक से रेलवे मन्त्रालय अपराध कम करने में सफल हो जायेगा।

विधेयक के द्वारा मूल अधिनियम की धारा १०८ में संशोधन कर के गाड़ी में जंजीर वगैरा खींचने वालों की सज़ा बढ़ाई जा रही है क्योंकि मन्त्री महोदय ५० रुपये की सजा को कम समझते हैं क्या वह समझते हैं कि इससे जंजीर का दुरुपयोग खत्म हो जायेगा। मूल अधिनियम की धारा १०९ में संशोधन किया जा रहा है। परन्तु यह जो संशोधन किया गया है इससे मेरे ख्याल में रेलों की भीड़ भाड़ को कानूनी रूप दिया जा रहा है। सजा के डर से भीड़-भाड़ का कम किया जाना सम्भव नहीं, इस के लिए तो अधिक स्थान की व्यवस्था करनी होगी। हमें पता है कि गाड़ियों में स्थान कितना है परन्तु टिकट बहुत ज्यादा जारी कर दिये जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा ही नहीं जाता कि स्थान कितना है और जब टिकट दिये जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति का गाड़ी के भीतर घुसने का अधिकार हो जाता है। मैं वर्तमान उपबन्धों को काफी समझता हूं।

†**श्री जगजीवन राम**: नया संशोधन यह है कि यदि किसी की रक्षित जगह पर कोई बैठ जाता है तो रेलवे कर्मचारी उसे हटा सकते हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव**: उसके लिए तो अब भी २० रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। मेरा कहना तो यह है कि भीड़-भाड़ को हटाने के लिये अधिक स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस संशोधन से काम नहीं चल सकेगा। धारा ११२ के संशोधन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं कि जुर्माने के साथ अधिक किराया भी लिया जाये। परन्तु यह अच्छे व्यवहार की जमानत के बारे में की गई व्यवस्था मेरी समझ में नहीं आई; इससे तो मामला सुलझने के स्थान पर उलझ जायेगा। इस के साथ ही मन्त्रालय को खोंचे वालों और भिखारियों से भी यात्रियों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए ताकि इस कष्ट से उन्हें कुछ आराम हो सके। प्रतिरक्षा गृहों में ये लोग पड़े होते हैं और यात्रियों को इससे बड़ी तकलीफ होती है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): इस विधेयक द्वारा भारतीय रेलवे अधिनियम में छः महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। धारा १०८ में खंड ४ द्वारा संशोधन किया गया है। इसका सम्बन्ध चेन खींचने से है। मंत्री महोदय ने बताया है कि गत वर्ष कुल मिला कर ४०,००० बार चेन खींचने की घटनायें हुईं। हमारे देश में कुल ४,००० गाड़ियां रोज़ चलती हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि एक गाड़ी में एक वर्ष में ऐसी दस घटनायें हुईं, अर्थात् प्रत्येक गाड़ी में लगभग एक महीने में एक घटना हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

यह कोई अधिक तो नहीं है । यदि मास में एक गाड़ी पर दो घटनायें भी हुई हों तो भी मैं समझता हूं यह अधिक नहीं है । चेन खींचने का ठीक प्रयोग हो इसके लिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है । जिसमें मैंने कहा है कि यदि यह सिद्ध हो जाये कि किसी ने जानबूझ कर चेन खींची है तो उसे सज़ा दी जाये । यदि चेन खींचने पर हरेक मामले में हमने तीन मास की सजा की व्यवस्था कर दी, तो ठीक मामलों पर भी लोग चेन खींचते हुये डरा करेंगे । गलत प्रयोग हो सकता है परन्तु कड़ी सजा उस समय दी जानी चाहिए जब कोई जानबूझ कर ऐसा करके रेलवे के प्रशासन कार्य में रुकावट डालता है ।

मेरे ख्याल में अध्यक्ष महोदय का यह सुझाव ठीक ही है कि यदि कोई व्यक्ति एक टिकट लेकर अपने स्थान से अधिक स्थान घेर लेता है तो उसे उपयुक्त सजा मिलनी चाहिए । इस प्रकार के मामलों की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम में समुचित परिवर्तन करके खंड ५ के अन्तर्गत संशोधन किया जा सकता है । इस प्रकार के मामलों में जहां जानबूझ कर शरारत की गयी हो, सजा एक महीने तक की होनी चाहिए । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि टिकटों में रद्दोबदल करके उनका दुरुपयोग करने पर जो सजा की व्यवस्था है, उसमें कोई अशिक्षित निर्दोष न फांस लिया जाये । ऐसे मामले शायद थोड़े हों परन्तु मन्त्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए ।

खोंचे वालों और रेलों में सामान बेचने वालों से यात्रियों को जो परेशानी होती है उससे भी उनकी रक्षा की जानी चाहिए । यह चीज़ बम्बई की स्थानीय गाड़ियों में बहुत अधिक है । इसके लिये कड़े पग उठाये जाने की आवश्यकता है । इसमें गरीबी अमीरी का प्रश्न नहीं है । यदि इन लोगों को गाड़ी से उतर जाने को कहा जाये तो यह हमला तक करने को तैयार हो जाते हैं । यात्रियों के लिए आराम से यात्रा करना असम्भव हो जाता है । इस प्रकार के लोगों को सजा देते समय इनके माल को जब्त करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । इसके बिना यह लानत दूर नहीं होगी ।

रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्य पालन में जो रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उसके सम्बन्ध में निवेदन यह है कि यह शब्द "ऑब्सट्रक्शन" (रुकावट) बड़ा व्यापक है । इसके अन्तर्गत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को लिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में केवल उसी अवस्था में सजा दी जानी चाहिए, जहां जान-बूझ कर शक्ति का प्रयोग कर रुकावट पैदा की गयी हो ।

बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि रेलवे अधिनियम को कड़ा करके ईमानदार यात्रियों के लिए और ज्यादा कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं । मेरे विचार में जो संशोधन मैंने दिया है, उसके आधार पर विधेयक में परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : इस विधेयक में जिन सजाओं की व्यवस्था की गयी है वे ठीक ही हैं और यदि इन्हें ठीक प्रकार से लागू किया जाये तो काफी रोकथाम हो सकती है । मेरा तो यह ख्याल है कि जो उपबन्ध अब तक हैं वे ही क़ाफ़ी हैं अगर उनके अनुसार ठीक-ठीक कार्यवाही हो सके । कठिनाई यह है कि अपराध करने वालों को पकड़ा ही नहीं जा पाता । सज़ा की बात तो बाद में उत्पन्न होती है । अगर उन्हें पकड़ कर इतनी ही सज़ा दे दी जाये जितनी अब क़ानून में है तो भी बहुत है । मेरा निवेदन यह है कि कई बार रेलों में गुंडागर्दी के कारण स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई भी कर्मचारी कार्यवाही करने से डर जाता है तो ऐसी स्थिति के मुकाबले के लिए रेलगाड़ियों पर पुलिस गार्डों की व्यवस्था होनी चाहिए ।

इसके अलावा कई बार ईमानदार यात्रियों को भी कठिनाई आती है । वे गाड़ी में चढ़ते समय टिकट नहीं ले पाते और अपेक्षित प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं कर सकते । अतः ऐसे लोगों को संरक्षण

देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अपराधी को हर हालत में सज़ा मिलनी चाहिये। लेकिन जो वास्तव में अच्छी नीयत से यात्रा करने वाले लोग हैं उनको दंडित नहीं किया जाना चाहिये। मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा का यह कहना ठीक है कि ऐसा न करने के लिये लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिये। परन्तु यह तो लम्बी बात है और इसे कार्यान्वित करने में २५, ३० वर्ष लगेंगे। अभी तो आवश्यकता है कि इस प्रकार के कृत्यों को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही हो और अपराध करने वालों को सज़ा मिले। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे। विधान केवल बनाया ही नहीं जाना चाहिए उसे समुचित रूप में कार्यान्वित भी किया जाना चाहिये, अन्यथा उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** :(कुम्बकोणम): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में कुछ कमियां रह गई हैं। हमें जल्दबाजी में किसी विधान को पारित नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों को कड़ाई के साथ लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा यह ध्यान नहीं रखा गया है कि मूल अधिनियम १८९० में बनाया गया था। उस समय अधिकांश रेलें गैर-सरकारी क्षेत्र में थीं। परन्तु आज लगभग सभी रेलें सरकारी हैं; रेलवे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। और उनके काम में रुकावट डालने के लिये भारतीय दंड संहिता में उपबन्ध मौजूद हैं। मैं रेलवे अधिकारियों को और अधिक शक्तियां देने के पक्ष में हूं, बशर्तेकि वे हमें विश्वास दिलायें कि हालत ठीक हो सकेगी। हमारे देश में लोग अभी यह नहीं समझते कि रेलवे अथवा सरकार की सम्पत्ति उनकी अपनी सम्पत्ति है। सभी रेलवे कर्मचारियों को प्रयत्न करने चाहिएं जिससे रेलों में चोरियां कम हो जायें अथवा चोर पकड़े जायें। इसके साथ-साथ हमें इसका भी प्रयत्न करना चाहिए कि चलती रेलों में रेल कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध हो।

खतरे की जंज़ीर खींचने के बारे में इतना सभी जानते हैं कि यह जंज़ीर बड़े-बड़े नगरों के निकट ही अधिकांशत: खींची जाती है। नगरों में विद्यार्थी यह प्रयत्न करते हैं कि रेल उनके कालिज के पास रुक जाये और वह कालिज आसानी से पहुंच सकें। इसलिए कालिजों के निकट यदि गाड़ी ठहरने की व्यवस्था कर दी जाये तो विद्यार्थियों द्वारा जंज़ीर खींचने की समस्या हल हो सकती है।

चलते फिरते न्यायालयों को रेलों में रखने से बहुत लाभ है। मामलों का शीघ्र फैसला हो जाता है। मेरा सुझाव है कि इन न्यायालयों को बिना वारंट गिरफ्तार करने के अधिकार भी दिये जाने चाहिए।

खण्ड ५ के द्वारा धारा १०९ का संशोधन किया जा रहा है। इसमें दिया है "यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से किसी बर्थ पर कब्ज़ा कर ले", जिसका अर्थ उस व्यक्ति से हुआ कि जो डिब्बे में घुस चुका है। मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति डिब्बों में जबरदस्ती घुसना चाहें उनके लिए दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। कभी-कभी डिब्बा पूरी तरह से भरा होने पर भी लोग जबरदस्ती घुसना चाहते हैं। जितना गाड़ी में स्थान उतने ही टिकट भी दिये जाने चाहिए।

खण्ड २ में "प्रेजीडैन्ट" के स्थान पर "चेयरमैन" शब्द रखा जा रहा है जो ठीक ही है। खण्ड ६ के द्वारा धारा ११२ का संशोधन किया जा रहा है। इसमें बिना टिकट यात्रा करने वालों को तीन महीने की सज़ा अथवा २५० रुपये जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा। मैं बताना चाहता हूं कि दण्ड के बजाये यदि जनता को बिना टिकट यात्रा की बुराइयां बता कर उनकी आदत ठीक करें तो यह ज्यादा अच्छा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

रेलों में भिक्षा मांगना हमारे लिए बड़े शर्म की बात है । इसको रोकने के लिए सभी उचित कार्यवाहियां की जानी चाहिए । अनधिकृत रूप से किताबों आदि बेचने वालों के लिए भी दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए । इनसे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : माननीय मंत्री को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया । मैं उनको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र, जिला शाहबाद इस मामले में सबसे अधिक अपराध करता है । मैं जानता हूं कि मेरे कुछ साथी यह नहीं चाहते कि इतने कठोर दण्डों की व्यवस्था की जाये । परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि जो दण्ड रखे जा रहे हैं वह बहुत कम हैं क्योंकि बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है ।

रेलवे एक व्यापारिक संस्था है इसलिए अपराधी के पकड़ने पर तुरंत दण्ड दिये जाने की व्यवस्था इसमें की जानी चाहिये जिससे उनके व्यापार में घाटे की संभावना न रहे । कुछ माननीय सदस्यों ने रेलवे कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया है कि संभवतया निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न आरम्भ हो जाये । मेरा विचार से इस प्रकार की बातें सोचना ठीक नहीं है । जो विधि के अनुसार काम करेगा उसको कोई तंग नहीं कर सकता है ।

हमें इस प्रकार का भी प्रयत्न करना चाहिये जिससे विधियों को लागू करने में जनता का सहयोग मिल जाये । मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक से सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा और बुराइयां ठीक हो जायेंगी । अन्त में, मैं एक बार फिर मंत्री महोदय को विधेयक के लिए बधाई देता हूं ।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं अपने माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह के साथ अपने विचारों को नहीं पाता हूं । यह कहना कि विधेयक में अधिक सज़ा की व्यवस्था करने से यह बिमारी रुक सकती है, मेरे विचार में ठीक नहीं है । रेलवे मंत्री महोदय ने पिछले बजट-भाषण में बताया था कि चालीस हज़ार जंज़ीर खींचने की घटनायें हुई थीं और यह भी बताने की कोशिश की थी कि कितने लोगों के खिलाफ़ मुकदमे चलाये गये । आज मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि शाहाबाद का निर्वाचन-क्षेत्र जंज़ीर खींचने और बिना टिकट के चलने के मामले में सब से आगे है । मैं जानना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में कितने लोगों के खिलाफ़ जंज़ीर खींचने और दूसरे जुर्मों के सम्बन्ध में मुकदमे चलाये गये हैं । मेरा कहना यह है कि सिर्फ़ सजा बढ़ा देने से ही काम नहीं होने वाला है । जैसा कि श्री जयपाल सिंह ने अपने भाषण के अन्तिम चरण में कहा, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कानून क्या बनता है, बल्कि यह है कि उस पर अमल कैसे होता है । असल में जो कानून अभी है, अगर उस पर सही तौर पर अमल होता, तो मैं समझता हूं कि बिना टिकट चलने और जंज़ीर खींचने की घटनायें इतनी अधिक न होतीं । मैं यह नहीं कहता कि जंज़ीर खींचने की घटनायें अनुचित नहीं होतीं—वे अनुचित भी होती हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि कानून की धारा ६३ में यह व्यवस्था है कि जिस डिब्बे में निर्धारित संख्या से अधिक मुसाफ़िर बैठे हों, तो चाहे उन के पास टिकट मौजूद हों, रेलवे अधिकारी निर्धारित संख्या से अधिक मुसाफ़िरों को बाहर निकाल सकते हैं । फ़र्ज़ कीजिये कि किसी डिब्बे में बैठने वाले मुसाफ़िरों की निर्धारित संख्या ६२ है और उस में १६२ आदमी बैठे हैं, तो सौ आदमियों को रेलवे अधिकारी कानून के मातहत हटा सकते हैं, क्योंकि वहां पर इतने आदमियों के लिए सीटिंग की व्यवस्था नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक रेलवे की यह व्यवहथा जारी रहती है कि

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों में, उतना स्थान नहीं है, जितने के लिए आप टिकट जारी करते हैं, तब तक जो यात्री, जिन के पास टिकट हैं, निर्धारित संख्या से अधिक मुसाफ़िरों के आने पर जंज़ीर खींचते हैं, वे भी उतने ही दोषी हैं, जितना दोषी कि रेलवे प्रशासन है। जब रेलवे प्रशासन को कानून का उल्लंघन करने पर सज़ा नहीं मिलती, तो फिर इस प्रकार सफ़र करने वाले यात्रियों को भी सज़ा नहीं मिल सकती है। जब आप यात्रा के लिए पूरे स्थान की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो फिर जुर्माने को ५० रुपये से बढ़ा कर २५० रुपये तक करने और साथ ही तीन महीने की कैद की सज़ा भी रख देने का क्या औचित्य है? क्या सरकार यह सोचती है कि इस से यह जुर्म कम हो जायेंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय दंड विधान में कत्ल और डकैती के लिये फांसी की सज़ा रखी हुई है, लेकिन फिर भी कत्ल और डकैतियां होती हैं। इस के लिये हम को समाज की व्यवस्था बदलनी होगी और समाज में इस तरह की भावना पैदा करनी होगी कि लोग जुर्म न करें। यदि रेलवे मंत्री महोदय ने उस भावना को पैदा करने का प्रयत्न किया होता, जिसका ज़िक्र उन्होंने अपने बजट भाषण में किया था, लोगों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की होती, तो यह समस्या काफी सुधर जाती। मैं चाहता हूं कि दण्ड की व्यवस्था सख्त करने के बजाय यदि लोगों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये, तो हमारा मार्ग बहुत सरल हो जायेगा। इस विषय में विद्यार्थियों की बड़ी चर्चा की जाती है। मैं जानता हूं कि कभी-कभी विद्यार्थी, जब उनकी इच्छा होती है, जंजीर खींच लेते हैं और गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन की इन कार्यवाहियों को रोकने के लिये कभी उन के अभिभावकों, उनके प्रिंसिपल्ज़ और विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सहयोग लेने की कोशिश की गई है ? क्या इस सम्बन्ध में उन के साथ मीटिंग्ज़ की गई हैं ? यदि आप उन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तो क्या उन अधिकारियों को कहा गया है कि वे उन के खिलाफ़ कार्यवाही करें ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहते हैं, उन को शिकायत है कि उन को इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों के अभिभावकों, प्रिंसिपल्ज़ और कालेजों के अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है। जो परिस्थिति इस समय है, उस को देखते हुये मैं कह सकता हूं कि सज़ा को बढ़ाने के बावजूद आप यह जुर्म करने वालों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय पचास रुपये जुर्माना करने की व्यवस्था है, इस के अन्तर्गत कितने मुकदमे चलाये गये हैं और कितने लोगों को सज़ा दिलवाई गई है। जब तक आप कोई उचित कारण नहीं बतायेंगे, तब तक इस प्रकार सज़ा को बढ़ाना हमारी समझ में नहीं आता है। यह कहते हुये मेरा यह आशय कतई नहीं है कि जंज़ीर खींचना सही है, अच्छी चीज है। मैं जानता हूं कि उस के कारण बहुत से यात्रियों को नाजायज़ तरीक़े से नुकसान होता है। वह घटनायें कम होनी चाहियें लेकिन उन को कम करने का तरीक़ा यह नहीं है कि सजा को बढ़ा दिया जाये। इस सम्बन्ध में हम को देखना चाहिये कि जो लोग आदतन इस प्रकार के जुर्म करते हैं, उनको हम पचास रुपये जुर्माना कर के ठीक कर सकते हैं और जो ऐसे नहीं हैं, उन के साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिये। कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर ज़ंजीर खींचनी पड़ जाती है। जिस डिब्बे में ६२ आदमियों के लिये जगह है और जहां १६२ आदमी बैठ जाते हैं, वहां अगर कोई व्यक्ति जंजीर खींच लेता है, तो मैं नहीं समझता कि कायदे से आप कह सकते हैं कि उस ने जुर्म किया है।

जुर्म आप करते हैं, उसका इसमें कोई जुर्म नहीं है। इस कानून के मुताबिक़ आप यह कह सकते हैं कि रीज़नेबल और सफिशेंट काज नहीं था कि उसमें १६२ आदमी ६२ आदमियों की जगह पर बैठे हुये थे, इसलिये जंजीर खींच दी और चूंकि बहुत अधिक आदमी बैठे हुये थे इसलिये उसने ऐसा किया। जब बच्चा होने जा रहा हो या कोई और ज़रूरी बात हो, उस वक्त अगर कोई जंजीर खींच दे तो उसको आप सफिशेंट और रीज़नेबल काज़ समझते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि श्री भरूचा साहब ने जो संशोधन दिया है और जो यह कहा है कि इसमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये जिस से यह बात बिल्कुल

[श्री ब्रज राज सिंह]

स्पष्ट हो जाये और यह बात गोलमाल न रहे कि कभी भी जहां पर बहुत आवश्यक कार्य हो और उसके लिये जंजीर खींच दी जाये तो वह जुर्म नहीं होगा, इसको मान लिया जाय ।

अब मैं टिकिटलैस ट्रेवल (बिना टिकट यात्रा) पर आता हूं । कई लोग रोजमर्रा बिना टिकिट के ट्रेवल करने में सफल हुये हैं और हो रहे हैं । टिकिटलैस ट्रैवल की जितनी घटनाओं का रेलवे प्रशासन को मालूम है या जो उस सम्बन्ध में उसके पास आंकड़े हैं, वे उतनी न हो करके उससे कहीं अधिक हैं । इसका कारण यह है कि रेलवे कर्मचारी कभी-कभी जिससे वह किराया चार्ज करना भी चाहते हैं, डर के मारे नहीं कर पाते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है । इस तरह की वारदातें होती मैंने देखी हैं । जब कोई व्यक्ति जो कि गुण्डा होता है बिना टिकिट सफर करता पाया जाता है और उससे किराया चार्ज करने की बात आती है तो वह उनको डराता धमकाता है और कहता है कि वह उनका सिर अलग कर देगा । अगर उन्होंने उसके खिलाफ़ कुछ किया । इस वास्ते रेलवे कर्मचारियों की यह शिकायत रहती है कि उनकी सुरक्षा का कोई भी प्रबन्ध रेलवे प्रशासन की ओर से नहीं होता है । पिछले दिनों एक घटना का अखबारों में उल्लेख हुआ था । लखनऊ में एक मेला था और वहां पर लोग जा रहे थे । जब बीच में ही उनसे टिकिट मांगे गये तो रेलवे कर्मचारियों को पीट दिया गया । इस वास्ते उनका कहना यह है कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये । साथ ही साथ रेलवे प्रशासन की ओर से जब कभी कोई मुकदमा चालू हो जाता है, उसको लड़ने का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है, रेलवे कर्मचारियों को उनके ही रहम पर छोड़ दिया जाता है । यह अच्छी स्थिति नहीं है । जब रेलवे के कर्मचारियों की बिना टिकिट सफर करने वालों से चार्ज करने की बात आती है और इस कार्य को करते समय उन्हें कोई चोट आ जाती है या कोई दूसरी घटना हो जाती है, तो रेलवे प्रशासन का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि उन कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध कैसे किया जाना चाहिये और अगर मुकदमा लड़ने की जरूरत पड़ती है तो मुकदमा भी रेलवे प्रशासन की ओर से लड़ा जाना चाहिये ।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी हैं जिन्होंने यह पट्टा लिखा लिया है कि रेलें जो हैं उनके वही मालिक हैं । वे अपने आपको उसी तरह से इनका मालिक समझते हैं जिस तरह से पहले जमींदार लोग या राजे महाराजे समझा करते थे कि वे मालिक हैं । यह छोटे मोटों की बात नहीं हैं । मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब बरहन से एटा के लिये रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था तब रेलवे मंत्रालय की ओर से कुछ निमंत्रण-पत्र जारी किये गये थे । उसमें राष्ट्रपति जी भी गये थे और उनके लिये सैलून का प्रबन्ध कर दिया गया था । इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है, उनके लिये सैलून का अच्छी से अच्छी गाड़ी का प्रबन्ध होना ही चाहिये । उस समारोह में हमारे माननीय रेलवे मंत्री जी भी गये थे । वहां कुछ लोगों को निराश ही लौटना पड़ा क्योंकि रेलवे कर्मचारियों ने तो अपने लिये फर्स्ट क्लास का प्रबन्ध कर लिया था मगर दूसरे लोगों के लिये नहीं किया था । संसद् सदस्यों तक के लिये थर्ड क्लास की भी व्यवस्था नहीं की गई थी । उनके लिये तो फर्स्ट क्लास की व्यवस्था हो और दूसरों के लिये कोई व्यवस्था न हो, यह अच्छी बात नहीं है ।

हमें यह देखना पड़ेगा कि कर्मचारियों की भावना में परिवर्तन हो । जब तक उनकी भावनाओं में, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आयेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, चाहे आप कितने ही दण्ड की व्यवस्था क्यों न कर दें ।

अब देखने वाली बात यह है कि क्या हम अधिक सीटों की व्यवस्था कर पाते हैं या नहीं, जितने आदमी रेलों में सफर करते हैं, उन सब को सीटें दे पाते हैं या नहीं । अगर हम नहीं दे सकते हैं तो कम

से कम जैसा कि माननीय सिंहासन सिंह जी ने कहा सैलून्स का चलना बन्द तो कर ही सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो फर्स्ट क्लास को भी बन्द कर सकते हैं। खैर फर्स्ट क्लास और सेकिंड क्लास को बन्द करने का जहां तक सवाल है वह अलग बात है। लेकिन हम सैलून्स का चलन तो बन्द कर ही सकते हैं। आप दो रुपये ले कर रात को आदमियों के सोने की व्यवस्था भी करते हैं ताकि वे आराम से जा सकें।

एक माननीय सदस्य: एयर-कंडिशन भी बन्द होना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह: फर्स्ट क्लास को बन्द नहीं कर पा रहे हैं और आप एयर कंडिशन को बन्द करने की बात कहते हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जब आप आदर्श के तौर पर काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों को सुख सुविधा मिले तो आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिये जिस से लोगों के लिये बटने की जगह का तो कम से कम प्रबन्ध हो सके। आज लोगों के पास टिकिट होता है लेकिन वे खड़े रहते हैं, शाम को उन्हें घर पहुंचना होता है, वे गाड़ी से रह जाते हैं। छतों पर चढ़ कर के या बाहर खड़े हो कर के जाते हैं और सिगनल से टकरा कर उनका सिर कट जाता है,बच्चे देखते रहते है कि उनके पिता अब आये और अब आये। आप दो रुपया लेकर सोने की जगह लोगों के लिये सुरक्षित रखते हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं। इससे लोगों को बैठने के लिये स्थान मिल सकेगा। साथ-साथ हमको कुछ मौलिक परिवर्तन करने होंगे तब जा कर जो हमारा मकसद है वह पूरा हो सकेगा। जब तक आपका इधर ध्यान नहीं जायगा, तब तक आप चाहे ५० रुपये अथवा २५० रुपये या ५०० रुपये जुर्माने की व्यवस्था कर दें, कुछ होने वाला नहीं है।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि देश म शासन के सामने जो कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं उनको दूर करने की ओर शासन का ध्यान जाना चाहिये। हमारे रेलवे मंत्री बिना टिकिट सफर को बन्द करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह जो जंजीर खींची जाती है इसकी भी रोकथाम करना चाहिये। यहां तक तो बात ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि यह चीज़ कैसे बन्द हो। इस में मतभेद दिखाई पड़ता है। शासन चाहता है कि दण्ड व्यवस्था हो लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं कि देश का जो स्तर गिर रहा है, उस स्तर को ऊंचा उठाया जाय। मैं देखता हूं कि स्तर शासन का भी गिर रहा है और समाज का भी गिर रहा है और यह बीमारी व्यापक रूप से न केवल रेलवे विभाग में है, बल्कि समस्त विभागों में है। इस देश का काम काज चलाने के लिये जितने भी विभागों का निर्माण हुआ है उन सभी में यह रोग विद्यमान है। चूंकि जनता का रेलवे विभाग से अधिक सम्पर्क होता है, इसलिये उसमें यह अधिक दिखाई पड़ती है।

अब प्रश्न पैदा होता है कि इस रोग को कैसे रोका जाये। इस में भी कोई संदेह नहीं है कि जब तक दंड पूरा नहीं मिलेगा तब तक जो गुंडा र्दी है वह दब नहीं सकती है। उपदेशों के द्वारा गुंडा र्दी को दबाने का जो प्रयत्न करते हैं, वे व्यावहारिक जगत से दूर हैं। जो साधारण खराबी है वह तो उपदेश के द्वारा ठीक हो सकती है लेकिन जिन के ऊपर संस्कार बदमाशी के आरम्भ से ही पड़ गये हों उन के साथ अगर आप सद्भावना, प्रेम और विश्वास के आधार पर बात करेंगे तो स्तर और भी गिर जायेगा और देश में अव्यवस्था और अराजकता फैलेगी और उस का लक्षण यह होगा कि टिकट मांगने वाले को मरने का डर होने लग गया है, उस को यह डर होने लग गया है कि यदि मैंने टिकट मांगा तो मेरा सिर फोड़ दिया जायेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाये तो वे लोग कर्तव्य परायणता का कैसे परिचय दे सकते हैं। प्राणों के भय के कारण वे गुंडों को

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

गुंडागर्दी करने का अवसर देंगे और ये लोग अपना गैंग बना कर, अपना गुट बना कर और अधिक हावी होने का प्रयत्न करेंगे । शासन को यदि इस से नहीं बचाया जायेगा तो शासन दुर्बल हो जायेगा । और अन्त में देश का भी नाश हो जाएगा अतः शासन के भी हाथ मजबूत करने की जरूरत है । लेकिन जो शासन देश को बलवान बनाना चाहता है उस को आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिये । भगवान कृष्ण ने एक बार स्पष्ट कह दिया था :—

यवदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।

श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे, इतर जगत उस के अनुसार चलेगा ।

हमारे जितने बड़े लोग हैं उनमें कर्तव्यपरायण की भावना नष्ट हो गयी है और वे अपने आप को शाह, शहनशाह, बादशाह, ऐसा समझने लगे हैं । उनके ऐसा समझने के कारण ऐसा मालूम पड़ता है कि शाहों, शहनशाहों, बादशाहों का जमाना आ गया है और जो साधारण आदमी था, जो मारा मारा फिरता था, अपने को बादशाह समझने लग गया है, तो लोग भी समझने लग गये हैं कि उन को छुट्टी है । इस के कारण भ्रष्टाचार की भावना बढ़ी है । मैं तो लोगों को यहां तक कहते सुनता हूं कि "कांग्रेस के राज में लूट सके तो लूट, अन्त समय पछतायेगा जब नौकरी जायेगी छूट ।" अब आप ही बताइये जब यह भावना हो जाये और कम्पिटीशन शुरू हो जाये तो क्या किया जाय मैं इस का एक उदाहरण देना चाहूंगा । मैं अपने चुनाव क्षेत्र में धार्मिक वायुमंडल उत्पन्न करने के लिये उपदेश कर रहा था । मैं ने पिछली बार निवेदन किया था कि सैंट्रल रेलवे से मेरे क्षेत्र का नैरो गेज का सम्बन्ध हो गया है । हमारे मंत्री महोदय उधर कभी गये ही नहीं । मैं चाहूंगा कि वह कभी कभी गुप्त रूप से जा कर देखा करें कि कहां क्या हो रहा है ? प्रकट रूप से तो जाते ही हैं ।

एक माननीय सदस्य : कौन सा क्षेत्र है ?

पंडित ब्रजनारायण 'ब्रजेश' : वहां एक नैरो गेज चलती है । मैं आप को उस की हालत बताऊं । वहां पर धक्का देने से गाड़ी ऊपर चलती है । पैसेन्जर्स नीचे उतर आते हैं । बार बार ड्राइवर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है लेकिन जब गाड़ी का इंजन फेल हो जाता है तो पैसेन्जर्स ही इंजन बनते हैं । टिकट कलैक्टर साहब का हाल भी देखिये । अगर गाड़ी में कुल ५० या ६० पैसेन्जर्स भी हुए तो ३० पैसेन्जरों का पैसा टिकट कलैक्टर अपनी जेब में डाल लेता है और स्टेशन मास्टर से लेकर गार्ड तक सब उस को परस्पर वितरण कर लेते हैं ।

श्री जगजीवन राम : वह भी आप के धर्म प्रचार के बाद ?

पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' : जी हां क्योंकि भ्रष्टाचार का आप का बढ़ावा इतना व्यापक हो गया है और स्तर इतना गिर गया है कि मेरा धर्म प्रचार काम नहीं कर रहा है । मैं बिना पैसा लिये आप का काम बनाना चाहता हूं उपदेश के द्वारा लेकिन वह सब बेकार हो रहा है, इसलिये कि आप की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, आप का निरीक्षण ठीक नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : गाड़ी में सामान तो सुरक्षित है ?

पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश': क्या कहा जाय कि वह सुरक्षित है? जान माल दोनों का ही सवाल है । मैं तो समझता हूं कि हमारे श्री बाजपेयी ने एक बार ठीक ही कहा था कि गाड़ी में बैठने के समय जग और जीवन दोनों को छोड़ केवल राम जी की याद रहती है । भगवान ही मालिक है, पहुंचने तक अगर बच गये तो ठीक है । मेरा यह निवेदन है कि जब साधारण लोगों में भ्रष्टाचार का निर्माण हुआ

और देख रेख बन्द हो गई तो सजा देने से ही क्या काम चलेगा ? जब टी० टी० आई० स्वयं पैसे ले कर जेब में डाल लेते हैं तो आप सजा किस को देंगे ? मैं एक स्टेशन पर जा कर बैठा। मेरे साथ देहात के चार आदमी और थे। वे लोग टिकट लेने गये और लौट कर कहा कि बाबू उन को टिकट ही नहीं दे रहा है। तो मैं गया स्टेशन मास्टर के पास। वे स्वयं ही तार भी करते हैं, रसीद भी काटते हैं, टिकट भी वही बांटते हैं। उन्हों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और कहने लगे "ठहरो जी" "ठहरो जी"। उधर गाड़ी जा रही थी। जब टिकट नहीं मिला तो टी० टी० आई० कहता है कि तुम बैठ जाओ, टिकट नहीं मिलता तो कोई हर्ज नहीं। उस वक्त उस को मालूम नहीं था कि उस के सामने मैं खड़ा हुआ हूं और उस की सारी बात को लोक सभा में जा कर कहूंगा। आज यह स्थिति हो रही है। रेलवे में होने वाले इतने बड़े भ्रष्टाचार को भी जो आज चल रहा है हम को रोकना पड़ेगा। हमारे मंत्री महोदय को, उप मंत्री महोदय को तथा दूसरे लोगों को भी जा कर देखना पड़ेगा, जगह जगह दौरा करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं चलता है नहीं तो इस तरह के अधिकार से काम नहीं चलता। इस अमेंडमेंट को ला कर और कानून को संशोधित कर के यह होगा कि गरीब घूमने वाले व्यक्ति के पास अगर टिकट नहीं होगा तो उस को सजा दी जायेगी। मैं यह नहीं कहता कि उस को सजा न दी जाये, लेकिन अगर टिकट लेने के बाद उस आदमी को रेलवे में जगह नहीं मिलती तो क्यों न उस के बदले में मंत्री महोदय को सजा दी जाये। जब आप टिकट के पैसे ले रहे हैं तो जगह देने की गारन्टी क्यों नहीं करते? अगर आप उस को जगह नहीं देते और साथ में इस तरह की सजा देने वाला बिल लाते हैं तो यह दोनों काम एक साथ नहीं चल सकेंगे। मेरा निवेदन यह है कि आप का ध्यान जनता की सुविधा देने की तरफ भी होना चाहिये यदि आप उस को सजा देने की बात सोचते हैं। आप उन को सजा भी दीजिये लेकिन सुविधा को भी बढ़ाइये और यह दोनों काम एक साथ ही चलने चाहियें। इसी तरह से स्थिति में सुधार हो सकता है' अन्यथा इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

चौ० रणवीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कई दोस्तों ने खयाल जाहिर किया है कि सजा को बढ़ाया जा रहा है जंजीर खींचने के लिये। आज से कोई २० साल पहले भी सजा ५० रु० ही थी जब कि १ रु० सेर घी मिलता था, ढ़ाई रुपये का एक मन गेहूं मिलता था। हमें चाहिये तो यह था कि हम रेल के महकमे का शुक्रिया अदा करते कि उस ने अब तक न जुर्माना ही बढ़ाया है और न किराया ही उतनी हद तक बढ़ाया गया है, बावजूद इस बात के कि हर चीज का दाम बढ़ रहा है। अनाज का भाव ३४ और ३५ रुपये मन हो गया है। इस में भी कुछ बढ़ जाता तो कोई बात नहीं थी रेल तो आम जनता के चलने के वास्ते है, उस में कोई बुराई आती है तो यह दु:ख की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर गाड़ी वाले घी ही ल लिया करें

चौ० रणवीर सिंह : मैं दूध घी की तरफ भी आऊंगा। दूध और घी का बहुत काफी रिश्ता है। मैं ने आप से कहा था कि एक और नई बात है।

श्री जगजीवन राम : आप ने नई बात ता कही।

चौ० रणवीर सिंह : मैं आप के द्वारा जो नई बात कहना चाहता था वह यह है कि जो आदमी दूसरी जगह से बिना टिकट बैठता है उस के लिये तो सजा की बात आ गई लेकिन आज आप सब्जी मंडी स्टेशन पर सवेरे उठ कर जाइये। वहां आप देखेंगे कि कितने आदमी दूध ले कर आते हैं जो सवारी रेल में बैठने के लिये दाखिल होते हैं उन को गाड़ी में दाखिल होने की जगह नहीं रहती। स्टेशन के लोग सब उन से एक एक लोटा दूध लेते हैं और उस का दाम नहीं देते हैं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन दूध में पानी तो डालते हैं।

चौ० रणवीर सिंह : पानी तो डालेंगे ही, आखिर कहीं न कहीं से तो उस घाटे को निक लेंगे ही। इसी तरह से घी का सवाल आ जाता है। तो जहां तक सजा को बढ़ाने का ताल्लुक है, उस में मुझे कोई आपत्ति नहीं। हां एक बात जरूर है कि जहां तक टिकटों का सवाल है, पहले भी एक दो दोस्तों ने कहा कि जो भाई ईमानदारी से चलना चाहते हैं उन के लिये भी तो कोई स्थान रहना चाहिये। बदकिस्मती यह है कि जो भी जरा ईमानदारी से चलना चाहते हैं उन के रास्ते में आप रोड़ा अटकाना चाहते हैं। वे तो पद यात्रा ही कर सकते हैं। उन को रेलों पर यात्रा करने की सहूलियत मिलनी चाहिये।

देहातों के स्टेशनों पर आप जानते हैं कि बाबू कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो अक्सर गाड़ी के आने के पांच या सात मिनट पहले आते हैं तो वे तो ठीक वक्त पर भी नहीं आते हैं, लेकिन जो देहात के लोग बेचारे टाइम से घंटा घंटा और डेढ़ डेढ़ घंटा पहले से आ जाते हैं उन को टिकट नहीं मिलता भले ही वे गाड़ी पर बैठें या न बैठें। कई जगह पर तो ऐसा होता है कि चौबीस घंटे में एक ही बार गाड़ी आती है और यात्रियों के लिये आफत हो जाती है कि आखिर वह करे क्या। जहां तक सजा का सवाल है उन गाड़ियों में मैजिस्ट्रेट रख दिये गये। वे लोग जहां से गाड़ी चलती है वहां से टिकट वापसी ले सकते हैं, जहां चैक हुआ वहां से ले सकते हैं या जहां पर मुसाफिर सवार हुआ है वहां से ले सकते हैं। इस प्रकार से अधिकार देने से नतीजा यह होता है कि जो रेल के कर्मचारी को पैसा दे देता है उस को रेल के अधिकारी नहीं पकड़ते। मैं तो कहता हूं कि सरकार सख्ती जरूर करे। जो लोग गलती करते हैं उन के रास्ते में अगर आप रोड़े डालें तो मुझे खुशी होगी लेकिन उन के ऊपर आप जरा ढंग से रोक थाम कीजिये।

दूसरी बात हमारे प्रोफैसर साहब ने कही, मैं जरा उन से घबराता हूं। वे कहते हैं कि आखिर कौन लोग चेन खींचते हैं। मैं तो कहता हूं कि इस में ज्यादा कसूर रेलवे का नहीं है, ज्यादा कसूर हमारे प्रोफैसर साहब का है क्योंकि उन के जो विद्यार्थी हैं उन को उन्हों ने ठीक प्रकार से पढ़ाया नहीं और वे लोग रेल मंत्रालय को तंग करते हैं। मैं उन की इस बात से सहमत था जब वह बार बार कहते थे कि हमारे विद्या के मंत्री दूसरे मंत्री जी से बात कर रहे हैं इस के लिये ज्यादा जिम्मेदार हैं। मैं इसलिये सहमत था कि दरअस्ल काम ज्यादा शिक्षा मंत्रालय का है। वह अगर ठीक ढंग से कालेज को चलायें और प्रोफैसर साहब ठीक काम करें तो यह मसला ठीक तरह से हल हो सकता है। मैं तो कहुंगा कि इस के लिये स्कूल और कालेजों को कुछ माइक्रोफोन फ्री दिये जायें ताकि गाहे बगाहे बच्चों को लैक्चर दिये जा सकें। कि यह देश की रेल है और इस का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये।

श्री जगजीवन राम : वे यही कर रहे हैं।

चौ० रणवीर सिंह : उनको बताया जाय कि उसमें मुफ्त बैठना पाप है। लोगों को न मुफ्त उसमें बैठना चाहिये और न जंजीर ही खींचना चाहिये।

जहां तक दूध वालों का सवाल है मैं उनकी भी बात बतलाता हूं। मेरा इलाका सोनपत है और कुछ भाई जो मेरठ के हैं या दिल्ली के आसपास के हैं उनको, तजुर्बा है। सब जानते हैं कि दूधवालों के बिना टिकट आने से बहुत नुकसान होता है क्योंकि उस से रेलवे की आमदनी घटती है। इसका तजुर्बा किया गया और बात सही साबित हुई। जिस दिन इंस्पेक्टर गया उस दिन तो दूध का डब्बा काफी भर गया, लेकिन बाकी दिन में खाली आता है और उसमें दूध वाले दूसरे डिब्बों में भर कर आते हैं। लेकिन जब तक सारे महकमे वाले इस को न रोकना चाहें तब तक इसका सुधरना मुश्किल है। जब उनका भी हिस्सा दूध में लगता है तो कुदरती तौर पर वह क्यों चाहेंगे कि यह रुके। उनको क्या फर्क है ? उनको दूध मिलता है, सवारियां चढ़े या न चढ़े, गाड़ी खाली आती है या भरी, रेलवे की

आमदनी कम होती है या ज्यादा इसकी उन्हें परवाह नहीं । इस बिल के द्वारा कम से कम इन बातों का भी तो इन्तजाम होना चाहिये । अगर इसका इन्तजाम नहीं हो सकता तो इस कानून से क्या लाभ होगा ?

श्री म० ला० द्विवेदी : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस इंडियन रेलवेज़ (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ के सम्बन्ध में दो, चार बातें कहना चाहता हूं । पहले तो यह कि मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया और यह जो बिना टिकट सफ़र करने की कुप्रथा है वह इससे बंद हो जायगी । लेकिन इतना मैं ज़रूर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह बिल एकांगी है । हमने केवल उन लोगों के लिए क़ानूनी व्यवस्था की है जोकि बग़ैर टिकट चलते हैं लेकिन बहुतसे ऐसे और भी लोग हैं जोकि बग़ैर टिकट चलने में मदद पहुंचाते हैं । कर्मचारी खुद बग़ैर टिकट के चलते हैं । उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । अब रेलवे मजिस्ट्रेट्स इसलिये नियुक्त किये गये हैं कि वे बिना टिकट चलने वालों को सज़ा दिया करें लेकिन मैं जानता हूं कि रेलवे के मजिस्ट्रेट यह करते हैं कि वे टी० टीज़० और पुलिस वालों से कह देते हैं कि वे झांसी और मानिकपुर से चलने वाले तमाम बग़ैर टिकट चलने वालों को पकड़ कर झांसी लायें और वहां पर हम मुकदमा ट्राई करेंगे और वे यह दिखला देते हैं कि वे झांसी से मानिकपुर चले जबकि वह लखनऊ की यात्रा अपने ज़ाती काम के लिए करते हैं और उसी पास का वह इस्तैमाल करते हैं जोकि झांसी से मानिकपुर तक करना चाहिये । यह ठीक है कि उनको पूरे प्रदेश में टिकट चैक करने का अधिकार हासिल है लेकिन उनकी एक लाइन मुकर्रर होती है जिसमें कि उनको टिकट चैक करना होता है । दूसरी जगह यदि वे जायं तो उनको २५ रुपये मिलते हैं और वे दूसरी जगह अपनी लाइन छोड़ कर इसलिये जाते हैं ताकि उनको २५ रुपये का भत्ता मिल जाय । अब होता यह है कि पुलिस बग़ैर टिकट सफ़र करने वालों को पकड़ पकड़ कर झांसी बुला लेती है जहां पर कि हेडक्वार्टर होता है और वहीं पर वह मजिस्ट्रेट उनको सज़ा दे देते हैं । अब वे यात्री सज़ा भुगतने के बाद फिर बिना टिकट यात्रा करने को बाध्य होते हैं क्योंकि उनके पास यात्रा करने के लिये पैसा नहीं होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास में इसकी क्या व्यवस्था है ? आप अपने मजिस्ट्रेटों को यह आदेश क्यों नहीं देते कि वे स्वयं क्यों नहीं ट्रेन में यात्रा करते जिससे यह कठिनाई जो यात्रियों को उठानी पड़ती है न उठानी पड़े । अब होता यह है कि मजिस्ट्रेट साहब तो ट्रैविल करते नहीं वे तो हैडक्वार्टर में मौजूद रहते हैं और अगर कोई यात्री जल्दी या किसी अन्य कारण से टिकट नहीं ले पाया और वह टिकट चैकर को टिकट के दाम देना भी चाहता है तो टी० टी० कहता है कि मैं टिकट के दाम नहीं ले सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब का आदेश है कि तुम टिकटलैस ट्रैवलिंग के केसेज़ पकड़-पकड़ कर दो और हालांकि यात्री टिकट के पैसे देना चाहता है लेकिन उससे नहीं लिये जाते क्योंकि आख़िर मजिस्ट्रेट साहब को अपनी कारगुज़ारी तो दिखानी ठहरी और इस तरह टिकटलैस ट्रैवलिंग के केसेज़ की संख्या जो अधिक हो जायगी । यह तो मैं मजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं टी० टीज़० के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आपने सुना होगा कि दिल्ली से बम्बई तक एक जनता एक्सप्रेस चलाई गई थी । मुझे बतलाया गया कि वह रेलगाड़ी बन्द की जा रही है क्योंकि उसमें यात्री चलते ही नहीं हैं । एक बार मैं स्वयं उस ट्रेन से गया । एक स्टेशन पर मैंने अपने सामने ५० आदमी स्टेशन पर बैठे हुए देखे । उन्होंने टी० टी० से कहा कि हमें स्टेशन मास्टर दिखाई नहीं देता तो उन्होंने कहा कि तुम लोग गाड़ी पर बैठ जाओ और हर एक से उन्होंने ३, ३ रुपये वसूल कर लिये । उनमें से तीन व्यक्ति मेरे डिब्बे में भी बैठे थे । उनके डैस्टिनेशन से एक स्टेशन पेश्तर उनको १, १ टिकट मिल गया । दिये तो उन्होंने ३, ३ रुपये थे लेकिन उनको ६, ६ नये पैसों के टिकट दिये गये । मैंने जब उनसे पूछा कि भाई तुम लोगों ने दिये तो ३,३ रुपये फिर यह ६,६ नये पैसोंके टिकट कैसे लिये तो वे कहने लगे कि बाबूजी हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं फिर हम लोग बिना टिकट के पकड़े नहीं गये और

हमारा काम बन गया, अब ३ रुपये के बदले उन्होंने हमें ६ नये पैसों का टिकट दे दिया तो फिर क्या किया जाय। मैंने इसकी बाबत टी० टी० से दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं कौन टी० टी० था लेकिन दूसरे स्टेशन पर पांचों टी० टी० मेरे पास आये और मुझ से कहने लगे कि साहब हमसे गलती हो गई कसूर हो गया, हमें माफ कर दिया जाय। मैंने उस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी भी की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं कि वह ट्रेन इसलिये बद कर दी गई कि मुसाफिर नहीं चलते हैं जबकि हकीकत इसके विपरीत है। इस बात की जांच करने के लिये कि वाकई उस रेलगाड़ी में यात्री सफर करते हैं कि नहीं, कोई ऊंचा अधिकारी जांच करने के लिये तैनात कीजिये . . .

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवेज़ तो इस बिना पर इस बारे में अंदाज़ा लगाती है कि साल में उससे कितनी आमदनी होती है।

श्री म० ला० द्विवेदी : जी हां, आमदनी तो वह रेलवे के मुलाज़िम खा जाते हैं, रुपया वसूल कर लेते हैं गाड़ी पर चढ़ा देते हैं और उनको टिकट नहीं देते। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बनारस से लखनऊ तक एक बारात पूरे ४०० आदमियों की बगैर टिकट के आई। रेलवे प्रशासन के नोटिस में यह चीज़ लाई गई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वह बड़े लोगों की सुपरिनटेंडेंट या आई० जी० के वहां की बारात थी। ऐसे-ऐसे मैं आपको कितने ही केसेज़ बतला सकता हूं जहां कि इस किस्म की गड़बड़ की गई है।

तीसरी बात यह है कि हम टिकट लेकर मानिकपुर से झांसी के लिये रेल में बैठते हैं लेकिन मैं अपने ज़ाती अनुभव के आधार पर यह बतलाना चाहता हूं कि चित्रकूट के मेले में लाखों आदमी वहां पर पड़े रहते हैं और वहां पर जो रेलगाड़ी में धक्कममुक्का और रेलपेल होती है उससे भगवान ही बचाये। मैं जान बूझ कर थर्ड क्लास के एक डिब्बे में बैठा ताकि मुझे इसका ज़ाती अनुभव प्राप्त हो सके और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जहां उस डिब्बे में मेरे लिए कोई २ घन फुट का स्थान रहा होगा वहां पता नहीं कितने १०, १० घन फुट की जगह घेरने वाले लोग डिब्बे में एक दूसरे पर गिर पड़े और मैं ही जानता हूं कि उस वक्त उस डिब्बे में कैसी हालत हुई। मैं मरते-मरते बचा। मैं खुद जानता हूं कि दो आदमियों की तो जान चली गई और चार महिलाओं के हाथ पैर टूट गये। अब यह हालत हर साल चित्रकूट के मेले पर होती है। इस सम्बन्ध में यहां संसद् में प्रश्न भी पूछे गये और उस दुर्व्यवस्था की ओर रेलवे प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। उस लाइन पर इतना अधिक रश रहता है कि आये दिन एक न एक दुर्घटना हो जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था नहीं की जाती है। जो टिकट खरीदते हैं उनकी तो मुसीबत और जो बगैर टिकट चलते हैं वे भी निकल जाते हैं। इसलिये इस की उचित व्यवस्था होनी चाहिये और हर बार चित्रकूट के मेले के अवसर पर जो यह अप्रिय दृश्य उपस्थित होता है, कहीं मारपीट होती है, लोगों को चोटें लगती हैं और रेलवे की प्रापर्टी का वे लोग नुकसान करते हैं, कांच वगैरह तोड़ देते हैं, उसको रोकने की उचित व्यवस्था रेलवे प्रशासन को करनी चाहिए।

चौथी बात मैं यार्ड मास्टर्स के बारे में कहना चाहता हूं। अब होता यह है कि नार्दन रेलवे का यार्ड मास्टर दूसरी रेलवे की सेंट्रल रेलवे की रेलगाड़ी नहीं निकालते। गाड़ी के कानपुर पहुंचने का वक्त ८ बजे है लेकिन वे यार्ड पर ही गाड़ी रोक देते हैं और वे सिगनल ही नहीं देते हैं। इस बारे में हमने एक नहीं दसियों शिकायतें लिख लिखकर भेजीं कि यहां पर गाड़ी क्यों रोकी जाती है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बतलाया गया। मैं तो कहूंगा कि आप वहां पर एक स्टेशन ही बना दीजिये क्योंकि आज वहां पर १,५०,२०० मुसाफिर जो कि बिना टिकट के होते हैं उतर जाते हैं या उस गाड़ी का टाइम पहुंचने का देर का कर दीजिये। अभी वह गाड़ी आध-

आध घंटा यार्ड पर रुकी रहती है और जिसका कि नतीजा यह होता है कि दिल्ली आने वाली गाड़ी नहीं मिल पाती। पहले २५ मिनट का मार्जिन था अब केवल दस मिनट का मार्जिन कर दिया है। अपने दोस्तों को उतारने के लिये गाड़ी वहां पर रोक ली जाती है। इस तरह के अनेकों मामले हैं जिनमें कि रेलवे कर्मचारियों की शिकायतें हमें सुनने को मिलती हैं। मेरा कहना है कि आप ऐसे कर्मचारियों को सज़ा देने की क्यों कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। रेलवे प्रशासन ऐसे अपने रेलवे मुलाज़िमों के खिलाफ़ क्यों नहीं कार्यवाही करता जोकि वहां पर गाड़ी रुकवा लेते हैं और अपने रिश्तेदार और दोस्तों से जो कि विदआउट टिकट होते हैं उनको उतर जाने देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि साल के ३६५ दिन कानपुर के पास यार्ड पर झांसी से बांदा जाने वाली गाड़ियां क्यों रोकी जाती हैं? इस बारे में जो शिकायतें रेलवे मन्त्रालय के पास जाती हैं उनके बारे में क्यों नहीं उचित ध्यान दिया जाता और ज़रूरी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है।

मैंने देखा कि एक मुसाफिर की यह शिकायत थी कि टिकट कलक्टर ने उससे कहा कि उसकी बच्ची जोकि ११ महीने की थी उसका भी उसे आधा टिकट लेना पड़ेगा। अब वह बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था और उसको कहा गया कि वह १ रुपया ११ आने अदा करे। जब उसने मुझ से यह शिकायत की और कहा कि देखिये साहब कांग्रेस के राज्य में कैसी अंधेरगर्दी चलती है तो मैं लौट कर गया और मैंने जब कहा कि इस बच्ची का तुम ने कैसे आधा टिकट ले लिया यह तो केवल ११ महीने की है तो वह कहने लगा कि मैंने समझा कि यह तीन वर्ष की है। मज़ा यह कि रुपये तो उससे वसूल कर लिये लेकिन उसको १ रुपये ११ आने की कोई रसीद और टिकट भी नहीं दिया। ख़ैर मेरे बीच में पड़ने से उस मुसाफ़िर को वह पैसा वापिस मिल गया। इस बारे में शिकायत की गई लेकिन मुझे पता नहीं कि उसके खिलाफ़ क्या कार्यवाही हुई? मुझे उसकी कोई इत्तिला नहीं मिली। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह १ रुपये ११ आने की कोई अकेली घटना नहीं है बल्कि इस तरह की चीज़ें रोज़ाना होती रहती हैं। मेरा सुझाव है कि इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए आप पालिया-मेंट के मेम्बरों को अधिकार दीजिये कि वे एसे ख़तावार कर्मचारियों को पकड़ें और उनको समुचित दंड दिलवा सकें। अब आप समझ सकते है कि जब वे लोग जिनपर कि रेलवे में टिकटलैस ट्रैवलिंग और अन्य अपराधों को पकड़ने की जिम्मेदारी होती है, जब वे ही इस तरह के अपराध करने लग जायें तब क्या हालत बनेगी? मैं इसके लिए यह सुझाव देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स को ही नहीं आप पैसेंजर्स को भी इस का अधिकार दीजिये कि वे कर्मचारियों की ऐसी गड़बड़ियों को पकड़ सकें और उनको दंड दिलवा सकें।

जहां तक इस बिल की मंशा का ताल्लुक़ है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन आज जो आपके रेलव कर्मचारियों में अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता आ रही है और वे स्वयं टिकटलैस ट्रैवलिंग और अन्य अपराधों में इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, उनको ठीक करने की समुचित व्यवस्था करें और ज़रूरी क़दम उठायें।

आप दिल्ली, इलाहाबाद और आगरे आदि बड़े बड़े नगरों में बड़े-बड़े आलीशान स्टेशन बनाते हैं और लाखों रुपये खर्च करते हैं लेकिन आपका ध्यान मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है उन एरियाज़ की तरफ़ नहीं जाता जहां कि गेहूं पैदा होता है और जहां कि लोग चाहते हैं कि वहां पर रेलवे स्टेशन बन। आप उन एरियाज़ में रेलवे लाइन्स बनाइये जहां कि अभी रेलों की सुविधा नहीं है और जहां कि उनकी बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही है लेकिन हमने देखा है कि जहां के लोग खुशामद कर लेते हैं उनके वहां रेलवे लाइन बना दी जाती है। यह बात मैं वर्तमान रेलवे मंत्री महोदय के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन उनके वहां पर ऐसा होता रहा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उनके उस आश्वासन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने उन एरियाज़ में जहां कि रेलवे लाइंस नहीं हैं, रेलवे लाइंस बनाने को कहा था।

श्री पद्म देव (चम्बा) : अध्यक्ष महोदय, खेत को बाड़ की जरूरत तब होती है जब जानवर खेत को खाने लगते हैं, घर को ताला तब लगाया जाता है जब ज्यादा चोर हो जाते हैं। इस समय जो यह संशोधक विधेयक मंत्री महोदय लाये हैं इसको लाने में बहुत देरी हो गयी है, इसको तो कुछ सालों पहले ही आना चाहिए था। इसके पहले न आने के कारण दो बातों से बड़ी-बड़ी हानि देश को हुई है। एक तो आर्थिक हानि है जोकि बरदाश्त की जा सकती है। लेकिन दूसरी हानि जो हुई है वह नैतिक पतन है। लोगों को यह हौसला हो गया है कि बिना टिकट चला जा सकता है, बिना टिकट सामान ले जाया जा सकता है, बिना टिकट सरकारी कर्मचारियों को दो चार रुपये का प्रलोभन देकर देश के साथ गद्दारी की जा सकती है। इस तरह का जो नैतिक पतन हुआ है इसका किफारा कभी भी मंत्री महोदय या प्रशासन नहीं कर सकेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो बातें देश के अन्दर बहुत ज्यादा बढ़ी हैं जिनको कि यह माननीय सदन भी शायद स्वीकार करेगा, एक तो अनुशासनहीनता और दूसरे अकर्मण्यता। अकर्मण्यता के कारण लोगों के अन्दर परोपजीविता का भाव बढ़ गया है। जिसके कारण रिश्वतखोरी और सारे किस्म के जितने पाप हैं वे अपने यहां पर आ गये हैं। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बिल का इसलिए विरोध किया है कि चूंकि रेलवे कर्मचारियों के अन्दर भ्रष्टाचार है इसलिए दूसरे लोगों को भी इसके लिए नहीं रोकना चाहिए। मेरा अपना खयाल यह है कि हम लोग इस किस्म के पाप को सहन करने के आदी बन चुके हैं। हमारे सामने जो बातें होती हैं हम उनको चुपचाप देखते रहते हैं। और अपनी सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं दिलाते। इसका बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। मैं आपको रेलवे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण बता सकता हूं। परन्तु यदि किसी कर्मचारी ने दो लाख रुपया रिश्वत से कमाया और यदि उस पर मुकदमा चला और उस में से एक लाख रुपया खर्च हो गया, पर फिर भी उसके पास एक लाख बच रहा जो कि वह अपनी कम तनख्वाह में कभी जमा नहीं कर सकता था। लेकिन अगर कोई यह कहे कि क्योंकि एक आदमी अंधा है इसलिये मेरा कानापन भी छिप जायगा यह गलत है।

इस समय जो यह विधेयक लाया गया है यह बहुत जरूरी था। इस सदन के अन्दर अनेक बार बजट के अवसर पर और वैसे भी भाषण दिये गये हैं और प्रश्न किये गये हैं कि लोग बिना टिकट चलते हैं जिसके लिए सरकार कुछ नहीं करती। अगर यह बिल आज आया है तो हम इसका विरोध करते हैं। यह विचारणीय है कि हम इस किस्म की बात क्यों करते हैं। यहां पर कहा गया है कि पहले हमको लोगों को लेक्चर देना चाहिए ताकि उनमें यह भावना उत्पन्न हो कि मफ्त में नहीं चलना चाहिये। पर मेरे खयाल में मनुष्य की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि वह नीचे की तरफ सुगमता से जाता है और उसके लिए ऊपर चलना कठिन होता है। अगर वह यह देखता है कि जो पांच रुपया मुझे खर्च करना पड़ेगा वह बच सकता है तो वह उसे बचाने की तरफ आसानी से चला जाता है बनिस्बत यह सोचने के कि अगर मैं यह पांच रुपया खर्च कर दूंगा तो इससे देश की सेवा होगी और मेरी आत्मा का भी हित होगा। इसलिए मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जो यह बिल लाये हैं वह बहुत जरूरी था।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय ने एक सुझाव दिया था। अगर उस विषय का इस वक्त कोई संशोधन लाना सम्भव न हो तो आयन्दा मंत्री महोदय ऐसा संशोधन लाने पर विचार करें।

यहां पर एक महोदय ने कहा कि कभी कभी लोग बेबसी में बिना टिकट चलते हैं। मैं कहता हूं कि जब आदमी अपने घर से चलता है तो वह सोच कर ही चलता है। वह पागल तो नहीं है कि बिना सोचे ही चल दे। और जब वह चलने के इरादे से आता है तो उसको यह भी मालूम होता है कि मेरा इतना पैसा लगेगा। यह कह देना कि उनको इसका पता नहीं रहता यह गलत बात होगी।

म समझता हूं कि अगर शासन के अन्दर अनुशासन के लिये प्यार नहीं है तो वह शासन कभी चल नहीं सकता। आज हम देखते हैं कि देश में लोग नाराज इस बात पर नही होते हैं कि फलां व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, बल्कि आज झगड़ा यह है कि दूसरा आदमी मुझ से भ्रष्टाचार करके कैसे आगे बढ़ गया। इसलिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि वह यह विधेयक लायें। लेकिन मैं एक बात सुझाव के तौर पर ज़रूर कह देना चाहता हूं। वह यह कि इस सदन में बहुत कानून बनते हैं। कानून बनने के बाद एक मशीनरी बनती है उसको कार्यान्वित करन के लिए और जब उसके अनुसार काम शुरू होता है तो कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि भ्रष्टाचार का एक और अड्डा हमने खड़ा कर दिया है। तो जब यह कानून लागू होगा तो इसके लिए भी एक मशीनरी बनेगी। सदन में भी यह विचार व्यक्त किया गया है कि कानून तो सख्त से सख्त हो लेकिन जो कानून को चलाने वाले हैं उन पर भी कोई नियंत्रण होना चाहिय ताकि वे अन्यथा आचरण न करें। आज देश के अन्दर जो लोगों में रोष है वह इसी कारण है कि जो खेत के रखवाले हैं वही खुद खेत का बरबाद कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में खेत की रक्षा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री शाहनवाज खां**: मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। कई माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि अपने प्रारम्भिक भाषण में मैंने उन आंकड़ों को नहीं रखा जिनसे विधेयक का पुरस्थापन न्यायोचित ठहराया जा सके। मैंने आंकड़े प्रस्तुत करना इस कारण ठीक नहीं समझा कि सभा ने समय-समय पर बिना टिकट यात्रा करने, खतरे की जंजीर खींचे जाने और रेलवे अधिकारियों पर हमले किये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में मुझे सभा की भावना ज्ञात है इसी कारण मैं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि इन बातों के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत किये जायें। अब क्योंकि यह प्रश्न उठ गया है मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य सभा के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।

सब से पहले मैं रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाल तथा उनसे वसूल किये जाने वाले किराये तथा अतिरिक्त किराये की रकम को लेता हूं। १९५६–५७ में बिना टिकट यात्रा करते हुये कुल ७३,५३,३४० यात्री पकड़े गये। उनसे अतिरिक्त किराये इत्यादि की जो कुल रकम वसूल हुई वह १,५८,००,००० रुपये से भी अधिक थी। १९५७–५८ म कुल ६२,७९,००० यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुये पकड़े गये और उनसे कुल १,४२,००,००० रुपये वसूल किये गये। १९५८–५९ में दिसम्बर के महीने तक बिना टिकट यात्रा करने पर कुल ४१,३२,५७१ यात्री पकड़े गये और उनसे कुल १,३४,८५,८१० रुपये वसूल किये गये। इससे ज्ञात होता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारी रेलों में बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े जाते हैं। तथापि इनसे भी अधिक संख्या उन व्यक्तियों की है जो पकड़े ही नहीं जाते हैं। इसे रोकने के लिये हम कई प्रकार की तरकीबें काम में लाते हैं। स्टेशन के फाटकों पर टिकट कलक्टर खड़े रहते हैं। चलती गाड़ियों पर टी० टी० ई० सफर करते हैं। इसके अलावा चलती गाड़ियों में टिकट कलेक्टरों के दल सफर करते हैं और रेलवे मजिस्ट्रेट भी इस सम्बन्ध में कार्य करते हैं। उक्त सभी प्रकार के तरीकों की कुशलता जानने के लिये हमारे यहां रेलवे बोर्ड के विशेष दल होते हैं जो कि कुछ रेलों में नमूने के तौर पर निरीक्षण करते हैं। उनके द्वारा पता लगाये गये आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि बिना टिकट सफर करने से रेलवे को प्रति वर्ष लगभग ५ करोड़ रुपयों की हानि होती है। इससे यह न्यायोचित सिद्ध होता है कि हम इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करें जो इस बुराई को कुछ हद तक रोकने में समर्थ हो। मुझे यह भी ज्ञात है कि बिना टिकट यात्रा करने की बुराई कुछ हद तक इस कारण भी है कि रेलवे के कर्मचारी इन लोगों से

†मूल अंग्रेजी में

मिले रहते हैं। वस्तुतः हम उन रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भी गम्भीर कार्यवाही कर रहे हैं जो इस बुराई को प्रोत्साहन देते हैं। तथापि कुछ टिकट कलक्टर ईमानदार भी होते हैं उदारहणार्थ यदि कोई ईमानदार टिकट कलक्टर बिना टिकट वाले किसी यात्री को पकड़ने का प्रयत्न करता है और उस पर छः या सात आदमी हमला कर देते हैं, ऐसे कई मौकों पर जनता की सहानुभूति उस रेलवे कर्मचारी के साथ नहीं रहती है अपितु बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति या जंजीर खींचने वाले व्यक्ति पर होती है। सभा को वह घटना ज्ञात है जबकि एक रेलवे मजिस्ट्रेट को उसके डिब्बे में बन्द कर दिया गया था। घटना इस प्रकार हुई कि एक विद्यार्थी तीसरे दर्जे का टिकट लेकर पहिले दर्जे में सफर कर रहा था, जब उससे अतिरिक्त जुर्माना देने को कहा गया तो डिब्बे के सम्मुख बड़ी भीड़ जमा हो गई और पुलिस के दल वालों को पीटा गया। मजिस्ट्रेट को उसके डिब्बे से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया और केवल राज्य पुलिस की सहायता से ही उसको बाहर निकालना सम्भव हो सका। वस्तुतः बिना जनता के सहयोग के रेलवे प्रशासन के लिये इन नये अधिनियमों और कानूनों को लागू करना बहुत कठिन हो जायेगा। अपनी ओर से भी हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे कर्मचारी उचित तरीके से व्यवहार करें तथापि बिना जनता के सहयोग के हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है।

इसी सम्बन्ध में मैं अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान में होने वाली घटनायें भी आप के सम्मुख रखना चाहता हूं। विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में बिना टिकट यात्रा खूब चलती थी। रेलवे कर्मचारी उनसे टिकट के सम्बन्ध में पूछने से भी डरते थे। उस समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल श्री जिन्ना ने यह अपील प्रसारित की कि यदि बिना टिकट यात्रा करने की यही स्थिति जारी रही तो पाकिस्तान की सारी अर्थ व्यवस्था भंग हो जायेगी। इस स्थिति का तत्काल प्रभाव हुआ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और सारी स्थिति सुधर गई। यात्रियों ने स्वयं बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ना शुरू किया और उन्हें स्टेशन मास्टर के हवाले कर दिया। इस कार्य के लिये हम संसद् सदस्यों और जनता के लोकप्रिय नेताओं के सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं।

जहां तक विद्यार्थियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने का प्रश्न है, हम इस सम्बन्ध में शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि इसके उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं तथापि इस सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम आशा करते हैं कि हमारी शिक्षा संस्थायें हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगी। सदस्यों ने ऐसे उदाहरण दिये हैं जहां कि ऐसे रेलवे कर्मचारियों को जिन्होंने इस बुराई को रोकने का प्रयत्न किया, उन्हें रेलवे प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग प्रदान नहीं किया गया। यह बात सही नहीं है। रेलवे प्रशासन के ऐसे अनुदेश हैं कि ऐसे कर्मचारियों को पूरा पूरा सहयोग प्रदान किया जाय। हम कर्तव्य परायण व्यक्तियों को पुरस्कार या पारितोषिक इत्यादि देकर उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के भी उदाहरण हैं जिन्होंने इन सब विपत्तियों के बावजूद भी अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। आप लोगों को अभी हाल गया में हुई एक घटना ज्ञात होगी। एक बारात जिसमें लगभग ४० व्यक्ति थे, स्टेशन में आई। जब उनसे टिकट दिखाने को कहा गया तो उनका मुखिया बोला कि सब से अन्तिम व्यक्ति के पास टिकट है। तब उनमें से एक व्यक्ति बाहर आया और वह प्लेटफार्म से टिकट खरीदकर बारातियों को बांटने लगा। जब रेलवे कर्मचारी ने इस पर आपत्ति की तो रेलवे कर्मचारियों पर हमला किया गया। किसी प्रकार वहां के कर्मचारी अपनी रक्षा करने और उनमें से तीन या चार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में समर्थ हो गये। इसी प्रकार की एक अन्य घटना पंजाब के सरहिन्द नामक स्थान पर हुई। जब कि टिकट कलक्टर ने एक यात्री से जिसके पास टिकट नहीं था टिकट दिखाने को कहा। उस यात्री ने कहा कि यदि वह टिकट नहीं दिखायेगा तो वह क्या करेगा। इस पर उस कर्मचारी ने कहा कि

वह उसे पुलिस के हवाले करेगा । इस पर उस व्यक्ति ने छुरा निकाल कर उस कर्मचारी के घुसेड़ दिया और वह कर्मचारी तत्काल मर गया । मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि जनता से सहयोग प्राप्त न होने पर भी रेलवे कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्य का दृढ़ता से पालन किया है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरहिंद में मारे गये कर्मचारी के आश्रितों को कुछ प्रतिकर दिया गया ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मामले पर विचार किया जा रहा है, तथापि जहां आश्रित इत्यादि का प्रश्न होता है वहां उन्हें रेलवे में नौकरियां अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रोत्साहन दिये जाते हैं । अपना कर्तव्य करते हुये मर जाने वाले व्यक्तियों को पूरा-पूरा प्रतिकर दिया जाता है । इसके अलावा कुछ विशेष इनाम भी दिये जाते हैं ।

अब मैं बिना टिकट यात्रा करने वालों के दूसरे वर्ग को लेता हूं । रेलवे मंत्री जी को प्रति मास ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें विवशता से बिना टिकट यात्रा करनी पड़ी, उनके मनीआर्डर या चैक प्राप्त होते हैं । घर पहुंच कर वे लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं और मनीआर्डर या चैक भेज देते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि रेलवे ने समाज शिक्षा के प्रश्न को अपने हाथों में लेना चाहिये । निःसंदेह हम इस प्रश्न के महत्व को समझते हैं । रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने, खतरे की जंजीर खींचने और बिना टिकट यात्रा करने सम्बन्धी कुछ फिल्में बनाई गई हैं । वस्तुतः श्री दी० चं० शर्मा ने जिन बातों का सुझाव दिया है हम उन बातों को पहिले से ही कर रहे हैं ।

अब मैं खतरे की जंजीर खींचने के प्रश्न को लेता हूं । १९५६ में ४१,८४६ बार जंजीर खींची गई । १९५७ में जंजीर खींचने के ४६,४५३ मामले हुये । १९५८ में जनवरी से अक्टूबर तक जंजीर खींचने के कुल ४४,७४५ मामले हुये । सारी सावधानियां बरतने के बावजूद भी खतरे की जंजीर खींचने की वारदातों में वृद्धि हो रही है । सदस्यों को ज्ञात है जहां इस प्रकार की वारदातें बहुत होती थीं वहां हमने जंजीर खींचने के यंत्र को ही हटा दिया है । इस समय मेरे पास उन मामलों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं जिनमें खतरे की जंजीर खींचने पर मुकदमा चलाया गया था तथापि जिन मामलों में जंजीर खींचना न्यायोचित ठहराया गया था ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है ।

अब मैं अनाधिकृत रूप से खोमचे लगाने और सौदा बेचने के प्रश्न को लेता हूं । यह बुराई विभाजन के बाद से पश्चिमी बंगाल और बम्बई के आसपास बहुत फैल गई है । यद्यपि हमने इस बुराई को रोकने का बहुत प्रयत्न किया है तथापि पर्याप्त शक्तियां न रहने के कारण हम इसे रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाये हैं । हमें आशा है कि इस विधेयक के लागू होने से हम इस बुराई का प्रभावशाली तरीके से निराकरण करने में सफल हो सकेंगे । हम यथासम्भव इन अनाधिकृत खोमचे वालों और सौदा बेचने वालों को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं । तथापि उनकी संख्या बहुत अधिक है और उन्हें पकड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है । फिर भी बहुत से ऐसे खोमचे वाले पकड़े गये हैं । १९५७ के प्रथम नौ महीनों में प्रत्येक तिमाही में अनाधिकृत रूप से खोमचा लगाने में क्रमशः ६,४२९, ५,९६६ और ७,३०३ व्यक्ति पकड़े गये । वस्तुतः हम इस बुराई का सामना करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं हमें आशा है कि अधिनियम में दी गई अतिरिक्त शक्तियों से हम इस बुराई का प्रभावशाली तरीके से सामना करने में समर्थ हो सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ (धारा ४० का संशोधन)

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : खण्ड २ के सम्बन्ध में मैं दो-एक बातें कहना चाहता हूं । इस विधेयक द्वारा धारा ४० में "प्रेसीडेंट" शब्द के स्थान पर "चेयरमैन" रखा जा रहा है । पर इसी अधिनियम की धारा ३४ में भी प्रेसीडेंट शब्द का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार धारा ४० में तो प्रेसीडेण्ट शब्द के स्थान पर चेयरमैन शब्द रखा जा रहा है पर धारा ३४ में प्रेसीडेण्ट शब्द वैसे ही रहेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कहना ठीक है । धारा ३४ और ४० दोनों का संशोधन किया जाना चाहिये ।

†**श्री शाहनवाज खां** : धारा ३४ का संशोधन अक्तूबर १९५७ में कर दिया गया था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो ठीक है, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ (धारा ६८ का संशोधन)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं । यदि कोई सद्भावनापूर्ण यात्री किसी कारण से टिकट खरीद नहीं पाता, तो वर्तमान प्रणाली यह है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी उसे कोई प्रमाण पत्र नहीं देता । मैं चाहता हूं कि इसमें यह व्यवस्था कर दी जाये कि यदि यात्री गाड़ी छूटने से पहले गार्ड को सूचित कर दे और गार्ड टिकट इक्जामिनर से कह कर यात्री से किराया दिलवा कर उस का टिकट बना दे तो यात्री को कुछ कष्ट न हो । यदि माननीय मंत्री यह बतायें कि इस प्रकार की स्थिति में यात्रियों को प्रमाण पत्र दिये जाते हैं और यात्रियों से किराया लेकर उन्हें रसीद दी जाती है, तो मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करूंगा ।

†**श्री शाहनवाज खां** : गार्ड को प्रमाणपत्र देने का अधिकार होता है और वह प्रमाणपत्र देता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि यह उपबन्ध है अतः संशोधन पर आग्रह नहीं किया जाता है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ४ (धारा १०८ का संशोधन)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं जो खतरे की जंजीर खींचने के सम्बन्ध में है ।

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं । संचार के साधनों में "खतरे की जंजीर" को भी सम्मिलित करना अधिक उपयुक्त होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य समझते हैं कि संचार के साधनों में खतरे की जंजीर सम्मिलित नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : इसे और स्पष्ट करने के लिये मैं ने अपना संशोधन दिया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं आपकी इजाजत से माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह जंजीर खींचने के जो सही मामले थे उन में से कितनों में मुकदमा चलाया गया और आप केवल सजा बढ़ाने से इन घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं जब कि इस किस्म के अपराधों पर मुकदमे नहीं चलाये गये ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मुकदमे तो काफी चलाये गये हैं लेकिन बदकिस्मती से उस संबंध में जो फीगर्स और आंकड़े हैं, वे मेरे पास मौजूद नहीं हैं लेकिन मुकदमे काफी चलाये गये ।

मुझे खेद है कि मैं श्री भरूचा के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । विधेयक में उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के या बिना समुचित कारण के खतरे की जंजीर खींचेगा तो उस को तीन महीने तक की सजा या २५० रु० तक जुर्माने का दण्ड दिया जा सकेगा । मेरे मित्र का संशोधन यह कहता है कि इस बात को सिद्ध करने की जिम्मेदारी रेलवे पर होगी । पर यह उत्तर-दायित्व उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से होना चाहिये जो जंजीर खींचता है । उसे सिद्ध करना होगा कि समचित कारण के आधार पर उस ने जंजीर खींची है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ और ५ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ (धारा १०९ का संशोधन)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं । धारा १०९ में कहा गया है कि किसी डिब्बे में जितने व्यक्तियों के बैठने की जगह होगी उतने व्यक्तियों की पूर्ति हो जाने पर यदि कोई यात्री उस डिब्बे में घुसेगा और रेलवे कर्मचारी के कहने पर भी डिब्बे से बाहर नहीं जायेगा तो उस पर २० रु० तक जुर्माना किया जा सकेगा । धारा ६३ में कहा गया है कि प्रत्येक डिब्बे में बैठने वालों की संख्या डिब्बे के भीतर या बाहर लिखी होनी चाहिये ।

कानून की दृष्टि से यह उपबन्ध ठीक है । पर हम जानते हैं कि हमारे पास गाड़ियों व डिब्बों का अभाव है । क्या माननीय मंत्री चाहते हैं कि कोई यात्री, जो पूर्ण रूप से भरे डिब्बे में जायेगा और रेलवे कर्मचारी के कहने के बाद भी डिब्बा नहीं छोड़ेगा, दण्डित किया जाये । मैं जानता हूं कि बिना टिकट यात्रा को रोकने, अनधिकृत कब्जाधारियों तथा भिखारियों को रोकने के लिये माननीय मंत्री रेलवे

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों को अधिकाधिक अधिकार दे रहे हैं। पर क्या सच्चे यात्री को भी आप दण्ड देंगे यदि वह किसी पूरी तरह भरे डिब्बे में घुस जाता है।

†**श्री शाहनवाज खां** : संशोधन से कोई लाभ नहीं होगा। विद्यमान धारा ठीक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की कठिनाई का मैं अनुभव कर रहा हूं। मान लीजिये डिब्बे की क्षमता १०० व्यक्तियों की है और एक व्यक्ति और घुस आता है तो क्या आप उस व्यक्ति को निकाल देंगे और दण्ड देंगे ? जब हम जानते हैं कि गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ होती है तो हम इस उपबन्ध को कैसे लागू कर सकेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इस बात पर विचार करूंगा। वैसे तो यह उपबन्ध विद्यमान है। केवल सुरक्षित स्थानों व सुरक्षित बर्थों के सम्बन्ध में यह संशोधन किया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि इस उपबन्ध पर विचार किया जाये और जब हम जानते हैं कि आगामी कुछ वर्षों तक भी गाड़ियों में खूब भीड़ हुआ करेगी तो हम इस उपबन्ध को कैसे रख सकते हैं। माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें। मैं इस खण्ड को स्थगित कर देता हूं। अब हम खण्ड ६ को लेंगे।

खण्ड ६ (धारा ११२ का संशोधन)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि यदि यात्री बिना टिकट लिये यात्रा करता है और पकड़े जाने पर भाड़ा देने को तैयार है तो उससे पूरा भाड़ा तथा ५० नया पैसा जुर्माना लिया जाये न कि दूना भाड़ा जैसा कि इस उपबन्ध द्वारा किया जा रहा है। ऐसा भी देखा गया है कि यात्री रेलवे अधिकारियों को सूचित करने के बाद बिना टिकट लिये यात्रा करता है पर किन्हीं कारणों से गार्ड का प्रमाणपत्र नहीं ले पाता, तो बेचारे को दूना किराया देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ५० नये पैसे का जुर्माना पर्याप्त होगा।

†**श्री शाहनवाज खां** : धारा ११३(३) में कहा गया है कि धोका देने की नियत से बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जायेगा। यह उपबन्ध ऐसे ही यात्रियों के लिये है जो रेलवे प्रशासन को धोका देने की नियत से बिना टिकट यात्रा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७ से ९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १० पर कोई संशोधन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ११ (धारा १२१ का संशोधन)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री तंगामणि** : अभी कल एक तारांकित प्रश्न संख्या १२१ के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया था कि इंजन चालकों पर हुए आक्रमण की कुछ घटनायें हुई हैं । अतः मेरा निवेदन है कि स्थिति को संभालने के लिये मंत्रालय को अधिकार अवश्य दिये जायें । श्री भरूचा का संशोधन स्वीकार कर लेना अधिक उचित होगा ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं श्री भरूचा का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । "रेलवे कर्मचारी के काम में जानबूझ कर बाधा या रुकावट पहुंचाना" और "रेलवे कर्मचारी के काम में जानबूझ कर बल का प्रयोग कर के बाधा पहुंचाना" इन दोनों का अन्तर स्पष्ट नहीं है । संविधि में अधिकतम दण्ड की व्यवस्था है । अपराधी की नियत क्या थी, इस का निर्णय न्यायालय करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम)

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति ४,—

["1958" (१९५८)] के स्थान पर ["1959" (१९५९)] रखा जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि

पृष्ठ १ पंक्ति ४,—

["1958" (१९५८)] के स्थान पर ["1959" (१९५९)] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ५ अभी शेष है ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं रेलवे अधिनियम की धारा १०२ का उल्लेख करने जा रहा था जो कि धारा १०९ के अनुरूप है । वह इस प्रकार है कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी किसी यात्री को ऐसे किसी

---

†मूल अंग्रेजी में

डिब्बे में घुसने के लिये बाध्य करता है, प्रयत्न करता है या घुसाता है, जिस में क्षमता पूरी हो चुकी है, तो उसे २० रु० तक जुर्माना किया जा सकेगा ।

मैं समझता हूं कि ये दोनों उपबन्ध रेलवे अधिनियम में है । उच्च श्रेणियों के लिये यह उपयोगी होगा; तीसरी श्रेणी के लिये नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : रेलवे कर्मचारी बाध्य न भी करे; वह केवल पास में खड़ा रहता है और यात्री डिब्बे में घुस जाता है । इस प्रकार रेलवे कर्मचारी तो अपने को दण्ड से बचा सकता है पर यात्री का क्या होगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : वर्तमान स्थिति यही है । यदि डिब्बे के भीतर बैठे यात्रियों तथा बाहर से प्रवेश करने वाले यात्रियों की सांठगांठ से ऐसा होता है तो उस का ध्यान नहीं दिया गया है । हमें मान लेना चाहिये कि इस समय ऐसा ही हो रहा है । उच्च श्रेणियों के सम्बन्ध में यदि यह उपबन्ध नहीं होगा तो कुछ कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप यह कहते हैं कि गाड़ियों की अधिक भीड़भाड़ अभी समाप्त नहीं की जा सकती । यदि कोई यात्री प्रवेश करना चाहता है और अन्य यात्री उसे रोकते हैं तो क्या स्थिति होगी क्या घुसने का प्रयत्न करने वाला यात्री धारा १०९ के अधीन अपराधी नहीं है ।

†**श्री जगजीवन राम** : इस अधिनियम के अधीन वह अपराधी है । इस समय डिब्बे के भीतर वाले तथा बाहर के यात्रियों की सांठगांठ से यह होता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दोनों बातें नहीं हो सकतीं । एक ओर तो आप भीड़भाड़ कम नहीं कर सकते, दूसरी ओर इस धारा को भी रख रहे हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जब तक तीनों श्रेणियों के डिब्बों में बैठने के स्थान की पर्याप्त व्यवस्था न हो जाये तब तक ऐसी व्यवस्था करना समुचित नहीं है ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैंने जो कुछ कहा है उस से अधिक मुझे कुछ भी नहीं कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १,—

["Ninth year" (नवें वर्ष)] के स्थान पर ["Tenth year" (दसवें वर्ष)] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में काफ़ी सदस्यों ने इस बिल की मुखालिफ़त भी की है और कुछ ने इस का स्वागत भी किया है। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास करने में माननीय मंत्री जी का जो मकसद है, वह पूरा नहीं होगा। उस की वजह यह है कि आज ओवर-क्राउडिंग बढ़ती जा रही है और वह बार बार इस सदन में और उसके बाहर भी यही कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है कि हम इस का उचित हल निकाल सकें। जहां तक टिकटलैस ट्रैवलिंग का ताल्लुक है, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ट्रेन्ज़ इतनी क्राउडिड होती हैं कि किसी टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर की मजाल नहीं हैं कि वह थर्ड क्लास के डिब्बे में चला जाये। पहले मुमकिन है कि वे खिड़कियों के रास्ते जा सकते हों, लेकिन अब वहां शीशे लग गये हैं। इस हालत में कोई चैकिंग नहीं हो सकती है कि लोग कितने बिना टिकट के सफ़र करते हैं। जब लोग स्टेशन पर उतरते हैं, तो कुछ गेट ऐसे बने हैं, जिन से बिना टिकट सफ़र करने वाले निकल सकते हैं। कानपुर में भी एक ऐसा गेट है, जिस को लक्ष्मी गेट कहा जाता है। कि जो लक्ष्मी को घर में लाना चाहते हैं, उन को हमारे कर्मचारी भाई उस गेट से निकाल देते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बिल पर अब थर्ड रीडिंग चल रही है। हमें सोचना यह है कि इस कानून को पास करने से क्या लोगों के नैतिक स्तर को हम ऊंचा उठा सकेंगे? आप यहां पर २५० रुपये फाइन रख रहे हैं, मैं कहता हूं अगर आप ५०० रुपये फाइन भी रख दें और उसके साथ साथ इस तरीके से ओवरक्राउडिंग चलता रहे, इसी तरह से लेट रनिंग आफ ट्रेंस चलती रहे, तो कोई भी मकसद हासिल नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों में यह लिखा रहता है कि रेलें राष्ट्रीय सम्पत्ति है इस लिये इनकी रक्षा करना आपका फ़र्ज है, आप चाहें जैसे बैठें, चाहे पायदान पर खड़े रहें, छत पर सवार हो कर सफर करें, अगर बैठने की जगह न मिले तो बक्से पर बैठ जायें, लेकिन सोच लीजिये कि ये राष्ट्रीय सम्पत्ति है, देश आपका है, गाड़ी आपकी है, जान आपकी है और आपके हाथ में रहेगी और अगर न रहे तो दूसरी बात है । मैं समझता हूं कि इस तरह से लिखने से कुछ लाभ नहीं है । मैं समझता हूं इसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था होनी चाहिये और ऐसा भी कानून बनाया जाना चाहिये कि जिस गाड़ी में जितने पैसेंजर्स के बैठने की बात लिखी रहती है उतने उसमें बैठें और उनको यह भरोसा होना चाहिये कि उनको बैठने की जगह मिल जायेगी । आज मैं देखता हूं कि जिस डिब्बे में २४ मुसाफिरों के बैठने की बात लिखी रहती है उसमें ७४ आदमी बैठ कर या खड़े हो कर या किसी और तरह से सफर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि अगर मैं यह कहूं कि यह ब्लैकमार्किटिंग नहीं है तो और क्या है, आप मुझे क्षमा करेंगे । २४ आदमियों के बैठने की जगह होती हैं और ७४ आदमियों से पैसा लिया जाता है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उसी के लिये तो कानून बन रहा है ।

श्री स० म० बनर्जी : इस कानून में भी एक ऐसा लैकूना है जिस को दूर किया जाना आवश्यक है और मुम्किन है आपको फिर इसमें तरमीम करनी पड़े ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ब्लैकमार्किटिंग करने वाला खुद भी कहता है कि मैं ब्लैक-मार्किटिंग कर रहा हूं ।

श्री स० म० बनर्जी : यही तो उपाध्यक्ष महोदय, देश का दुर्भाग्य है कि हम खुद ब्लैकमार्किटिंग करते हैं ।

दूसरी बात मैं चेन पुलिंग और लेट रनिंग आफ ट्रेंस के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी मेहरबानी करके कानपुर के स्टेशन को जा करके देखा है । जब वह वहां गये तो मैंने उनको दिखाया कि कौन सा जयहिन्द स्टेशन है । मैंने उनसे कहा था कि कानपुर जैसे बड़े शहर के लिये केवल एक ही स्टेशन है । वहां पर से गाड़ी आती है, हजारों की तादाद में लोग उतरते हैं और वहीं पर लेट गाड़ियां भी पहुंचती है और लेट छूटती भी हैं । वहां ९० परसेंट नहीं ९९ परसेंट लोग टिकट के साथ सफर करते हैं । हमारे मंत्री महोदय ने साइट को देखा और महसूस किया और आश्चर्य भी प्रकट किया कि यहां पर केवल एक ही स्टेशन है जब कि आगरा जैसे शहर के लिये जहां की आबादी कानपुर की आबादी से कम है, चार और पांच स्टेशन हैं । उन्होंने कहा कि उन्हें इस चीज़ का पता भी नहीं था कि यहां यह हालत है । तो मैं कहना चाहता हूं जब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, जब तक ओवरक्राउडिंग चलता रहेगा, तब तक चेन पुलिंग भी होता रहेगा, हालांकि मैं इसको बहुत बुरा समझता हूं ।

हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने एक सुझाव दिया कि एक अपील होनी चाहिय और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं । अगर मुहम्मद अली जिन्ना साहब की अपील का लोगों पर असर पड़ सकता है और लोग उनका स्वागत कर सकते हैं तो हमारे हर-दिल-अज़ीज़ प्रधान मंत्री अगर एक अपील करें तो उसका भी असर देश पर पड़े बिना नहीं रह सकता । आज भी जनता

का विश्वास उन पर है। सभी नेताओं की ओर से अगर अपील की जाये तो उसका असर पड़े बिना नहीं रह सकता है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप सैलूंस को छोड़ करके एक बार तीसरे दर्जे म खुफिया हालत में सफर करें तो आपको पता चलेगा कि उन में सफर करने वाले लोगों की क्या हालत है। उनकी जेबों में आपके फोटो तो रखे नहीं होते हैं जो वे एक दम आपको पहचान जायेंगे। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों को भी फर्स्ट क्लास के पास दे दिये गये हैं और मैम्बर भी अब तीसरे दर्जे में सफर नहीं करते हैं।

चूंकि समय थोड़ा है, इस वास्ते में एक ही बात कह करके खत्म किये देता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब की तरफ से जनता के नाम अपील होनी चाहिये, मिनिस्टर्स की तरफ से, प्रधान मंत्री जी की तरफ से तथा दूसरों की तरफ से विद्यार्थी बन्धुओं से तथा दूसरों से अपील होनी चाहिये कि वे कोई नाजायज काम न करें। दूसरे जो छोटी-छोटी दिक्कतें हैं, जो छोटी-छोटी कमियां हैं, उनका भी हल होना जरूरी है, उनका भी दूर होना जरूरी है। ये कुछ सुझाव ही मैं आपको देना चाहता हूं और आशा करता हूं आप इन पर गौर करेंगे और जो समस्या है अगर वह पूरे तौर से हल नहीं हो सकी तो कुछ हद तक तो हल अवश्य होगी, उसका समाधान तो अवश्य होगा और इसको हल करने में हम सब को मिल करके कोशिश करनी चाहिये।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : उपाध्यक्ष महोदय, अब यह तीसरी रीडिंग की स्टेज है। जिस बीमारी का इलाज हम इस बिल के द्वारा करने जा रहे हैं, हमें देखना यह है कि क्या वह हो सकेगा या नहीं? हाउस के मैम्बर साहिबान इख्तलाफ राय रखते हुये भी इत्तिफाक राय से इस िल को पास करने जा रहे हैं। लेकिन जहा तक बीमारी का ताल्लुक है मैंने माननीय मैम्बर साहिबान की स्पीचिज़ को सुना है और बड़े गौर के साथ सुना है और सभी मैम्बर यह स्वीकार करते हैं कि बीमारी है लेकिन जहां तक उसके इलाज का ताल्लुक है, रेलवे मिनिस्टर साहब और हाउस में इख्ताफ राय है। जो इलाज माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सामने रखा है, चूंकि मैम्बर साहिबान ने तो उसको स्वीकार कर लिया है, इसलिये यह बिल पास होने जा रहा है।

लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान मैम्बर, साहिबान की स्पीचिज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं और जो जवाब दिया गया है मिनिस्टर साहब की तरफ से उन स्पीचिज़ का उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। मैम्बर साहिबान की तरफ से रेलवे में कोरप्शन के बारे में जो कुछ कहा गया है उसका जवाब, कोई सैटिसफैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया है। जो इलाज माननीय मंत्री महोदय ने तजवीज़ किया था वह तो माना जा रहा है लेकिन जहां तक मैम्बर साहिबान का ताल्लुक है, उनका खयाल है कि बीमारी के कारण कुछ और हैं जिन की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जह नहीं है और वह है रेलवे में कोरप्शन का होना। किसी भी मैम्बर, ने अपनी स्पीच में यह नहीं कहा कि रेलवे में कोरप्शन नहीं है बल्कि एक के बाद दूसरे मैम्बर ने अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर और बड़े दुख के साथ यह कहा कि रेलवे कर्मचारियों में कोरप्शन है। मैं उस वक्त डिप्टी रेलवे मिनिस्टर के उस रिमार्क को भी सुन रहा था जब कि उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ यह कहा कि कोरप्शन नहीं है। यह एक समस्या है। हाउस के मैम्बरान यह समझते हैं कि रेलवे में बेहद कोरप्शन है जब कि जिन के हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन है.....

श्री शानहवाज खां : आन ए प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन, सर। मैं यह समझता हूं कि मेरे साथ बेइंसाफी की जा रही है। मैंने उस वक्त एतराज़ किया था जब एक आनरेबल मैम्बर

साहब कह रहे थ कि रेलवे आफिसर्स अपने बीवी बच्चे इत्यादि बिना टिकट के ले जाते हैं। यह बात गलत है। मैंने यह नहीं कहा कि रेलवे में करप्शन नहीं है।

श्री मू० चं० जैन : अभी डिप्टी रेलवे मिनिस्टर साहब ने जो सफाई दी है.....

श्री राजेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह अभियोग लगाया था कि बहुत से रेलवे के आफिसर्स अपनी बीवी, अपने वाल बच्चों और अपने दोस्तों के साथ बगैर टिकट चलते हैं और वेश्याओं को अपने घर बगैर टिकट के बुलाते हैं।

श्री शाहनवाज खां : यह बिल्कुल गलत है।

श्री राजेन्द्र सिंह : अगर आप समझते हैं कि मैं गलत कहता हूं तो हाउस से बाहर चल करके आप तहकीकात करा लें और अगर यह बात गलत साबित हो तो मैं रिज़ाइन करूंगा, और अगर सही साबित हो तो आप रिज़ाइन कीजिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम किसी को भी इस्तीफा नहीं देने देंगे।

श्री मू० चं० जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि जो अख्तयारात माननीय मंत्री महोदय ने मांगे, वे उन्हें मिल रहे हैं। हाउस खुश होगा और मिनिस्टर साहब और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देगा अगर एक बरस के बाद हमें आंकड़े दे कर बतायें कि टिकटलैस ट्रेवल इतना कम हुआ है, जो हमारे कर्मचारियों पर हमले होते थे, वे इस हद तक कम हो गये हैं, जो हाकर्ज़ गड़बड़ करते थे और नाजायज़ काम करते थे, वे इस हद तक कम हो गये हैं, नाजायज़ तौर पर जो जंजीरें खींची जाती थीं, वे इतनी कम हो गई हैं। अगर एक बरस के बाद हमें वह कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा सकें तो मैं कहता हूं वह तमाम हाउस की तरफ से मुबारिकबाद के मुस्तहिक होंगे।

लेकिन मैं जानता हूं कि सजा बढ़ाने के बावजूद भी वही ढाक के तीन पात वाली बात होगी। मैं समझता हूं कि इस बिल की मार्फत हम उस कमी को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है। कहीं बिल यह कमज़ोरी को छिपाने का एक डिवाइस न हो। आज एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार है और इसको दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। सभी स्टेजिस पर भ्रष्टाचार है। अगर गुड्स क्लार्क्स में भ्रष्टाचार है तो मैं आपको अपने तजुर्बे की बिना पर बता सकता हूं कि जब तक ऊपर का जो अफसर है वह मिला हुआ नहीं होता है, तब तक भ्रष्टाचार ही नहीं हो सकता है। अगर वह मिला हुआ न हो तो भ्रष्टाचार करने की किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती है। आज टिकट बांटने वालों में कोरप्शन है और यह भी ऊपर के अफसरों के मश्विरा के बगैर मुम्किन नहीं हो सकता है। आप कायदा बनायें कि अगर गुड्स क्लार्क या कोई और कोरप्शन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर जो अफ़सर है उसकी भी जिम्मेदारी होगी, चाहे इसे वाइकेरियस लायाबिलिटी कहा जाये और जब आपने ऐसा किया तो कोरप्शन बन्द हो जायेगा। आज मैं देख रहा हूं कि जनता में बड़ी भारी अविश्वास की भावना पैदा हो रही है, कोरप्शन बढ़ रहा है और हमारे मंत्री महोदय और रेलवे विभाग मीठी नींद सो रहे हैं। जब आप इस तरह से सोचेंगे कि कोरप्शन नहीं है तो कैसे उसको दूर करने का सवाल पैदा हो सकता है। बहरहाल उन्होंने जो पावर्स चाही थीं, हाउस ने उन्हें दी हैं। हाउस तो यह जानना चाहेगा

†मूल अंग्रेज़ी में

कि यह नतीजा क्या दिखाते हैं। अगले साल जो फिगर्स दिये जायेंगे उन से पता चलेगा कि कितना फायदा या नुक्सान इस बिल से होगा। अगर अच्छा नतीजा निकला तो हाउस के मेम्बर उन्हें धन्यवाद देंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि हाउस के मेम्बरान ने जो दूसरी तजवीज़ें दी हैं पालियामेंट के दफ्तर उन की तरफ़ हमारी सरकार ध्यान दे और अगर उन तजबीजों पर अमल किया गया तो लाजिमी तौर पर जो नतीजा होना चाहिये वह होगा।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक को लगभग समस्त सभा का समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यात्रा करने वाली जनता के आचार में सुधार करने का है। इसलिये उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपनी कठिनाइयों का ज़िक्र इस समय किया है उन्हें उनका ज़िक्र कुछ दिनों के बाद करना चाहिये, जो अब ज्यादा दूर नहीं है।

मैं एक या दो बात कहना चाहता हूं। सब से पहली बात रेलों में भीड़भाड़ के बारे में है। भीड़भाड़ के बारे में अधिनियम में धारा ११२ हैं। परन्तु जितना मैं जानता हूं इस धारा को अभी तक ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया है। जब यह धारा लागू नहीं की जा सकी है तो मैं नहीं जानता कि इसको विधान में रखने के क्या लाभ हैं। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के डिब्बों में बैठने पर जो दण्ड वह रख रहे हैं उसका भी कोई असर नहीं होगा। मेरा यह भी सुझाव है कि बिना टिकट चलने वाले यात्रियों में केवल उन्हीं यात्रियों को दण्ड दिया जाये जिनकी आदत बिना टिकट चलने की हो गई हो।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस विवाद में इतनी रुचि ली। इससे सभी एक मत हैं कि हमारी रेलों में भीड़भाड़ बहुत होती है परन्तु सभा यह भी जानती है कि रेलवे मंत्रालय किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। हमें अपने सीमित संसाधनों के अन्दर रहते हुये माल ढोने का काम सुचारु रूप से चलाना है। सभा को यह निश्चित करना था कि उद्योगों के विकास के लिये माल के परिवहन को प्राथमिकता दी जाये अथवा भीड़भाड़ को कम करने को प्राथमिकता दी जाये और सभा ने अपनी बुद्धिमत्ता से नश्चित किया कि माल परिवहन को ही प्राथमिकता दी जाये। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता होती है कि भारतीय रेलवे सभी प्रकार के माल का परिवहन संतोषजनक रूप में कर रही हैं।

सभा को पता है कि हाल में ही हमारे राष्ट्रपति ने दो विशाल इस्पात कारखानों का उद्घाटन किया है। मैं आशा करता हूं कि जब यह दोनों चालू हो जायेंगे तो रेलों, प्लेटों, स्लीपरों आदि के लिये जो इस्पात की कमी हमारे सामने है वह दूर हो जायेगी और हम उचित व्यवस्था कर सकेंगे और भीड़भाड़ कम करने में सफल होंगे।

सभा को यह पता है कि हम सभी प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं भीड़भाड़ के लिये हमारी गाड़ियों में अधिकतम संख्या में डिब्बे लगाये जाते हैं। गलियारे वाली गाड़ियों में हमने वायु अनुकलित डिब्बों को निकाल कर तीसरे दर्जे के डिब्बे लगा दिये हैं। परन्तु फिर भी जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, सभा को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मेरे मित्र श्री मूलचन्द ने रेलव में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा। मैं नहीं कहता कि रेलवे में भ्रष्टाचार नहीं है। आचार्य कृपालानी समिति ने भी इस समस्या पर प्रकाश डाला है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। रेलवे मंत्री ने सभी सामान्य प्रबन्धकों को आदेश जारी कर दिये हैं कि रेलवे प्रशासन से अनुचित लोगों को हटा दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९

२३ माघ, १८८० (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२९५—३१९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२९	दोहरे कर से बचाव	२९५-९६
१३०	लोहा और इस्पात समानीकरण निधि . . .	२९६—९८
१३१	नई दिल्ली में इंजिनियरिंग कालेज .	२९९—३०१
१३२	१० करोड़ डालर का अमरीकी ऋण . . .	३०२—०४
१३३	आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय	३०४
१३४	दिल्ली में शहीदों के लिये अखिल भारतीय स्मारक .	३०४—०६
१३५	मद्रास-आन्ध्र सीमा विवाद . . .	३०६-०७
१३६	आसाम के तेल शोधक कारखाने के लिये स्थान . .	३०७-०८
१३७	नई दिल्ली में बाल संग्रहालय . . .	३०९
१४०	कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति . . .	३०९-१०
१४२	बालकों के लिये अवकाश-गृह . .	३१०-११
१४३	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों पर हमला	३११-१२
१४४	उड़ीसा नृत्य और संगीत . .	३१२-१३
१४५	भारतीयों के अधिकार में विदेशी आस्तियां .	३१३—१६
१४६	अल्प बचत योजना .	३१६—१८
१४७	चन्दनथोपे गोली कांड जांच आयोग .	३१८-१९
प्रश्नों के लिखित उत्तर .		३१९—७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३९	इस्पात तथा लोहे का उत्पादन . . .	३१९
१४१	पुरस्कार बन्ध योजना . . .	३१९-२०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४९	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त	३२०
१५०	पदोन्नति के नियम .	३२०-२१
१५१	इस्पात समानीकरण निधि . .	३२१
१५२	भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय मामले	३२१-२२
१५३	छात्रवृत्तियां	३२२
१५४	सैनिक स्कूल, देहरादून . .	३२२
१५५	वारंगल इंजीनियरिंग कालेज . . .	३२३
१५७	केन्द्रीय भवन निर्माण गवेषणा संस्था, रुड़की	३२३
१५८	देहरादून में भूतत्वीय प्रयोगशाला	३२४
१५९	राज भाषा	३२४
१६०	चुनाव चिह्न . . .	३२४
१६१	गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा .	३२५
१६२	दिल्ली जेल से पाकिस्तानी का फरार होना	३२५
१६३	सी० आई० डी० में महिलायें	३२५-२६
१६४	निरक्षरता निवारण	३२६
१६५	राष्ट्रीय झण्डे का झुकाया जाना. .	३२६
१६६	भिलाई इस्पात का कारखाना	३२७
१६७	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश . .	३२७
१६८	अन्तर्राष्ट्रीय समाज तथा शिशु कल्याण सम्मेलन .	३२७-२८
१६९	मेसर्स हार्ड मोटर्स के साथ ठेका . .	३२८
१७०	त्रिपुरा में कर . . .	३२८
१७१	छावनियों में खादी पर चुंगी. . .	३२८-२९
१७२	सेवा-निवृत्ति नियम	३२९
१७३	अध्यापन व्यवसाय	३२९-३०
१७४	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन . .	३३०
१७५	केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, नागपुर .	३३०-३१
१७६	मिट्टी के तेल की कमी	३३१-३२
१७७	दोहरे कर से बचाव. . . .	३३२
१७८	केन्द्रीय सेवायें .	३३२-३३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१७६	उदयपुर में ज़वार खानें	३३३
१८०	खेल-कूद जांच समिति . . .	३३३-३४
१८१	भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा आर्डनेन्स कारखानों में काम करने वाले पाकिस्तानी . . .	३३४
१८२	इस्पात संयंत्र . .	३३४-३५
१८३	भारतीय शिक्षा सेवा . . .	३३५
१८४	जीवन बीमा निगम कर्मचारियों का वर्गीकरण	३३५
१८५	तेल मिलने की सम्भावनायें .	३३६
१८६	संयुक्त राष्ट्र आपात सेना में भारतीय सिपाही	३३६
१८७	दिल्ली में सड़कों पर दुर्घटनायें . .	३३६-३७
१८८	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस	३३७-३८
१८९	ज्वालामुखी में तेल छिद्रण स्कूल . .	३३८
१९०	पदाधिकारियों का केन्द्र से राज्यों को स्थानान्तरण .	३३८
१९१	राज्यों के सेवा सम्बन्धी नियम	३३९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३५	खनिज पदाथ . .	३३९
१३६	जम्मू तथा कश्मीर को पर्यटक . . .	३३९-४०
१३७	विश्वविद्यालयों में समुद्र-विद्या विभागों की स्थापना	३४०
१३८	सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल	३४०
१३९	भारत में पाकिस्तानी . . .	३४०
१४०	आन्ध्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण .	३४१
१४१	विज्ञान मंदिर . . .	३४१-४२
१४२	तिब्बत में प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियां .	३४२
१४३	डा० रघुवीर के संकलन . .	३४२
१४४	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी .	३४३
१४५	विदेशों में भारतीय प्रविधिक कर्मचारी .	३४३
१४६	"बर्फ पर मनोरंजन" .	३४३
१४७	युद्ध-सामग्री कारखानों में पदोन्नति	३४३
१४८	युद्ध-सामग्री कारखानों में खाली समय का भुगतान . .	३४४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४९	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में तपेदिक के मरीज़	३४४
१५०	प्रतिरक्षा औद्योगिक श्रमिकों के लिये क्वार्टर	३४४
१५१	युद्ध सामग्री डिपुओं में अस्पताल	३४५
१५२	चाय कम्पनियों द्वारा मुनाफे का प्रेषण	३४५-४६
१५३	बम्बई राज्य में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल	३४६
१५४	बम्बई राज्य में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमियां	३४७
१५५	बम्बई में शिविर डालने की भूमि	३४७
१५६	बन्धक (रहन) पर ऋण	३४७-४८
१५७	भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा	३४८
१५८	बिड़ला विज्ञान तथा उद्योग संग्रहालय, कलकत्ता	३४८-४९
१५९	हरिजन कल्याण	३४९
१६०	आयकर से औद्योगिक संस्थानों की छट	३४९
१६१	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	३४९
१६२	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त का दौरा	३५०
१६३	मिनीकाय टापू के आदिवासी	३५०-५१
१६४	पंजाब में शिक्षित लोगों की बेकारी	३५१
१६५	त्रिपुरा में मालगुज़ारी	३५१-५२
१६७	दिल्ली में आत्महत्यायें	३५२
१६८	वायुयान	३५३
१६९	पंजाब में चूने का पत्थर	३५३-५४
१७०	डलहौज़ी तथा बकलोह छावनियां	३५४
१६१	अनन्तरपुर में सोने के निक्षेप	३५४
१७२	अनुसूचित जातियों के लिये मकान	३५४
१७३	गणतंत्र दिवस पर बन्दियों की रिहाई	३५५
१७४	बिहार में शिक्षण संस्थाओं को सहायता	३५५
१७५	अंदमान के जंगल	३५५-५६
१७६	आसाम में प्राकृतिक गैस	३५६
१७७	कैम्ब और बड़ौदा में तेल	३५७
१७८	इस्पात संयंत्रों का मूल्य	३५७-५८

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७६	राजस्थान में तांबे के निक्षप	३५८
१८०	भारतीयों को तेल छिद्रण का प्रशिक्षण	३५८
१८१	बथूला में तेल-छिद्रण . . .	३५८
१८२	प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद्	३५६
१८३	अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिक . .	३५६
१८४	रिसर्च स्कालर .	३५६
१८५	फोर्ड फाउन्डेशन के अनुदान	३५६-६०
१८६	प्रविधिक कर्मचारी . .	३६०
१८७	अन्दमान द्वीप समूह में परिवारों का बसाया जाना	३६१
१८८	अन्य पिछड़ी जातियों के लिये अपनाया गया मानदण्ड	३६१
१८६	अवैध बच्चे .	३६२
१६०	फोर्ड फाउन्डेशन के अनुदान	३६२
१६१	दिल्ली में धोखाधड़ी के मामले .	३६२
१६२	हरिजन मंत्रणा बोर्ड . . .	३६२-६३
१६३	भिलाई के इर्द-गिर्द की भूमि का लिया जाना	३६३
१६४	ब्रिटिश बागानों द्वारा प्रेषित मुनाफे .	३६३-६४
१६५	विश्व-भारती विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र	३६४
१६६	नरनोल में शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा	३६४
१६७	उज्जैन में महाकवि कालिदास का स्मारक.	३६४
१६८	अमरीकी राकेट—'पायनियर' .	३६४-६५
१६६	त्रिपुरा के अधीन मोटर ड्राइवरों के वेतन-क्रम	३६५
२००	लैन्सडाउन, लण्ढौर और चकराता में विकास-कार्य	३६५
२०१	जामा मस्जिद की मरम्मत . .	३६५-६६
२०२	दिल्ली की जलों में व्यवसाय और दस्तकारियां	३६६
२०४	राजनीतिक पीड़ित .	३६७
२०५	सम्पदा कर .	३६७
२०७	आसाम की चाय पर निर्यात-शुल्क	३६७
२०८	गोला-बारूद . .	३६७-६८
२०६	महात्मा गांधी के 'बन्दी टिकट'	३६८
२१०	मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा के परीक्षा केन्द्र	३३८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१२ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी . . . ३६८-६९
२१३ उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां ३६९-७०
२१४ उड़ीसा में गिलट . . ३७०
२१५ मनीपुर को लोहे की नालीदार चादरों का संभरण . ३७०-७१
२१६ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्लर्कों का स्थानान्तरण . ३७१
२१७ नौ-वास्तु में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र ३७१
२१८ तेल विकास योजना . ३७२
२१९ बम्बई राज्य में विज्ञान मन्दिर. ३७२
२२० लोक संगीत तथा चित्र ३७२
२२१ 'कुथ' नामक बूटी से तेल निकालना ३७३
२२२ युवक होस्टल संस्था . ३७३
२२३ टेक्निकल सहकारिता मिशन योजना ३७३
२२४ त्रिपुरा में भूमि का बन्दोबस्त ३७३-७४
२२६ उत्तर प्रदेश में विज्ञान मन्दिर . ३७४
२२७ १९५८ में की गई भ्रष्टाचार निरोधी कार्यवाही . ३७४
२२८ भारत और चीन के बीच विद्यार्थियों का आदान-प्रदान ३७४-७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७५—७८

(१) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रख गये :—

दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ छठा सत्र, १९५८
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ५ पांचवां सत्र, १९५८
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १४ चौथा सत्र, १९५८
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १६ तीसरा सत्र, १९५७
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २० दूसरा सत्र, १९५७
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या १९ पहला सत्र, १९५७

(२) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूप-

सभापटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

भेद) नियम, १९५६ में संशोधन करने वाली दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८० की एक प्रति ।

(३) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली गजट-अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (एक)-दिल्ली, दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (पानी देने की अन्तिम दर का निर्धारण) नियम, १९५८ ।

(दो) दिल्ली गजट-अधिसूचना संख्या ४०/५/५८ (दो)-दिल्ली, दिनांक २२ अगस्त, १९५८ में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (मल-मूत्र को ठिकाने लगाने की लागत का निर्धारण) नियम, १९५८ ।

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की तीसरी अनुसूची में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७ की एक प्रति ।

(५) आय पर दोहरे करारोपण से बचने के लिये भारत सरकार और स्वीडन की राजकीय सरकार के बीच हुये, दिनांक २३ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२ में प्रकाशित करार की एक प्रति ।

(६) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ८, दिनांक ३ जनवरी, १९५९;

(दो) जी० एस० आर० संख्या ९, दिनांक ३ जनवरी, १९५९ ।

(७) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ९५, दिनांक २४ जनवरी, १९५९;

(दो) जी० एस० आर० संख्या ११९, दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ ।

विषय	पृष्ठ
सभापटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)	
(८) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण)।	
(९) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उपधारा (४) के अन्तर्गत अन्दमान तथा निकोबार गजट अधिसूचना संख्या सुप०/आई टी डब्ल्यू जी/ २३/१, दिनांक २ जुलाई, १९५८ में प्रकाशित स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह) नियम, १९५८ तथा उसके शुद्धि पत्र की एक प्रति।	
विधेयक पर राय—सभा-पटल-पर रखी गई .	३७८
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर रायों के पत्र-संख्या १ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३७८—८०
श्री तंगामणि ने ८ फरवरी, १९५९ को दक्षिण रेलवे के गदग-शोलापुर सेक्शन में एक पुल के गर्डर के गिरने से कुछ रेलव कर्मचारियों की मृत्यु होने और कुछ को चोटें आने की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया। रेलव उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।	
विधेयक—पारित	३८०—४२८
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई। खण्डवार, चर्चा के पश्चात् विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया गया।	
शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक) के लिए कार्यावलि—	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प।	